Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-I**

LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, December 04, 2025 /Agrahayana 13, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 04, 2025 / Agrahayana 13, 1947 (Saka)

CONTENTS | **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 61 – 68)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 69 – 80)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 691 – 920)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, December 04, 2025 / Agrahayana 13, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 04, 2025 / Agrahayana 13, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 84**
COMMITTEE ON ESTIMATES 7th Report	**284**
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 11th and 12th Reports	**285**
STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT 11th to 14th Reports	**286**
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 155th to 159th Reports	**287**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 4TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID Shri Tokhan Sahu	**287**
MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE	**288 - 329**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**330 - 44**
Shri Eatala Rajender	**330**
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	**331**
Dr. K. Sudhakar	**331**

Shri Jagdambika Pal	332
Shri Ganesh Singh	332
Shri Praveen Khandelwal	333
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	333
Shri Pradeep Purohit	334
Shri Arvind Dharmapuri	334
Shri Ramvir Singh Bidhuri	335
Dr. Vinod Kumar Bind	335
Shri Jai Parkash	335
Shri B. Manickam Tagore	336
Dr. Prashant Yadaorao Padole	336
Shri Varun Chaudhry	337
Shri Hamdullah Sayeed	337
Sushri Iqra Choudhary	338
Shri Ram Shiromani Verma	338
Shrimati Pratima Mondal	339
Shri Eswarasamy K.	340
Dr. Alok Kumar Suman	340
Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	341
Dr. Amol Ramsing Kolhe	342
Shri Sachithanantham R.	343
Dr. Raj Kumar Chabbewal	344
Shri Rajesh Ranjan	344

HEALTH SECURITY SE NATIONAL SECURITY CESS BILL	**345 - 422**
(Inconclusive)	
Motion for Consideration	**345**
Shrimati Nirmala Sitharaman	**345 - 47**
Shri Varun Chaudhry	**348 - 49**
Shri Jagdambika Pal	**350 - 56**
Shri Virendra Singh	**357 - 58**
Prof. Sougata Ray	**359 - 65**
Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian	**366 - 71**
Dr. Alok Kumar Suman	**372 - 73**
Shri Daggumalla Prasada Rao	**374 - 75**
@ Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh	**376**
Shrimati Supriya Sule	**377 - 80**
Shri Naresh Ganpat Mhaske	**381 - 83**
Dr. Prabha Mallikarjun	**384 - 86**
Shrimati Bharti Pardhi	**387**
Shri Rajeev Rai	**388 - 90**
Dr. Gumma Thanuja Rani	**391 - 92**
Shri Sudhakar Singh	**393 - 95**
% Shri Sachithanantham R.	**396**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**397 - 98**

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh, in Marathi, please see the Supplement (PP 376A to 376B).

% For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Sachithanantham R, in Tamil, please see the Supplement (PP 396A to 396B).

Shri Mian Altaf Ahmad	**399**
Shri Malvinder Singh Kang	**400 - 01**
Dr. M.K. Vishnu Prasad	**402 - 04**
Dr. C.N. Manjunath	**405 - 07**
@ Shri Subbarayan K.	**408**
Dr Rajkumar Sangwan	**409**
Shri Raja Ram Singh	**410**
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	**411 - 12**
Shri Tangella Uday Srinivas	**413 - 14**
Shri Anand Bhadauria	**415 - 16**
Shri Karti P. Chidambaram	**417 - 18**
Adv. Chandra Shekhar	**419 - 20**
Shri Ramprit Mandal	**421 - 22**

xxx

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Subbarayan K. in Tamil, please see the Supplement (PP 408A to 408B).

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 04, 2025 / Agrahayana 13, 1947 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX	XXX
xxx xxx xxx xxx	
xxx xxx xxx	
xxx xxx xxx	xxx
HEALTH SECURITY SE NATIONAL SECURITY CESS BILL	**376A - 76B & 396A - 96B & 408A - 08B**
xxx xxx xxx	xxx
Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh	**376A - 76B**
xxx xxx xxx	xxx
Shri Sachithanantham R.	**396A - 96B**
xxx xxx xxx	xxx
Shri Subbarayan K.	**408A - 08B**
xxx xxx xxx	xxx

(1100/KDS/PS)

(प्रश्न 61)

*DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Sir, one thing that was noticed in the House yesterday is that, due to the GMRT project of international importance, a developmental deficit has been created in the Junnar-Ambegaon area and I request the Minister and the Government to fill this. Please pay attention to it. Although water is a State subject, I request the Government that, from the perspective of Junnar-Ambegaon, the work of repairing the canal in Dimbe irrigation and Kukdi irrigation project is with the State Government, but this work has not been completed yet. The additional funds required for this should be provided by the Central Government.

At the same time, the State Government has prepared four schemes to divert the water flowing towards the west to the Dimbe dam and Pimpalgaon area so that the major water problem in the drought-affected areas can be resolved. I request the Central Government to provide assistance with this considering the developmental deficit.

Thirdly in your reply, many of the dams that you mentioned about are 25% to 30% filled with silt. Due to this, the storage capacity of the dams has been reduced. I request the Central Government to pay attention to this and instruct the State Government as well. (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सी. आर. पाटिल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, अगर वह चाहेंगे, तो मैं मराठी में इसका उत्तर दे सकता हूं। … (व्यवधान)

*As of now, the Central Government has provided Rs. 757 crore for various schemes, especially the Konkani project, and the entire amount has been utilized by the Maharashtra Government. The Central Government has also provided Rs 41.27 crores for the Velhewadi project, and that amount has also been utilized by the Maharashtra Government.

The length of the Chaskaman project is 144 km, out of which 14 km has been mapped. And out of the total amount of Rs 114 crores provided for this, Rs 14 crores have been spent and Rs 100 crores are lying with them. Due to the cost escalation of the project, the Maharashtra Government is trying to complete this work by using their own funds.

(1105/CS/SNL)

*DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): My question was not about how much funds were given. The Railway Minister, while answering on the floor of the House, said that due to GMRT, no industry can be established in this area. No progress can be made in this area from the national and international perspective. Due to this, a developmental deficit is being created, and the Central Government has a moral responsibility to pay attention to this.

---

* Original in Marathi

The Minister did not answer any of the four questions that I asked. I would like to ask again that the State Government has prepared four schemes to bring the water flowing towards the west to the Dimbhe canal Dam and Pimpalgaon area so that the major water problem in this drought-affected area can be solved. I request the Central Government to provide assistance with this project and instruct the State Government to desilt it immediately.

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि जो कोंकण से पानी डायवर्ट करने वाले हैं, उसकी चार परियोजनाएं, जो उनके क्षेत्र में बन रही हैं, उन चारों परियोजनाओं के लिए अभी राज्य स्तर पर ही काम चल रहा है कि ये योजनाएं बन सकती हैं या नहीं। अभी तक यह योजना केन्द्र सरकार के पास नहीं आयी है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने भी उसको सैंक्शन नहीं दिया है। जब वे सैंक्शन देंगे, उसके बाद वह योजना सीडब्ल्यूसी के पास आयेगी, वे फिजिकली चेक करेंगे कि यह योजना बन सकती है या नहीं बन सकती है। वे उसको सैंक्शन देंगे। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर यह निर्णय किया जायेगा कि उसको कितनी अर्थ सहायता करनी होगी या कर सकते हैं। उसके बाद उसको पैसा सैंक्शन होगा और वह दिया जायेगा। मगर अभी तक जब योजना राज्य में ही नहीं बनी है, वहां अभी काम शुरू किया है, इसलिए अभी यह उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है। धन्यवाद।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : महोदय, पहाड़ी इलाकों में चाहे पेयजल के लिए पानी की बात हो, चाहे इरीगेशन के लिए पानी की बात हो, स्प्रिंग वाटर ही इसका सोर्स होता है। कई सारी रिपोर्ट्स ने ऐसा बताया है कि जो स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है, धारा में से जो पानी निकलता है, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से और लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से यह अभी के समय में बहुत कम हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो धारा विकास योजना है, जो स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट है, जिसे सिक्किम ने किया था और वहां से सफल होने के बाद इसको यू.एन. ने भी इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया था और भारत सरकार ने भी इसे इम्प्लीमेंट किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूँ कि वाटरशेड मैनेजमेंट यानी धारा विकास योजना को क्या सारे हिमालयन रीजन्स के राज्यों में इम्पलीमेंट किया गया है? अगर इसे इम्पलीमेंट किया गया है तो इसके लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है और कब तक इसे सारे राज्यों में इम्पलीमेंट करने की योजना है? धन्यवाद।

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, कोई योजना हर जगह लगाना संभव नहीं होता है। यू.एन. ने उनको सैंक्शन दिया है, यू.एन. ने कहा कि यह अच्छी योजना है। यू.एन.ओ. ने ऐसा जरूर कहा होगा, मगर अभी तक सभी हिमालयन राज्यों के अंदर इसको लागू करने की कोई योजना नहीं बनी है। अलग-अलग योजनाओं के तहत पानी के लिए जो काम चल रहा है, उसके अंदर अभी तक 38 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैसा पूरे देश में अलग-अलग योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। राज्य को लोन लेने के लिए भी उसके अंदर सहायता की गई है। उसके इंटरेस्ट में भी राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता की गई है। सभी योजनाओं के द्वारा अलग-अलग काम हो रहा है, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा एक एमसीएडी की योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे मंत्रालय में दी गई है। उसके आधार पर भी पानी का सोर्स पूरा खोजकर किसानों को एक जगह पर पूरी क्वांटिटी के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ और वे आगे पाइप से ही काम करें और ड्रिप, स्प्रिंकल के साथ ही पानी का यूज करें। अभी तक किसान 83 प्रतिशत पानी यूज करता है, उससे कम पानी में वह ज्यादा इरीगेशन कर सकता है और वह तीन बार फसल उगा सकता है। उसी के आधार पर, उसी के लिए यह एमसीएडी की योजना बनी है। अभी इस बार 22 राज्यों में इसका ट्रायल होगा और अगली दीपावली तक इसका पता चलेगा। हम मानते हैं कि पूरा सोर्स खोजने के बाद ही वहां हर जगह पर यह पानी दिया जायेगा। किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।

(1110/MNS/SMN)

अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है। बाकी जो पीएमकेएसवाई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें सभी योजनाएं जो अभी तक सेंक्शन हैं, उन्हें पूरा करने का काम अलग-अलग राज्यों में हो रहा है। (इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 62, डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश।

(**प्रश्न 62**)

[*]DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): Hon'ble Speaker, I wanted to ask a question regarding work at Dhule to Pimpalgaon national highway. The renovation work status of the highway is completed in the year 2016 which was due from 2014 and another renovation work is completed in year 2022 which was due from year 2019. Since there is no renewal work has been done which is pending since year 2024. There are few other renewals which are supposed to be completed by 2026, but not yet started. Three out of four renewals completed till date. Continuous lane work needs to be done, but patch work is the option chosen by the contractor. Additionally, no remark is mentioned regarding plantation of 42,680 trees. This is a classic example of contract violation. Therefore, I request Hon'ble minister to take strict action against the contractor, other officials and agencies through CAG

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट वर्ष 2010 में बीओटी में पूरा हुआ है। उसके बाद पहला ओवरले वर्ष 2016 में हुआ, वह एक साल डिले हुआ। उसके लिए उनके ऊपर 16 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई। दूसरा ओवरले वर्ष 2021 तक एक साल डिले हुआ, उसके लिए सात करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई। तीसरा ओवरले प्रोग्रेस में है, उसमें से 56 किलोमीटर आउट ऑफ 118 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और जो बाकी कार्य कंप्लीट करना है, उसकी जनवरी, 2026 तक का पीरियड है। यदि वह इस अवधि में कार्य पूरा नहीं करता है तो निश्चित रूप से उस पर पैनल्टी भी लगाई जाएगी। कंसेशन पीरियड अप्रैल 2026 में पूरा होता है। इसीलिए उससे फोर ओवरले की अप्रोप्रिएट रिकवरी 115.61 करोड़ रुपये अथॉरिटी की तरफ से ली जाएगी। इसके ऊपर अभी फोर लेन रोड़ बना था, इसका ट्रैफिक अभी बढ़ा हुआ है, इसलिए धुले से पिंपलगांव खंड को सिक्स लेन करने के प्रस्ताव का डीपीआर लगभग पूरा हुआ है। यह काम भी जैसे ही उसका प्रोजेक्ट हमें हैंडओवर होगा, उसका टेंडर निकालकर यह काम पूरा होगा।

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से फिर से विनती करती हूं कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर, कंसेसनर और इस काम में जो दोषी हैं, उनके ऊपर सी एंड एजी के द्वारा कराए गए ऑडिट के माध्यम से कार्यवाही होगी या नहीं?

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने डिले किया है, जैसा कि मैंने कहा कि वर्ष 2016 में एक साल का डिले हुआ तो उस पर 16 करोड़ की पैनल्टी लगाई गई एवं दूसरा ओवरले वर्ष 2021 में भी एक साल डिले किया, उसके लिए 7 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगी।

माननीय अध्यक्ष : आपने इसके बारे में बता दिया है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, उस पर पहले ही कार्यवाही हो चुकी है और अभी तक क्वालिटी के बारे में जो आखिरी सवाल है, यदि वह नहीं करेगा तो, उसके भी पैसे काटेंगे और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वह काम किया जाएगा।

माननीय सभापति : सुप्रिया सुले जी।

---

[*] Original in Marathi

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, there is delay in construction of Pune to Kolhapur road project. There were accidents took place at Narhe, Pune. You have also sent the team from Delhi to check this accident prone area. After the inatives, number of accidents came down. The said road is still incomplete, we are also aware you have blacklisted some contractors, but please tell us what is the deadline to complete this road?

Also try to improve traffic conditions in Narhe area because the road accidents are still taking place there. So, please consider what can be done in this regard.

(1115/MLC/RP)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रश्न इस विषय से जुड़ा नहीं है,परंतु पुणे से कोल्हापुर रोड बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से पुणे से सतारा विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था, अब उसे टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है। हम लोग अभी फिर से इस रोड के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। पुणे में वेस्टर्ली बायपास था, उसकी सर्विस लेन को अपने बजट प्रॉविजंस से बनाने का काम शुरू किया गया है। हमने यह पुणे से सतारा तक पूरा अच्छा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का डीपीआर बनाया है और जल्दी ही हमारे डिपार्टमेंट की ओर से उस पर काम किया जाएगा। इसमें खंभात के घाट की जो टनल है, उसमें नई टनल बन रही है। उसमें पहले पुरानी टनल थी, जब मैं महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तब वह टनल बनाई थी। इसके बाद आगे के दो टनल्स में से एक टनल हम जल्दी ओपन कर रहे हैं। आगे सतारा के बाद कोल्हापुर तक उस काम को ऑलरेडी अवार्ड किया गया है। इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जिसके संबंध में अगले सप्ताह मेरे यहाँ रिव्यू मीटिंग भी है। इसमें सम्मानीय मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, कोल्हापुर और बाकी लोगों के जो-जो सुझाव थे, वे लिए गए हैं। यह प्रोजेक्ट भी निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही एक साल के अंदर यह प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, ताकि विशेष कॉरिडोर जो बेंगलुरु की ओर जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएँ देता हूँ कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पर आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वह देखकर हमें असम में ईर्ष्या हुई। असम में टोल गेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर 100 या 130 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स और डैमेज़ के कारण रोड की क्वालिटी बहुत खराब है। असम के लोग टोल दे रहे हैं, पर जो आपके वीडियोज में देखते हैं। उस क्वालिटी का हाईवे नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि जोरहाट से डिब्रूगढ़ एनएच-37 की बहुत खराब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में झांजी का उल्लेख किया था। झांजी का पार्ट ठीक है। आपके कहने के बाद झांजी वाले पार्ट में सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लम्बा डिस्टेंस है, जिसमें झांजी के बाद देमऊ और मोरान जो जगह आती हैं, वे बहुत खराब हैं। मुझे पता नहीं चल

* Original in Marathi

रहा है कि लोग टोल क्यों दे रहे हैं, जबकि एनएच-37 जोरहाट से डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ है। मैं आपसे दोबारा दरख्वाश्त करूंगा कि आप वहाँ के एनएचआईडीसीएल को बोलें कि काम तेजी से हो। धन्यवाद।

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, एनएचआईडीसीएल काम कर रही है। सम्माननीय सदस्य,जो तकरार कर रहे हैं,वह सही है कि बरसात होने पर रास्ता काफी बिगड़ गया है। वैसे इस काम के बारे में काफी तकरारी थी, बाद में अनेक सदस्यों के कहने पर उसकी इंक्वायरी भी की गई। उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। काफी बातें रेक्टिफाई की गई हैं। मुझे लगता है कि छह महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा। युद्धस्तर पर वह काम शुरू हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री धर्मेन्द्र यादव।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : धन्यवाद अध्यक्ष जी,आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएँ,जो इसी चीज से संबंधित हैं, उन्हें उठाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल है।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सर, प्रश्नकाल में यह इसी मुद्दे से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, तो संक्षेप में बोलिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, क्वालिटी की बात चल रही है, मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। अधूरे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, उसी पर बोलूँगा। माननीय मंत्री जी बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर रोड आज भी टू-लेन है, जबकि बनारस से लेकर लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत यह सड़क आती है। वह 18 किलोमीटर चलने में घंटों लग जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस सड़क को यथाशीघ्र, आपके फोरलेन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें पूर्ण करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में कोटला जगह पर एक टोल है। मैंने आपके अधिकारियों को लिखकर भी दिया है। बनारस और आजमगढ़ मे बीच में कोटला पर एक टोल बना हुआ है। वहाँ टोल वालों का इतना आतंक है कि आपस में लोकल आजमगढ़ के जो संपर्क मार्ग बने हुए हैं,उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया गया है। टोल वालों की एनएचएआई के नाम पर वहाँ इतना आतंक और गुंडई चल रही है कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके।

(1120/VPN/GG)

माननीय अध्यक्ष जी, यहां तक दिक्कत आ रही है कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुज़र पा रही हैं। इस तरह का एनएचएआई का टोल की वसूली, पैसे की वसूली के नाम पर जो आतंक आज़मगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा कर के आज़मगढ़ वालों पर रहम कीजिए। बच्चों की स्कूल की बसों को निकलने दीजिए। इतना आतंक न करवाइए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, एक मिनट … (व्यवधान) लास्ट बात कहूंगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिए। … (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि अभी हमने नए टोल के लिए टोल नाके ही खत्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट टैग होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने ही पैसे, जहां से एंट्री की है, वहीं से कटेंगे। … (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : मंत्री जी, कृपा करके आज़मगढ़ वाला जल्दी खत्म कर दीजिए। … (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। दस लाख करोड़ रुपये के काम चालू हैं, साढ़े चार हज़ार प्रोजेक्ट्स हैं और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स की डीटेल्ड जानकारी तो दे नहीं सकता हूँ। लेकिन आप एक काम कीजिए कि मेरे क्वेश्चन ऑवर के दिन, समाप्त होने के बाद, सभी अधिकारी यहां आते हैं, सभी एमपीज़ यहां आते हैं, आप आज भी आ सकते हैं। मैं आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।

अब यह टोल से समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद टोल पर रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। इस स्टेज में पहले दस काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं। इसके बाद आगे चल कर साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह से इसको इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे।

(इति)

(Q. 63)

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, the Kozhikode–Wayanad Tunnel is a twin-tube tunnel road project in the State of Kerala. This tunnel road is essential for the safe and all-weather connectivity between Kerala and Karnataka, especially considering the frequent landslides on the Thamarassery Ghat Road.

Sir, will the Government commit to including this project under Bharatmala or any other Central scheme?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, Sir, this is one of the important tunnel road projects. Actually, this Kozhikode–Wayanad Tunnel is being developed by the Kerala Government on the State road from their own resources. The Ministry of Road Transport and Highways is responsible for the development and maintenance of the National Highways only. We do not have any proposal for financial assistance on this issue from the Kerala Government up till now.

Sir, this is a very important project. Regarding Kerala, the situation is very, very crucial because in all the National Highways of Kerala, the urban development is already there by the roadside. It is very difficult to acquire the land. At the same time, there are a lot of demands from the people and Members of Parliament, which are very difficult to fulfil. The Thamarassery Ghat is also there in section NH-766. These are the crucial issues.

Regarding diversification of the road, first of all, there was no provision. We have just used a very simple methodology for making that alternative road. But, now we have taken a decision that we will make that road with concrete. That is how the problems will be resolved.

(1125/UB/YSH)

Regarding Ghat section, the land is at an angle of 90 degrees by which we are developing the road which is dangerous because in the rainy season, it is a very difficult task. So, now we have come to the conclusion that we would acquire more land and we would, at least, maintain the land at an angle of 45 degrees. At the same time, before starting the construction of the road, we will first give priority to the development of that particular area. And after that, we will start the construction.

Regarding the problem in Kerala, there are a lot of problems. We have appointed a technical committee with some people from IITs on it. We have already received the report. After considering that report, we are also taking action. And there are a lot of chances and an opportunity for us to use technical innovation, particularly in the road construction in the tunnel. We will see that the problem is resolved.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, will the Government take urgent steps to complete the National Highway in Kerala, especially in my constituency, Alathur?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: If you can tell me which National Highway in your constituency you are talking about, it will be easy for me to give the answer. What is the number of that National Highway?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, it is in Palakkad, Alathur.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Particularly in Kerala, the situation is very, very challenging. The land acquisition cost comes to Rs. 50 crore per kilometre. Previously, it was committed by the Chief Minister that the State Government will contribute 50 per cent of the land acquisition cost. They also gave us Rs. 5,000 crore but it is very difficult from their State budget to give that much money for land acquisition. After that, we considered that problem and the request from the State Government. We gave them a good proposal that whatever the GST is applicable on steel and cement that is to be used on that particular road – the share of the Kerala Government is nine per cent on that GST – it will be paid by the State Government for that project. The royalty for the aggregates, sand and stone, and other things will be exempted. This is how we have found a solution. Now, there is no problem of land acquisition. But in Kerala, the problem is that there is no land available for acquisition. And even in green alignment also, there is a lot of problem.

So, today, Palakkad-Kozhikode is one of the important projects. We already have the project proposal that is to be submitted to the Ministry. We are now working on it. We will make the pre-feasibility report. Positively, we will try to resolve that issue. That is the need of that particular region.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, I would like to bring the attention of the hon. Minister to the deplorable state of NH-12, which goes through Kolkata. It used to be NH-34. It is now NH-12, which is basically the

North Bengal and South Bengal. The condition of the road from Barajaguli to the Murshidabad border, going to the district of Nadia, after the monsoon is absolutely abysmal. There are huge craters and water-logging. No repair has been done. Also, due to the lack of service lanes and truck lay-bys, because of the *dhabas* and the petrol pumps, there are accidents happening every day with people trying to take illegal U-turns. I would request the hon. Minister to look into it and get it fixed at the earliest.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, the main Question is related to the Kerala Government. This is a question regarding West Bengal. So, I will request the hon. Member to come to my office after the Question Hour is over. All the officers concerned are there. I will resolve the issue raised by the hon. Member.

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र में मुम्बई-गोवा हाईवे का काम चलते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। चांद पर जितना खर्चा नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा खर्चा उस हाईवे के लिए हो गया है, फिर भी वह हाईवे आज तक ठीक नहीं हो सका है।

(1130/STS/NKL)

फिर भी आज तक वह रास्ता पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो यह काम हो जाएगा। 10 वर्षों से लोग बहुत परेशानी में हैं। यह रास्ता कब होगा और किस तरह से होगा? धन्यवाद।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, सम्माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह बिलकुल सही है। इस रास्ते का काम वर्ष 2009 में शुरू हुआ और मैं वर्ष 2014 में मंत्री बना हूं। यह उस समय की सरकार के स्टेट पीडब्ल्यूडी को दिया गया था। उन्होंने इसे शुरू किया था। यहां लैंड एक्विजिशन की समस्या थी। अभी तक बहुत सारे कान्ट्रैक्टर बदल चुके हैं। कारण क्या है, मालूम नहीं, उस पर काफी कार्रवाई भी की गयी है। अभी लगभग 89 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष अप्रैल तक यह रोड पूरा हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें काफी विलम्ब हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यह अप्रैल से पहले पूरा हो जाएगा।

(इति)

(प्रश्न 64)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 64, श्री माथेश्वरन वी. एस. - उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी।

श्री राजीव राय (घोसी) : धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बलिया-मऊ को सैंक्शन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग के बारे में मैंने कई बार आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की, लिख कर भी दिया और मेरे पास आपके मंत्रालय से आश्वासन पत्र भी मिला कि यह 30 मई को पूरा हो जाएगा। मैंने इस विषय को कल कमेटी की बैठक में भी उठाया था। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी आप इस बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। लेकिन इसका जो जवाब आता है कि उसने बिलो द रेट किया, इसलिए हमने उसे बंद कर दिया। जब से मैं पहली बार आपके यहां आया, उसके बाद से आप पता कर लीजिएगा कि उस सड़क पर कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं? जेपी वाला भाग गया, आपने उसका पैसा सीज कर लिया है, इन सब से आम जनता को कोई लेना-देना नहीं है। हर रोज कोई-न-कोई मर रहा है। रोड के पास जो फ्लाईओवर है, वह सबसे खतरनाक है। इस बात को कल मैंने आपके अधिकारियों को भी बताया है।

मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि माननीय मंत्री जी ने जो पत्र लिखा था कि 30 मई तक काम पूरा हो जाएगा, अगर वह नहीं हो पा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है?

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, आप उनसे जा कर मिल लिया कीजिए।

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के 10 लाख करोड़ के 3.5 हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे पास नहीं है और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है। जहां तक आपने वाराणसी-गोरखपुर के प्रोजेक्ट की बात की है, उसमें कुछ दिक्कतें आयी थी। जो कंपनी थी, उसकी भी कुछ समस्याएं थीं। यह लगभग मार्च 2026 के पहले कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।

(इति)

(प्रश्न 65)

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : मान्यवर, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और अक्सर आपदाओं की मार झेलता है। हमें काम करने के लिए मात्र चार महीने मिलते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जेजेएम चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे जहां तक कोई आम आदमी नहीं जा सकता था, वहां तक पानी पहुंच रहा है। परंतु, हमारे यहां एक समस्या यह आयी है कि पम्प लगने थे, लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए पम्प नहीं लग पा रहे हैं। ओवरहेड टैंक बनने थे, लाइन बिछ गयी, लेकिन पैसा नहीं है। चूंकि उत्त्र में यह कहा गया है कि हमने 90-10 के अनुपात में पूरा पैसा दे दिया है। राज्य सरकार का जो 10 का अनुपात था, वह राज्य सरकार ने तो पूरा दे दिया, लेकिन आपने जो उत्तर में बताया है, उसमें 90-10 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक पैसा भी हमें नहीं मिला। इसलिए मान्यवर, इसमें चाहे जैसे भी हो या तो यहां से कोई टीम जाए, तो कोई देखे कि वहां लाइनें बिखरी पड़ी हैं। लोग-बाग कहते हैं कि यह कैसे काम हो रहा है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार की नीयत साफ है, लेकिन जितना भी पैसा बचा हुआ है, उसको रिलीज किया जाना चाहिए। 90 प्रतिशत के योगदान के अनुसार हमें अभी 3568 और 3289 रुपये मिलने हैं। क्या यह धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में रिलीज कर दी जाएगी, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

(1135/MM/VR)

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था। आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। बाकी राज्यों में 50 परसेंट धन केंद्र की ओर से दिया जाता है लेकिन उत्तराखंड और कुछ राज्यों में 90 परसेंट धन केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इस बार भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 67 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए हैं। लेकिन कई राज्यों से और कई एमपीज़ से बहुत सी कम्प्लेंट इसके बारे में आयी और माननीय प्रधान मंत्री मोदी साहब ने इसके बारे में अभी एक निर्देश दिया है और बार-बार दिया है कि यह योजना लोगों के घरों में पानी देने के लिए बनी है और पानी देना ही पड़ेगा। केवल पाइप बिछा कर, नल लगाकर या फोटो डालकर अगर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक चार हजार लोगों पर, जिनमें कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रेक्टर है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। राजस्थान के एक मंत्री तो कल तक जेल में थे। कई लोगों पर एक्शन लिया गया है। किसी को चार्जशीट दी गयी है। हम लोग एक स्कीम बनाकर, स्कीम के द्वारा ही पैसा देना चाहते हैं। अभी तक जितना पैसा दिया गया है, उसका हिसाब भी उनको जमा करना है, जिसका वैरिफिकेशन भी दें। जब तक वह नहीं देंगे, तब तक उनको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है। इसीलिए हमने केबिनेट से अभी तक मंजूरी नहीं मांगी है। जब तक यह नहीं होगा, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा है, सभी एमपीज़ को हमने अलग से बुलाकर कहा था कि आपकी जो भी कम्पलेंट है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने तो 119 टीम बनाकर अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग स्कीम्स को चेक करने के लिए भेजा, उसके अंदर जो गलतियां या कमियां पायी गयीं, उनके ऊपर एक्शन लेने

के लिए हमने हर सीएस और सीएम को पत्र लिखकर बताया है। जब भी पूर्तता होगी, हमें केबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो पैसा जरूर मिलेगा। इस स्कीम को पूरा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी तैयार हैं, लेकिन कोई भी गलती या गड़बड़ी इसमें स्वीकार नहीं की जाएगी, यह बात हमने पहले भी स्पष्ट की थी और अभी भी हम इस बात के बारे में स्पष्ट हैं कि जिस भी अधिकारी-कर्मचारी या कॉन्ट्रेक्टर ने गलत किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह स्पष्ट निर्देश हमें माननीय प्रधान मंत्री जी की ओर से मिले हैं, जिस पर हम लोग काम करेंगे।

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, आईएमआईएस के अनुसार इंटिग्रेटेड मेनेजमेंट इनफोर्मेशन सिस्टम में हमें 9735.55 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी। जिसमें योजना प्रमाणीकरण लागत 9426.05 करोड़ रुपये और भारत सरकार ने 309.05 करोड़ रुपये को अस्वीकार्य माना।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अस्वीकार्य मानने का जो कारण है, वह कारण बताया जाए। हमारी 97 प्रतिशत जो योजनाएं हैं, जो टीम गयी थी, उसने उनको उचित माना है, ठीक माना है। इसलिए जो खराब है, वह काट दी जाए और अच्छी है, उसका पैसा दे दिया जाए। जिस कॉन्ट्रेक्टर ने बनाया है, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो अधिकारी उसके साथ सहभागिता कर रहा है, उसे सस्पेंड किया जाए।

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, जो टीम गयी थी और उसने जो भी कमियां पायीं, उस पर एक्शन लेने के लिए स्टेट को कहा है। अभी तक सभी स्टेट्स को जो पूर्तता करनी चाहिए, वह नहीं की है, हमने उनको रिमाइंडर भी दिया है। सभी मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ बात की है और जैसे ही यह पूर्तता होगी, उसको पैसा दिया जाएगा। जो सैंक्शन है, जिसकी डीपीआर स्टेट बनाता है, उस डीपीआर के आधार पर उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन काम पूरा करना होगा, इसका उन्हें ध्यान रखना होगा।

कुमारी सैलजा (सिरसा) : महोदय, सबसे पहले मैं अपने साथी माननीय भट्ट जी के साथ सहमति जताऊंगी कि उन्होंने जो सवाल उत्तराखंड के बारे में पूछा है, माननीय मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और घुमा-फिराकर सारे देश की बात करने लग जाते हैं और उत्तराखंड के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसका एक भी जवाब नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

कुमारी सैलजा (सिरसा) : सर, मेरा सवाल है कि हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत आज भी, 11 साल हो गए हैं वहां पर इनकी सरकार को और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वहां भी भाजपा की सरकार है, मेरी अपनी कांस्टिट्यूएंसी सिरसा में ऐसे गांव हैं, जहां आज तक पीने का पानी नहीं है। राज्य सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है? हरियाणा में आज भी गांवों में पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है?

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

कुमारी सैलजा (सिरसा) : सर, मेरा सवाल यही है कि लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? यह इतनी बड़ी-बड़ी बातें घुमा-फिराकर कर रहे।

(1140/MK/PBT)

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश भर में 15 करोड़ घरों में पानी दिया गया है। इसके अलावा और चार करोड़ घरों में पानी देने की योजना चल रही है। … (व्यवधान) उसके अंदर हरियाणा और उत्तराखंड भी आ जाता है। उसमें हर स्टेट आ जाता है। मगर जहां पर स्टेट ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, वहां पर अभी उनको पैसा नहीं मिला है। लेकिन, हर जगह पर जितना पैसा आवंटित करने के लिए सैंक्शन किया गया है, वह पूरा पैसा उनको दिया जा रहा है। जहां पर काम रूका हुआ है, जहां उन्होंने सैंक्शन लिया और पैसा नहीं उठाया, वहां कुछ जगहों पर काम रूका हुआ है। मैंने उत्तराखंड के लिए कहा है कि 90 परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और सिर्फ 10 परसेंट पैसा स्टेट लगा रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है, माननीय मंत्री जी आपको स्पष्ट जवाब दे रहे हैं।

श्री सी. आर. पाटिल : हरियाणा के अंदर भी जहां पानी का स्त्रोत कम है, जिस समय योजना शुरू की गई थी, उस समय पानी का स्त्रोत ठीक से नहीं देखा गया था। हमने वहां से रिपोर्ट ली कि हर गांव में हर योजना को सफल करने के लिए कौन-सी जगह पर पानी का स्त्रोत है। सरफेस वाटर से पानी देने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा है। यह सब करके पानी देने के लिए योजना बनाई गई है। हरियाणा को पूरा पानी देने के लिए पूरी कोशिश चल रही है और पानी देने की योजना को स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। हम उनको टेक्निकल और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। यह योजना उसी के आधार पर चल रही है।

(इति)

(प्रश्न 66)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वैश्चन है कि जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए 90 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10 परसेंट शेयर स्टेट गवर्नमेंट देती है। नार्थ-ईस्ट के राज्यों के पास रेवेन्यू इनकम नहीं है। स्टेट रेवेन्यू कम है। वह नगण्य के बराबर है।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रपोजल है कि नार्थ-ईस्ट राज्यों के लिए 100 परसेंट प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे दी जाए?

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदय, 10 परसेंट स्कॉलरशिप की संख्या 5 है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो क्लास 9 और 10 के लिए तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 11 और उसके ऊपर के लिए है, ये दो स्कॉलरशिप्स 90 और 10 रेश्यो में हैं। बाकी, तीन स्कॉलरशिप्स, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एंड टॉप क्लास ओवरसीज़ के लिए है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। इसमें हम 100 परसेंट देते हैं। अभी तक दूसरे स्टेट्स के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार का 75 और 25 का रेश्यो है। नार्थ-ईस्ट के लिए रेश्यो 90 और 10 है। अभी तक यही चल रहा है। भारत सरकार द्वारा आगे ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई कोई विचार नहीं है। अभी रेश्यो 90 और 10 है। 10 परसेंट राज्य सरकार को देना होगा। अभी तक यही स्थिति है।

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वैश्चन यह है कि वर्ष 2019-20 से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती हैं, वर्ष 2019-20 में ही रिव्यू करके इसकी राशि तय हुई थी। अभी उसको पांच साल हो गए हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास उसको बढ़ाने का कोई प्रपोजल है?

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसी कोई स्कॉलरशिप पेंडिंग नहीं है। अभी हम अप-टू-डेट वर्ष 2023-24 का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 308.6 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 का 163.69 करोड़ रुपये दे चुके हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 2668.69 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 का 2598.34 करोड़ रुपये दे चुके हैं। हमारे पास कुछी भी पेंडिंग नहीं है। अगर राज्य सरकार पेंडिंग के बारे में मांगेगी तो हम देंगे। जहां तक पुराने रिवीजन की बात है, उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इस बारे में जानकारी लिखित रूप में माननीय सदस्य को दे दूंगा।

(1145/ALK/SNT)

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Thank you, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

Whenever Centre is sending money to the State, it gets stuck in the State. They do not release the fund at the earliest. The money which has been sent to the State was released to the students recently only. Now, I would like to ask this. Is there any interest incurred by the State when they keep the

money for a very, very long time instead of directly transferring the money to the students? Even now, they have given it partly. If the Centre is releasing 100 per cent money, why is the State reluctant to release directly to the students? We know that there is a federal structure that is running the Government, but at least there should be some directions from the State Government itself to send the money directly to the students. They should not keep the money as to get the interest. This is a malpractice.

श्री जुएल ओराम : सर, फेडरल स्ट्रक्चर में हमें राज्यों को पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर हम इसका उपाय सोच रहे हैं। माननीय सदस्य ने सही बात बताई है कि हम पैसा राज्यों को दे देते हैं। राज्य सरकार उस पैसे को 1 साल या 6 महीना अपनी ट्रेजरी में रखती है। हम अभी एक पूल बनाएंगे, तो उस पैसे को राज्य सरकारें यूज नहीं कर सकती हैं। वह पैसा खर्च करना अनिवार्य है, उसके बाद ही हम यहां से पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अभी जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का सिस्टम है, उसमें बहुत गड़बड़ी है, राज्य सरकारें इसमें बहुत डिले करती हैं। हम उन्हें चिट्ठी लिखते रहते हैं, लेकिन वह नहीं करती हैं। इसके लिए भारत सरकार उपाय सोच रही है, यह समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं।

(इति)

(प्रश्न 67)

माननीय अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर – उपस्थित नहीं।

श्री मियां अल्ताफ अहमद।

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी जो यहां पर हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहां पर अभी तक बिजली की सहूलियत नहीं पहुंची है, मोबाइव टावर्स की सहूलियत नहीं पहुंची है, सोलर लाइट्स का जो प्रोग्राम है वह नहीं पहुंचा है। खास तौर पर मैं जम्मू और कश्मीर का जिक्र करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वह इसकी तरफ पूरा ध्यान दें, खास तौर पर उनके लिए जो अपने लाइवस्टाक के साथ रिज में जाते हैं, अपने माल और मवेशी के साथ जाते हैं उनको मोबाइल टावर की कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको सोलर लाइट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है और उसके साथ-साथ जो बिजली का मामला है, उन लोगों के पास आज तक बिजली नहीं पहुंची है। क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है कि उनको आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सके, उन तक बिजली पहुंचे।

धन्यवाद।

श्री जुएल ओराम : सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह 'पीएम जनमन योजना' से संबंधित है। पीएम जनमन का मतलब, जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबुल ट्राइबल ग्रुप्स (पीबीटीजी) हैं, उनके लिए है। उसमें 9 मंत्रालय काम कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जलशक्ति, वूमेन एंड चाइल्ड, एजुकेशन, पावर, रिन्युएबल एनर्जी और कम्युनिकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स। हमने जो हाउसहोल्ड टारगेट लिया था, वह 1,45,083 विलेजेज़ का है, उसमें से करीब 9000 विलेजेज़ में हमने दिया है। जम्मू-कश्मीर का पर्टिकुलरली पीबीटीजी नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अभी जो धरती आबा प्रोग्राम लांच हुआ है यह 63,000 गांव में किया जाएगा और 17 मंत्रालय और 25 इंटरवेंशन इसमें हैं। उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, वाटर सप्लाई भी है और बाकी चीजें भी हैं। माननीय सदस्य अपने एरिया का देख लें, अगर वहां के गांव उसमें इन्कलूड हैं, तो उसके लिए चिट्ठी लिख दीजिए, नहीं तो मैं उन्हें लिखकर दे दूंगा। अगर उस क्षेत्र के गांव उसमें नहीं है, तो आगे चलकर वह उसमें होंगे। यह तीन साल का प्रोग्राम है। भारत सरकार इसमें 80,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। भारत सरकार में इतना बड़ा खर्च जनजाति के लिए कभी नहीं हुआ था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पेशियली धरती आबा प्रोग्राम 2 अक्टूबर को हजारीबाग से लांच किया था और यह चल रहा है... (व्यवधान) 750 डिस्ट्रिक्ट्स में से 549 डिस्ट्रिक्ट्स, 2911 ब्लाक्स और 63,843 गांव इसमें इन्कलूड हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के भी होंगे, अभी उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। मैं लिखित रूप में उनको उस एरिया का दे सकता हूं।

(1150/CP/RTU)

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : मैं माननीय प्रधान मंत्री और ट्राइबल मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं कि किसी सरकार ने पीवीटी ट्राइब के ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट के लिए पहली बार सोचा है। हम

वहां पर होने वाले खर्च को देखते हैं तो उसके पर्सेंट के आधार पर खर्च नहीं हो रहा है। जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, जहां पीवीटी ट्राइब है, वहां 9 मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ट्राइबल डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर की सोच को पूरा कर सकता है।

श्री जुएल ओराम : इसके लिए थ्री टियर मॉनीटरिंग सिस्टम है। मैं उसका चेयरमैन हूं। कैबिनेट सेक्रेटरी स्वयं इसे देखते हैं और चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल पर इसकी डायरेक्ट मॉनीटरिंग कर रहे हैं। यह रियल टाइम मॉनीटरिंग है। यह ऑनलाइन पोर्टल में है और जियो टैग भी है। कोई काम हो गया तो वह उसे अपलोड करेगा और नहीं हुआ तो वह पकड़ा जाएगा। इसकी बहुत सख्त मॉनीटरिंग हो रही है। थ्री टियर मॉनीटरिंग सिस्टम में बहुत पक्का काम हो रहा है। इसमें 75 पर्सेंट एचीवमेंट है और 25 पर्सेंट काम बाकी है। हमें इसको आगे पूरा कर देंगे।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): In February 2025, Kerala's Government cut funding for 27 out of the 49 tribal welfare schemes in the States due to the financial crisis affecting the State Government. I am just wondering to see is there some way that the Central Government can help and compensate when the State Government is not able to fulfil its duties towards the tribal people. Is there any way? For example, the benefits of PM JANMAN could be extended to Kerala. Similarly, when it comes to tribal scholarships, we have a number of tribal students who are really affected by the financial incapacity of the State Government to fulfil their commitments. Nearly 27 out of 49 schemes have been dramatically slashed. Can the Centre help?

श्री जुएल ओराम : सर, जो रेगुलर स्कीम है, वह स्टेट गवर्नमेंट को जा रही है। दो स्पेशल स्कीम्स हैं - पीएम जनमन और धरती आबा। All are implemented by the Central Ministry. इसमें स्टेट का इनवॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। इसे डायरेक्टली सेंट्रल मिनिस्ट्री कर रही है। उदाहरणस्वरूप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पीएम जनमन में 54,236 हाउसहोल्ड बनाएगा। इसे आरडी मिनिस्ट्री करेगी। उसमें राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं है। इसमें से 13 हजार कंप्लीट हैं। इसी तरह से रूरल रोड 5,114 किलोमीटर बनेगी, जिसमें ऑलमोस्ट काम चालू हो गया है। इसमें राज्य सरकार का इनवॉल्वमेंट नहीं है। पीएम जनमन और धरती आबा, दोनों सेंट्रल सैक्टर स्कीम्स हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है। एससीए टू टीएसपी, आर्टिकल 275 और बाकी जो स्कीम्स हैं, इसके पहले जो स्कॉलरशिप का क्वैश्चन था, उनमें राज्य सरकार का इनवॉल्वमेंट है और उतना पर्सेंट उन्हें देना पड़ेगा। फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार जब अधिकार मानते हैं तो उनको थोड़ा देना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है।

(इति)

(Q.68)

SHRI P.C. MOHAN: As per the reply given by the Ministry, there is a steady growth in EV registrations in Karnataka, Sir. As of now, this year about 1,70,000 vehicles have been registered. The quantum of assistance sanctioned to Karnataka under Central Schemes including FAME 2 and PM E-DRIVE can relate to EV infrastructure programme together with the utilisation status of such funds.

(1155/AK/SK)

My second supplementary is this. Have any measures been proposed to streamline approvals, strengthen grid readiness at charging locations, and ensure timely execution of upcoming EV charging projects through improved coordination among Central agencies, State authorities, and private charging network operators?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, presently 57 lakh EVs are registered in India. EV sales rate was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV cars increased by 24.8 per cent, and petrol and diesel cars increased by 4.2 per cent. Two-wheeler EVs increased by 33 per cent, and petrol and diesel increased by 14 per cent. The three-wheeler EVs increased by 18 per cent, and petrol and diesel increased by 6 per cent.

In Karnataka, the EV growth is 16.6 per cent, and in Bengaluru it is 9.9 per cent. India's EV market potential is of Rs. 20 lakh crore by 2030 with Rs.1 crore annual sales of vehicles creating five crore new jobs by 2030. Nearly 400 plus startups in electric two-wheelers resulted in sales increasing by 21 per cent since 2024.

Lithium is very important. I remember when we had taken a decision for electric vehicles, the cost of the lithium-ion battery was $150 per kilowatt per hour. But presently, it is coming to $55 per kilowatt per hour. This is really a good indication. At the same time, there is good news for our country that in Jammu and Kashmir six million tonne of lithium reserves are there, which is about six per cent of the world. The Mines Ministry is working on that, and it is very important for the futuristic development of our country. At the same time, we are already having a lot of research on the topic of battery chemistry with regard to lithium-ion, sodium-ion, zinc-ion and aluminium-ion. I am very much confident that this is the future.

But at the same time, the futuristic fuel is hydrogen. Hon. Petroleum Minister is here. I also bought a car which runs on hydrogen. The car is made by Toyota. It is just like Mercedes; that is giving the comforts of that level. The name of the car is 'Mirai'. Mirai is a Japanese word which means 'future'. Already, our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission, and that is going to be the future.

Presently, we are importer of energy. But I am confident that under the leadership of our Prime Minister in Atmanirbhar Bharat we will be exporter of energy to the whole world; and for that reason, our Government is giving the highest priority for development of alternative fuel and bio fuel.

Regarding electric charging system, it is also a challenging field because every time technology is changing. I remember, at the time when mobile phones came, I was in Mumbai. A phone had come made by Ericsson and charger for every mobile phone was different. So, we need fast charging system and at the same time we need a charging system that can be useful for trucks, buses, scooters, three-wheelers and two-wheelers. This is very important. Research is constantly going on and new innovations are taking place. Even in the electric two-wheelers 400 startups are working.

As regards the charging system, a lot of people are working on it. But this subject is related with three Ministries, namely the Power Ministry, Heavy Industries Ministry and my Ministry. The Government has already given a lot of incentives and subsidies. This is with the Ministry of Heavy Industries and already it is to be given to all the stakeholders in the country. At the same time, Karnataka is also a beneficiary, but that subject is with the Ministry of Heavy Industries.

The priority of our Government is alternative fuel and bio fuel because we have to import fossil fuel costing Rs. 22 lakh crore which creates a lot of pollution and because of pollution we all are facing issues. It is very important for the country. Our policy is an import substitute, cost-effective, pollution-free and indigenous one, and on the basis of that the Government is already supporting all the policies which are going to create alternative fuel and bio fuel in the automobile industry.

(pp. 21-30)

(1200/SJN/SRG)

The last thing which I want to tell you is this. It is a matter of great pride and pleasure for the country that when I took charge as the Minister, our automobile industry was 7th number in the world, and today, our number is third. We just surpassed Japan. The USA ranks first. The size of the US automobile industry is Rs. 79 lakh crore, followed by China, with an industry of Rs. 49 lakh crore, and India stands at number three with an industry of Rs. 22 lakh crore. My colleague, Mr. Puri is here. He is also working on the alternative fuel. Mr. Pralhad Joshi is also working. I am confident that with the use of electric vehicles, we will achieve 100 percent target. Our Government is working. Our Government have the Green Hydrogen Mission. The way in which we are proceeding towards the future, I am confident that the day will come within a few years when we become number one in the world. So, this is the bright future of this industry. We are very much supporting all the biofuels. For our ecology and environment, we have to prevent the air pollution. That is equally important for the Government.

(ends)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं – कुमारी सुधा आर., प्रो. सौगत राय, सुश्री इकरा चौधरी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री अमरा राम, श्री डी. एम. कथीर आनंद, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री मनीश तिवारी, श्री के. राधाकृष्णन, एडवोकेट चन्द्र शेखर, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री जिया उर रहमान, श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री आनंद भदौरिया। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। … (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, आप इस पर चर्चा कराइए। … (व्यवधान) इसमें संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। … (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, 22,00,000 बच्चों का सवाल है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के नेतागण एक साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, यह जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। … (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी, भिवाड़ी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी, भिवाड़ी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी, सोलन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी, सोलन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक, रोहतक के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक, रोहतक के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदऩ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र इम्फाल, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र इम्फाल, इम्फाल के वर्ष 2024-

2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

प्राक्कलन समिति
7वां प्रतिवेदन

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित ‘प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) और पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन’ विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2025-26) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति
11वां और 12वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों* की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

माननीय अध्यक्ष : श्री बसवराज बोम्मई – उपस्थित नहीं।

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी जी।

---

* प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 4 अक्तूबर, 2025 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किए गए, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT
11^{th} to 14^{th} Reports

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Sir, I rise to present the following Reports[#] (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development:-

(1) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifty-Fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Schemes/Programmes of Central Silk Board for and Promotion of Silk Industry’ relating to the Ministry of Textiles.

(2) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifty-Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Development of Cotton Sector’ relating to the Ministry of Textiles.

(3) Thirteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their First Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants(2024-25)' of the Ministry of Labour and Employment.

(4) Fourteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Second Report (Eighteenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2024-25)’ of the Ministry of Textiles.

[#]All the four Reports were presented to the Hon'ble Speaker on 4th October, 2025 under Direction 71 A (1) of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

(1205/DPK/SM)

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
155th to 159th Reports

SHRI VARUN CHAUDHRY (AMBALA): Sir, I rise to lay a copy each (Hindi and English versions) of the following Reports of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:

(1) 155th Report on Action Taken on 149th Report of the Committee on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Legislative Department (Ministry of Law and Justice).

(2) 156th Report on Action Taken on 147th Report of the Committee on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Department of Justice (Ministry of Law & Justice).

(3) 157th Report on Action Taken on 146th Report of the Committee on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Departments of Administrative Reforms & Public Grievances, and Pension & Pensioners' Welfare (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions).

(4) 158th Report on Action Taken on 148th Report of the Committee on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Department of Legal Affairs (Ministry of Law & Justice).

(5) 159th Report on Action Taken on 145th Report of the Committee on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Department of Personnel and Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions).

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2024-25)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति में बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल।

*लोक महत्व के मुद्दे

1207 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश के करोड़ों आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहां संविधान का अनुच्छेद 244(1), पांचवी अनुसूची का विशेष अधिकार, जो आदिवासी समुदाय को मिला है, वह आजादी से पूर्व अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद होने वाले लाखों आदिवासियों की शहादत का परिणाम है। संविधान यह कहता है कि देश की पांचवी अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं, उन पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में यूडीए, नगर पालिका, नगर परिषद अर्थात नगर निकाय का विस्तार या गठन करना असंवैधानिक है। अगर यह करना भी है, तो अनुच्छेद 243-जेडसी (1) और (3) कहता है कि आदिवसियों के अधिकार, संस्कृति परंपरा और स्वशासन की सुरक्षा करते हुए संसद विशेष कानून लाए। … (व्यवधान) वर्ष 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन वर्ष 2000 तक किसी को ध्यान नहीं आया और आदिवासियों की चिंता नहीं हुई। … (व्यवधान) वर्ष 2001 में नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र विस्तार विधेयक, 2001 यानी 'मेसा (MESA) कानून' राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। … (व्यवधान)

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं आपका ध्यान राजस्थान के बालोतरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सीईटीपी प्लांट के द्वारा गंभीर लापरवाही और उससे उत्पन्न हुई आपदा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह सीईटीपी प्लांट 18 एमएलडी क्षमता का है, लेकिन यह कागजों के अंदर ही चलता है। एक्चुअल में यह तीन से चार एमएलडी से ज्यादा क्षमता पर कभी नहीं चला है। मैं खुद उस प्लांट में विज़िट करके आया हूं। वहां आउटपुट और इनपुट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी बिना ट्रीटमेंट किए सीधा नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिस कारण लूनी नदी के आस-पास के क्षेत्र के किसानों के खेत बंजर हो चुके हैं। भूमिगत जल स्त्रोत पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसके निरीक्षण के उपरांत 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया। जिला कलेक्टर के कार्यालय से मात्र 300 मीटर दूर स्थित इस प्लांट की ओर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर कार्रवाई के बजाय इस प्लांट के संचालनकर्ता को राज्य सरकार के मंत्री द्वारा … (व्यवधान) मुझे अपनी बात कंप्लीट करने के लिए एक मिनट दीजिए। … (व्यवधान)

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मैं आज इस सदन में देश के अन्नदाता की करुण पुकार लेकर खड़ा हुआ हूं। मैं भन्डारा-गोंदिया से आता हूं, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन विडम्बना देखिए कि अन्नदाता किसान आज खुद-ब-खुद कर्ज, भूख और निराशा में जी रहा है। मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत किसान एक हेक्टेयर से नीचे की खेती वाले हैं।

---

* Please see pp. 328-329 for the List of Members who have associated.

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग क्या है? अपनी मांग जल्दी से बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप अपनी मांग रखिए।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : अध्यक्ष जी, मेरी एक मांग है। मेरे जो किसान भाई हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं दो मिनट्स में उनके बारे में कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अब आपके पास समय नहीं है।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मुझे बहुत दिनों के बाद आपका आशीर्वाद मिला है। मेरी मांग है कि अवकाली बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है, उससे किसानों के मुंह का निवाला चला गया है। उन्हें एक लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसान हुआ है। सरकार को कम से कम उनकी लागत देनी चाहिए। इसके कारण जो कंपनियां हैं, … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

(1210/PC/GM)

माननीय अध्यक्ष : श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, प्लीज़, अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर जी।

… (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और विशेष तौर पर रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित साम्बा जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। साम्बा से उधमपुर की तरफ जाने वाली जो रोड है, उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है। वहां लोगों का बहुत ज्यादा आना-जाना लगा रहता है, जिसके कारण वहां हैवी ट्रैफिक रहता है। खराब सड़क होने की वजह से वहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कई कीमती जानें जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है कि साम्बा से उधमपुर तक की जो रोड है, उसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और उसे फोर-लेन बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राम शिरोमणि वर्मा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शायद बातें कर रहे होंगे, इसलिए, आपको अपना नाम सुनाई नहीं दिया।

… (व्यवधान)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : स्पीकर सर, धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर के अति महत्वपूर्ण और गंभीर विषय - 'क्षेत्रवासियों की जान-माल की सुरक्षा' की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, नेपाल सीमा से सटे जंगल के आसपास गांव बसे हुए हैं। इनमें विकास खंड पचपड़वा, विकास खंड गैंसडी, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, सिरसिया, जमुनहा, हरिहरपुर रानी जैसे तमाम ब्लॉक्स के किनारे बसे लगभग 40 गांव हैं।

सर, हाल ही में बरहवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। मात्र डेढ़ साल का बच्चा था और मां की गोद से तेंदुआ उस बच्चे का उठाकर ले गया। यह बहुत ही दुखद घटना है। इसी तरह आए दिन इन गांवों में तेंदुए, बाघ, भेड़ियों और लकड़बग्घा आदि जंगली आदमखोर जानवरों द्वारा मवेशियों, छोटे बच्चों और लोगों को निशाना बना लिया जाता है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी।

… (व्यवधान)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदय, मात्र दो सेकेंड और दे दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बस मांग किया कीजिए कि जंगली जानवरों की यह समस्या है और यह हमारी मांग है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोलिए, जल्दी अपनी मांग रखिए।

… (व्यवधान)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी भारत सरकार और प्रदेश सरकार से यह मांग है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी - अब आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Speaker, Sir, I rise to draw the attention of the House to a serious and urgent problem of monkeys destroying the crops of farmers. It has become a nationwide problem. It is seriously affecting farmers in our district.

*Speaker Sir, the farmers are facing monkey menace in Vikarabad district and as a result, their crops are getting destroyed.

---

* Original in Telugu

I urge the Government to designate a nodal Ministry. When I filed an RTI with the DFO, he said the Forest Department is not in charge of human habitations and agriculture crops. Our concern is that neither the Agriculture Department nor the Animal Husbandry Department is the nodal ministry.

I demand that a nodal ministry be designated to take responsibility of managing monkeys, vermin, wild boars and neelgais, to formulate national guidelines for mitigation, prevention and management, and to launch a dedicated national programme so that the farmers' livelihood is not affected.

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ की एक अत्यंत गंभीर और वर्षों से उपेक्षित समस्या को इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज की विधान सभा निजामाबाद में भदोली पुल से आगे निजामाबाद पुल तक व मिर्जापुर ब्लॉक के पास से जहीरपुर, लाहिड़ीहा बाजार होते हुए माहुल और फूलपुर तक जाने वाला यह प्रमुख मार्ग इस क्षेत्र की जीवन रेखा है।

(1215/SPS/GTJ)

महोदय, लाखों लोगों के आवागमन, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुँच इसी सड़क पर निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मार्ग लंबे समय से अत्यंत जर्जर और खतरनाक स्थिति में है। वर्षा के मौसम में इस मार्ग की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सड़क के बड़े हिस्से जलभराव से भर जाते हैं और कई स्थानों पर यह सड़क नदी-नाले का रूप ले लेती है। गड्डों में भरे पानी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, किसानों की गाड़ियाँ, सबकी आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क लगभग कट जाता है। यह स्थिति जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके मूल जीवन के अधिकारों पर सीधा आघात है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकर।

… (व्यवधान)

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : मैंने इस मार्ग के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए कई बार प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार को पत्र लिखा। विभागीय अधिकारियों से निरंतर कई बार मेरे द्वारा संवाद किया गया। जनता ने भी कई बार धरना-प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा सरकार तक पहुँचाई, परंतु आज तक न तो स्वीकृति मिली, न ही किसी प्रकार के निर्माण कार्य की शुरुआत हो पाई। यह उदासीनता क्षेत्र के विकास को ठहराव की ओर ले जा रही है।

अतः मैं केंद्र सरकार से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूँ कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण की तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए।

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on a very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the Teachers Eligibility Test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010.

With deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now fear dismissal or stalled promotions after decades of service. These teachers were recuited through the rules in place at that time. Many teachers have worked for 15 to 30 years, including long streches in rural schools, and rendered their dedicated service to the nation, for which we have to salute them.

Sir, now, the teachers' demand is that those who were appointed before National Council for Teachers' Education's notification and before the enforcement of the Right to Education Act, be kept out of the test requirement. It is because after the recent Supreme Court judgment, other States have already impleaded and are doing the review.

Therefore, I request the hon. Union Minister for Education, through the Chair, to kindly intervene in the matter and take necessary steps to amend the RTE Act, 2009 and the NCTE Act, 1993 to ensure that the teachers, who were in service on August 23, 2010, are duly protected from TET because these teachers have already gained a lot of dedication. This has to be taken care of. Thank you very much, Sir.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : सर, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहती हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है कि पंजाब में ड्रग यूजर्स से ज्यादा ड्रग पेडलर्स हैं, जो नशा बेचते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि देश में ड्रग्स से सबसे ज्यादा डेथ पंजाब में हो रही हैं और सबसे ज्यादा ड्रग्स स्मलिंग भी पंजाब में हो रही है। देश में 1150 किलो ड्रग्स पिछले साल पकड़ी गई थी। हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि पंजाब की होल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा है कि आप इसके खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? अफसोस की बात है कि लोग दुखी होकर गांवों की दीवारों पर लिख रहे हैं कि यहां पर नशा बिकता है, तो सरकार उनको पकड़ने के बजाय पुलिस भेजकर उसको मिटवा रही है। … (व्यवधान)

सर, मुझे दो सेकंड दीजिए। मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। लोग यहां तक नशा कर रहे हैं कि वे अपने छोटे बच्चों को बेच रहे हैं। मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र और अन्य जिलों से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां नशा बेचा जा रहा है। सर, 43000 कॉल्स एक ही जेल के एक स्मग्लर … (व्यवधान)

सर, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करती हूं कि आधा पंजाब बीएसएफ के अंडर है। बीएसएफ कहती है कि वहां पर हर दूसरे दिन नशे की चीजें पकड़ी जा रही हैं। हमारी सरकार नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल फेल हो गई है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या केंद्र सरकार नशा रोककर लोगों और बच्चों की जान बचाने का काम करेगी? वहां पर बच्चों की माताएं रो रही हैं।

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में देशभर में बढ़ते गौ अत्याचार की चिंताजनक घटनाओं का गंभीर मुद्दा उठाना चाहती हूँ। भारत में लगभग 30 करोड़ गौ वंश है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की मजबूत धुरी है। केवल जनवरी, 2024 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में 699 गौ हत्या तथा 1,200 तस्करी के मामले दर्ज हुए। इसी अवधि में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सात दिनों में 70 प्रकरण दर्ज कर 527 पशुओं को मुक्त कराया गया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अवैध तस्करी और संगठित अपराधों के माध्यम से गौ वंश पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, 2024 में पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फुट-एंड-माउथ रोग, हैमरेजिक सेप्टीसीमिया तथा एंथ्रेक्स जैसे रोगों से सैकड़ों गौवंश की मृत्यु दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगभग 200 मृत गायों की घटनाएँ सामने आई है।

(1220/RHL/HDK)

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग क्या है?

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मेरा सुझाव है कि गौ तस्कर और गौ हत्या पर राष्ट्रीय स्तर की जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए। देशव्यापी गौ संरक्षण प्रबंधन मिशन प्रारंभ किया जाए। गौवंश की डिजिटल ट्रेंडिंग व माइक्रो चिपिंग तथा सौ प्रतिशत टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाए। यह केवल पशुओं के कल्याण का विषय नहीं है, बल्कि … (व्यवधान)

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों से देश में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। विशेष रूप से जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, स्वीट एंड ब्रिवरेजेज़ होते हैं, सोडाज़ होते हैं, बच्चे उनको बहुत ज्यादा पी रहे हैं। This is resulting in a health epidemic. ओबेसिटी ज्यादा हो रही है, देश में टाइप-टू डायबिटीज़, कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेज़ आदि बढ़ रही हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, 2025 में भी रिपोर्टेड है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। मेरी सरकार से यह मांग है कि पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की डेफिनेशन तय करनी है। दूसरा, फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करना है, कई सारे देशों मे करते हैं, उसका कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है और तीसरा हमें इस पर टैक्स ज्यादा लगा करके, बच्चों के लिए एडवरटाइजिंग बैन करने का काम करना है। देश की हेल्थ को बचाना है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष जायसवाल - उपस्थित नहीं।

श्री शशांक मणि जी।

श्री शशांक मणि (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देवरिया जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सिद्धपीठ मां देवरही मंदिर के प्रांगण को भव्य एवं विकसित कराने की

आवश्यकता पर इस सदन और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवरही माता का मंदिर न केवल देवरिया जिले की सांस्कृतिक आत्म है, बल्कि वहां के पर्यटन को भी वेग देगा। अमृत प्रयास के अंतर्गत इस पुराने मंदिर की न्यायोचित जांच की जाए, ताकि मंदिर परिसर का समग्र विकास किया जाए।

1222 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

इस मंदिर परिसर का प्राचीन मंदिरों की तरह चहूंमुखी विकास हो। जैसे कि उसमें धार्मिक आस्था के साथ-साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुविधाओं का भी समावेश हो। सभापति महोदया जी, मंदिर का कुल क्षेत्रफल छह एकड़ में तीन एकड़ की भूमि इसके लिए पर्याप्त होगी। इसके लिए हमने अमृत प्रयास के तहत एक आवेदन भी दिया है और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे पौहारी महाराज जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है,उनको भी इसमें पूरा-पूरा समर्थन रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देशभर में जो शिक्षक हैं, उनके एक प्रश्न को आज बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। 25 लाख शिक्षकों का भविष्य इस पर निर्भर है। टीईटी, टीचर्स इलिजिब्लिटी टेस्ट, आरटीई लागू होने के बाद तैयार किया गया और देशभर में 53 साल से कम आयु के जो शिक्षक हैं, उन सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा निर्णय केन्द्र शासन के माध्यम से दिया गया है। आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है। बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है। कुछ लोग कोर्ट में गए हुए हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई शिक्षक इस टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो उनको बडतर्फ करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है। कोर्ट में जाने की वजह से यह डेडलॉक हो गया है, मैं केन्द्र सरकार से गुहार करना चाहूंगा कि ये सारे शिक्षक अपने-अपने स्थानिक टेस्ट पास करके वहां पर रिक्रूट हुए हैं, तो केन्द्र सरकार इनकी पार्टी बनकर कोर्ट में जाए। हर एक के क्षेत्र में यह समस्या आई हुई है। हम चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडिविट लेकर इन लोगों पर अन्याय न हो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले और उनको राहत देने का काम करे।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति महोदया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माणे जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता,आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के दो लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं।

(1225/KN/PS)

सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आने के बाद यह तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा। लेकिन उससे पहले के लिए यह प्रावधान रहा कि पहले के जो शिक्षक हैं, उन्होंने यह परीक्षा पास की है या नहीं की है या उस समय की सेवा-शर्तों के अनुरूप उनको जो नियुक्ति मिली है, उसी के अनुरूप वे सेवाएं देंगे। लेकिन 1 सितंबर, 2025

को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया। मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा कि यह केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवारों में पूरी तरह से असुरक्षा का भाव है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, मेरी बात पूरी आने दीजिए। हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक परेशान हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि अध्यादेश लाकर, संविधान संशोधन करके देश के 25 लाख शिक्षकों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करें। अगर आप नहीं करते हैं तो यह केन्द्र सरकार ... (व्यवधान)।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी।

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Thank you, Madam Chairperson.

Madam, through you, I would like to draw the attention of the House to the pressures being faced by school-going children in India. Shourya Pradeep Patil, who originally belonged to Dhawaleshwar village in Khanapur Tehsil of my Sangli constituency, committed suicide owing to the tortures and harassments of his teachers. He was a student of St. Columba's School in Delhi. An FIR has been filed, but no arrest is made.

Madam, suicides have grown from 8000 to 13,000 in the past decade. आरटीई मेनडेट करता है कि आपको 25 टके स्टूडेंट्स अदर कम्युनिटी से लेने पड़ते हैं। लेकिन स्कूल्स नहीं चाहते हैं कि बच्चे वहां पढ़े, इसलिए उनको टॉर्चर किया जाता है और उनको स्कूल से छुड़वाया जाता है। So, I urge the Government to intervene in this matter and get these people arrested.

टीचर्स का एक एग्जाम्पल सैट करना पड़ेगा, ताकि आगे से टीचर कभी किसी स्टूडेंट को अगर तकलीफ देते हैं या खुद का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हैं तो वे दो बार सोचें।

मैडम, मेरी एक और मांग है। प्राइवेट स्कूल्स, जो 25 टके बच्चों को लेकर और उनको निकालने के लिए प्रेशर डालते हैं, उनका इनवैस्टिगेशन भी होना चाहिए। आरटीई एक्ट में बदलाव लाने चाहिए। जो स्कूल्स ऐसे लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, वे आगे से न ले पाए। शौर्य प्रदीप पाटील को न्याय मिलना चाहिए।

SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam Chairperson.

Madam, through you, I would like to bring one issue to the notice of the Government. The banana farmers in Andhra Pradesh are in a great distress. A

tonne of bananas, which were costing Rs. 25,000 rupees, are being sold at 50 paise a Kg. For 50 paise, you would not even get a biscuit or a matchbox. Just imagine, the farmers are not even getting the cost of cutting the bananas.

Madam, through you, I demand a few things from the Government. During the previous YSRCP Government, free crop insurance was being given to the farmers and an input subsidy was also being given, and there were a lot of special trains which were operated. So, I demand from the Government that a free crop insurance should be there. I also demand for an input subsidy and operation of more trains from Andhra Pradesh so that banana can be transported, and immediately, an MSP be announced for the benefit of banana farmers.

My constituency, especially the Koduru area, is a hub for banana farmers. So, I want a Central team also to visit and see the plight of the farmers there and take steps so that in future, such issues do not happen.

Thank you very much.

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी) : सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश में 50 साल बाद एक नए नोएडा की स्थापना कर रहे हैं। आदरणीय माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके आशीर्वाद से 56 हजार एकड़ में एक नया नोएडा मेरे क्षेत्र में बीडा करके बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव थे, जिन गांवों में सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया। अभी तक हमने 22 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली है। ये गांव हैं– बिकौली, राजापुर, बछौनी खेड़ा, बैडोरा, रक्सा और रक्सा के लगे हुए क्षेत्र हैं तथा ऐसे गांवों में 15-20 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़े हैं। उसकी वजह से मेरे किसान भाइयों को जरा दिक्कत आ रही है। हमारे अन्नदाताओं के लिए अगर केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ मदद कर दें और हम वहां के सर्कल रेट बढ़ा सके तो अच्छा होगा।

(1230/SNL/RAJ)

मैडम, दूसरा विषय भी बहुत जरूरी है कि 60 साल पहले आर्मी को झांसी में बहुत सारी जमीन दी गई थी। जहां पर एक बहुत बड़ा आर्मी बेस बना। वह जमीन 400 स्क्वायर किलोमीटर है। वह जमीन हमारे किसान भाइयों ने दी थी और उनको उसकी जगह पुनर्वास की जमीन दी गई है। अगर उसमें भी केन्द्र सरकार कुछ मदद कर देगी तो जब हम उनसे जमीन लेंगे तो उनको जमीन के बदले कुछ न कुछ मुआवजा मिल जाएगा।

*SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Thank you Madam. Kolkata is the largest city in India. The country's first metro rail was launched in 1986 to

* Original in Bengali

provide ease of transportation for the people of Kolkata, the busiest metropolis. The aim was to keep the city's public life moving through a fast-paced transport system. With time, the noise of Kolkata has increased. The population has increased. In comparison, the central government's allocation for the development of the metro rail has been gradually reduced. As a result, services are constantly being disrupted. The number of employees is decreasing. The suffering of passengers has reached its peak due to heavy crowding during office hours. In fact, trains are often canceled due to mechanical problems with the old rake. A suffocating environment is being created on the platform due to the pressure of thousands of passengers. The safety of passengers is being disrupted, passengers have to travel at the risk of their lives. And there are many accidents. Due to the lack of green corridors on any platform, people are suffering from the fear of losing their lives if the traffic pressure increases. Although the Railway Department is inaugurating the metro on new routes, the risk of not giving importance to the work of platform, rail truck renovation, truck fitting and signal upgrading on old routes is increasing. People are getting worried. Therefore, I request the Railway Ministry to take appropriate measures.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): Madam, I stand here to draw the attention of this august House to the plight of our *Annadatas*, our farmers, and the areca nut growers of Malnad and other parts of Karnataka.

Our distressed farmers are facing an unprecedented crisis, and I urge the Government’s intervention in this regard. Especially, areca nut growers are facing problems related to yellow leaf disease and leaf spot disease due to continuous heavy rains for the last four months in our constituency.

In addition to this, I also wish to draw the Government’s attention to the critical issue of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS). In this regard, the predefined parameters in the term sheet are updated only once every three years at the Taluk level. The core concern is that many weather stations are not functional.

Therefore, I request the Ministry of Agriculture to intervene in this and ensure that compensation for 2024–25 is recalculated using the nearest and most climatically accurate weather station data and that the daily rainfall SMS service is reinstated.

I urge the Government to extend immediate relief and targeted measures to control the devastating yellow leaf disease and leaf spot disease. I also request the Government to explore the possibility of providing an immediate special assistance package to compensate for the losses and support our distressed farmers.

We must ensure that our excellent schemes are implemented with utmost attention so that our distressed farmers always receive the protection and support they deserve. Thank you.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Madam, a Central Committee has been formed, and the Committee has submitted a report saying that JEE, NEET, and CUET should be conducted as early as Class XI. It has suggested limiting coaching hours to two or three hours, holding exams twice a year, and even shifting to hybrid assessment using Board marks.

It is a flawed NEET policy, and the obsession with a single highstakes exam has benefitted only the rich, the coaching mafia, and the dummy school lobby.

Government school students, rural children, first-generation learners, and the SC/ST/OBC communities are all being pushed out of opportunity - not because of lack of talent, but because they cannot afford lakhs of rupees for coaching.

(1235/SMN/NK)

The same report also highlighted the structural failures, syllabus gaps across boards, weak formative assessments, even teacher’s support and rise of dummy schools. These are not accidental, Madam.

Hon. Education Minister must accept this reality. NEET has not ensured merit. It has commercialized education. It has strengthened private educational empires and weakened schools.

Through you, Madam, I would like to urge the hon. Minister for an immediate action for full review of NEET and its impact on equity. A roadmap to strenghten school education and an urgent measure to end the coaching dummy school nexus is very much needed.

Thank you, Madam.

*SHRI JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA (COOCHBEHAR): Hon. Chairperson Madam, I would like to inform the hon. Minister of Civil Aviation through you that my Cooch Behar district is the place of the Kings. There is an air base there from the time when it used to be part of a princely state, where flights used to operate for a long time. Since 2023, only a 9-seater plane has been operating. From next January 31, that airline has announced that they will no longer operate flights at that airport. That is, the entire airport will remain abandoned. I would like to inform you through you that Cooch Behar was once an independent state. Later, Cooch Behar was included in India. According to the status of that district, there is only one airport so that the flight services are not disrupted and so that people get the opportunity to have this flight service. I am making this request.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Thank you Madam Chairperson.

Today is Navy day. On this great auspicious day, 4th December, 1971, the Indian Navy launched a planned strategic attack on Pakistan that tilted in favour of India. On this auspicious day, on behalf of Members of 18th Lok Sabha, I extend warm greetings to serving officers and men of the Indian Navy, their families, veterans and their families and also a special salute to the martyrs and the serviving Members. I take this opportunity Madam Chairperson to say that there is a crisis as far as the veterans are concerned in the ECH facility, where the Government has stopped the the disbursement of money because of which empanelled hospitals have stoppped medical facilities for the veterans.

I appeal to you and there are a large number of Members of Parliament who have signed this letter through your office.

I will be appealing to the hon. Defence Minister to immediately release the funds. Thank you, Madam.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : माननीय सभापति महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने द्वीप समूह के लिए बहुत सारा काम किया है। एक अनुरोध है, वर्ष 1984 से अंडमान निकोबार स्थानीय आवास के आधार पर ग्रुप बी

---

* Original in Bengali

और ग्रुप सी की नौकरी मिलती थी। वर्ष 1990 में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कानूनी मंजूरी नहीं मिलने के कारण आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रुप बी और सी में एंट्री के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। अंडमान में बाहर के लोगों की भर्ती हो रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंडमान निकोबार में लद्दाख की तरह कानून बनाया जाए। लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट वर्ष 2021 में बनाया गया था, इसी तरह का कानून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी बनाया जाए। ऐसा ही कानून कश्मीर में बनाया गया, नागालैंड में बनाया गया और लद्दाख में भी बनाया गया। अंडमान में ग्रुप बी और सी की नौकरी अंडमान के बच्चों को मिले। जय हिन्द, भारत माता की जय।

(1240/KDS/RP)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से नॉर्थ-ईस्ट रेलवे स्टेशन जोन के हथुआ- भटनी रेलवे लाइन जो 79.64 किलोमीटर है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हथुआ-भटनी रेलवे लाइन को बनाने के लिए वर्ष 2019 तक 277.13 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है तथा 31 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन पंचदेवरी-भटनी सेक्शन जो 48.6 किलोमीटर है, जिसके लिए लैंड एक्वेजिशन का काम बाकी है, जिस कारण काम रुका पड़ा है। अंत: आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पंचदेवरी से भटनी यानी 48.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के कार्य हेतु आवश्यक धनराशि व प्रशासनिक स्वीकृति देकर यथाशीघ्र काम शुरू किया जाए, ताकि रेलवे को रेवेन्यू भी प्राप्त हो और मेरे संसदीय क्षेत्र के 32 लाख लोगों को देश के विभिन्न कोनों में पहुंचने में आसानी हो। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : धन्यवाद माननीय सभापति महोदया,माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इश्यू को उठाया है वह उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र संख्या 2,215, दिनांक 25 अगस्त, 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। वर्ष 2010 में यह योग्यता निर्धारित की गई। इसके आधार पर बाद में जो भर्ती होगी, उस पर यह लागू होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण जिन्होंने 20,25,30 सालों तक नौकरी की है, उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि नेट, यूजीसी ने निर्धारित किया था कि डिग्री कॉलेजों में जो अध्यापक पहले से कार्यरत थे, उन पर नेट क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। इसी प्रकार मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि यह जो बाध्यता आ रही है, इस हेतु सदन में कोई कानून बनाया जाए, ताकि जो अध्यापक पहले से कार्यरत हैं, उनको पात्रता परीक्षा न देनी पड़े। यह आपके माध्यम से मेरी मांग है। धन्यवाद।

कुमारी बॉसुरी स्वराज (नई दिल्ली) : धन्यवाद सभापति महोदया। आपके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगी कि पूरे वैश्विक स्तर पर जनसंख्या रैपिडली एज कर रही है। यह प्रोजेक्ट किया गया है कि भारत में जहां वर्ष 2009 में सीनियर सिटिजन्स हमारी जनसंख्या का मात्र 7 प्रतिशत थे, वे वर्ष 2050 तकजनसंख्या का 20 प्रतिशत हिस्सा बन जाएंगे। यानी जब हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे, तब हमारे देश में सीनियर सिटिजन्स की जनसंख्या

भी काफी बड़ी होगी। अत: आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय स्तर की जिरियाट्रिक केयर रोडमैप जरूर बनाई जाए।

महोदया, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी और व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम "आयुष्मान भारत" लाकर भारत में बहुत रॉबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है। आयुष्मान भारत में "वय वंदना योजना" लाकर जहां 70 वर्ष से बड़े जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वे चाहे जैसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों, उनको 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिलता है। इससे उन्होंने यह तो सुनिश्चित कर दिया कि आयुष्मान भारत अब केवल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम बन जाए, लेकिन यदि नैशनल लेवल का जिरियाट्रिक केयर रोडमैप होगा, तो उसमें जिरियाट्रिक केयर की ट्रेन्ड वर्कफोर्स भी हो व कम्युनिटी हाउसिंग भी हो, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

*SARDAR SARABJEET SINGH KHALSA (FARIDKOT): Madam Chairperson, my constituency is facing acute problem of drinking water as well as for agriculture and the Government must take some remedial measures for this problem. Due to this problem pertaining to water, cancer is also spreading very fast. There is a Health University in my constituency and the Government should release substantial funds for this University so that the patients and researchers may be provided better facilities there. Therefore, I request you to make necessary arrangements for water as well as funding. Thank you.

(1245/CS/VPN)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य श्री प्रदीप पुरोहित जी।

… (व्यवधान)

@SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY):Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. Thank you for this opportunity. Puducherry faced heavy rains and cyclone last month. I must say that giant sea waves and heavy rains have caused erosion along the coast impacting the lives of fishermen community. Solai Nagar(North), Solai Nagar (South), Chinna Kalapet, Periya Kalapet, Ganapathichettikulam, Pillaichavady are some of the places affected by sea erosion. In order to protect the lives of people belonging to fishing community in all these areas, a fishing hook bend type of protection walls should be constructed along the sea coast of Puducherry.

---

* Original in Punjabi

@ Original in Tamil

If the UT Government of Puducherry is unable to set up fishing hook bend type protection walls (sea walls) along the sea coast of Puducherry, I urge that the Union Government should come forward to help in setting up of such seawalls along the coast of Puducherry.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री धवल पटेल जी।

… (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वाराणसी जनपद में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे जिले से सांसद चुने गए तो उन्होंने कहा कि हम क्योटो बना देंगे। मुझे क्योटो देखने का मौका मिला और क्योटो में मैंने देखा कि गलियों को सजाया गया, पुरानी इमारतों को संरक्षित किया गया और उनका रख-रखाव किया गया, जिससे सुन्दर भी हो गया और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा हो गई। यहां पर बिना कानून लागू किए जबरदस्ती *… (Not recorded)* की भांति जिस तरीके से उनके मकान ढहाये जा रहे हैं, उनकी दुकानें उखाड़ी जा रही हैं और बिना विस्थापित किए, बिना मुआवजा दिए उनको बेघर कर दिया जा रहा है।… (व्यवधान)

मैडम, मैं अपनी मांग तो कर लूँ।

माननीय सभापति : आप अपनी मांग कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सैंकड़ों वर्षों से उनका कारोबार है। उनके बच्चे अनाथ हो रहे हैं। उन्हें विस्थापित किया जाए और जैसा गुजरात कॉरिडोर में लोगों को मुआवजा मिला है, उसी भांति हमारे क्षेत्र में भी मुआवजा दिया जाए।… (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तब से सतना एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स एवं मेडिकल फ्लाइट्स का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। सतना एयरपोर्ट पर यात्रियों एवं उड़ानों के सुगम आवागमन से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन के उपरांत से ही सतना एयरपोर्ट से प्रदेश और देश के कई शहरों को जोड़ने की मांग सतना की जनता से आने लगी है, लेकिन आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत न होने के कारण राज्य सरकार से अंतरदेशीय कनेक्टिविटी में जिन कंपनियों ने एमओयू कर रखा है, उनका कहना है कि सतना से भोपाल, इन्दौर और प्रदेश के बाहर 19 सीटर विमान तभी चला पायेंगे जब आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत करके एयरलाइंस को आरसीएस रूट में अनुबंधित किया जायेगा।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सतना एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान चलाने हेतु सतना हवाई अड्डे को आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत कर

एयरलाइंस को आरसीएस रूट से अनुबंधित किये जाने हेतु स्वीकृति देने की कृपा करें। साथ ही सतना एयरपोर्ट की लंबाई बढ़ायी जाए और नाइट लैंडिंग की सुविधा दी जाए।

मानवीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वे इस पर रेस्पांड कर दें।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री रविन्द्र चव्हाण जी।

*SHRI RAVINDRA VASANTRAO CHAVAN (NANDED): Hon'ble Chairperson thank you. It has been seen that the Leopards are roaming freely these days in Maharashtra. This Leopard movements has also affected my Nanded district. Farmers and people at large are scared due to their public appearance. There are cases where Leopards are attacking the citizens and farmers. I want to request to government through you that arrangements must be made to keep the leopards behind the bars. Thank you.

(1250/MNS/UB)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : सभापति महोदया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने और मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि जो पुलिस रिपोर्ट है, जैसे इंश्योर्ड सामान की चोरी के लिए नॉन पेरिशबल सर्टिफिकेट और अननेचुरल मौत के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने करने के लिए, डिजिटलाइजेशन एवं ऑटो-डिलीवरी किया जाए, जिससे कि फिजिकल इंट्रक्शन काफी कम हो जाएगा, जिससे रेट सिकिंग के मौके कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सर्विसेज तक आसानी से बराबर एक्सेस मिलेगा। इससे इंश्योरेंस क्लेम और लीगल सेटलमेंट में तेजी आएगी, जिससे हर साल हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई ऐसी ही घटना का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिश्वत के मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इस सर्विस को मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम, सीसीटीएनएस से पोर्टल के साथ जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन और ई-साइन की हुई कानूनी तौर पर वेलिड रिपोर्ट जारी करने की सुविधा मिल सके। इस कदम से सीधे तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी के 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' के विजन को सपोर्ट करते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने और मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने में मददगार होगा, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, जो अप्राकृतिक मृत्यु होती हैं, और जो इंश्योरेंस क्लेम के सामान चोरी होते हैं, उनकी पुलिस रिपोर्ट लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती है। अगर इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो लोगों को बहुत आसानी होगी, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि यदि सरकार इसके लिए डिजिटलाइजेशन करेगी तो सभी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।

---

* Original in Marathi

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो पूरे सीमांचल क्षेत्र में नदियों का जाल बिछा हुआ है। वहां पर फ्लड एवं कटाव का हमेशा प्रकोप बना रहता है। मेरे क्षेत्र खासतौर पर कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों के कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लुप्त होते जा रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहां कोई दूसरा उद्योग नहीं है, वे कृषि पर ही निर्भर हैं। ऐसी हालत में लगातार इस तरह से कटाव और लुप्त होने का सिलसिला चल रहा है, इससे धीरे-धीरे जमीन समाप्त होती जा रही है और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज एक तरह से मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से यही चाहता हूं कि खासतौर पर जो गांव लुप्त हो गए हैं, उनके पुर्नवास की व्यवस्था की जाए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : महोदया, मैं आपके माध्यम से किसानों के एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की घोषणा थी कि किसान की आमदनी दो गुनी होगी। गन्ना किसान परेशान हैं। किसानों के गन्ने का भाव तीन साल के बाद बढ़ा और अपर्याप्त बढ़ा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, जबकि हरियाणा में 415, पंजाब में 416 और उत्तराखंड में 405 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, जबकि हमारी रिकवरी ज्यादा है एवं उनकी रिकवरी कम है।

मान्यवर, बजाज ग्रुप की 14 शुगर मिल्स ऐसी हैं, जिन पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों का बकाया है। गन्ने का किसान तबाह है, बर्बाद है। खेती की लागत बढ़ी है। सभी तरह के पेस्टीसाइड्स की कीमत 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ी है, खाद की कीमत बढ़ी है। किसान तबाह हो रहा है। धान का किसान तबाह हो रहा है। आलू का किसान तबाह हुआ, अब गन्ने का किसान तबाह है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने स्तर से हस्तक्षेप करे और उत्तर प्रदेश की रिकवरी के आधार पर पंजाब और हरियाणा से तुलनात्मक 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव किया जाए और जिन मिलों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों के गन्ने का पैसा बकाया है, उन पर कार्रवाई की जाए एवं फर्जी खाद बेचने वालों के खिलाफ फांसी की सजा देने का काम किया जाए।

डॉ. धर्मवीर गांधी (पटियाला) : महोदया, मैं पंजाब से हूं। हमारे प्रदेश पंजाब को इस बार अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ा। हमारी तीनों नदियां सतलुज, व्यास और रावी में बाढ़ आने के कारण और हमारे तीनों बांधों में ज्यादा पानी छोड़ने के कारण पंजाब में लाखों एकड़ जमीन तबाह हुई और पंजाब के किसान आर्थिक रूप से तबाह हुए हैं।

(1255/MLC/NKL)

आज सैकड़ों किसान मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, हजारों मकान टूटे हैं, बिखरे हैं और अनेक पशु बहकर पाकिस्तान चले गए हैं। ऐसी संकट भरी स्थिति में पंजाब को मदद की बहुत जरूरत थी, परंतु अफसोस है कि वह पंजाब जिसने देश की जंग-ए-आजादी में भूतपूर्व हिस्सा डाला, फांसियों के रस्से चूमे, वह पंजाब देश की रक्षा के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा और उसने तीनों जंगों में बहुत कुर्बानियाँ दीं। वह पंजाब जिसने देश को मोटे अनाजों की पैदावार के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, अनाज बाहर भेजने के काबिल बनाया, उस पंजाब को जब सहायता की जरूरत पड़ी तो केन्द्र ने कोई भी सहायता नहीं की।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री गुरमती सिंह मीत हायेर जी।

*SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): Thank you, Madam Chairperson. I would like to draw the attention of the House towards a very important issue. Madam Chairperson, for the last couple of days, the people of Punjab are being subjected to various taxes by the Central government and patience of the people of Punjab is being tested. At times, the attempts are being made to centralize the Punjab University, Chandigarh. Sometimes, the dissolution of the Punjab University Senate is being attempted. Most critical and vital matter is that the discussion for the change of status of Chandigarh was initiated. As per statute, the Governor of Punjab is also the Administrator of Chandigarh. Attempts have been made that like other Union territories, the Lt. Governor should be also appointed for Chandigarh. As Chandigarh was carved out from the land belonging to the villages of Punjab and as promised by the Government, Chandigarh was to be handed over to Punjab but, again, a reverse process was initiated. Punjab is the only State in the country that doesn't have its own capital and we demand that Chandigarh should be given to Punjab in its entirety.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्रीमती बाग मिताली जी।

* Original in Punjabi

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Namashkar, Honourable Chairperson Madam. Thank you for letting me speak. Raja Rammohan Roy has a special place in the history of the country. He was a social reformer who spent his entire life fighting for women's rights. He was one of the first social reformers who spoke strongly against harsh social customs like Sati, child marriage etc. Bengali women worship him. In fact, after years of tireless struggle, he became famous and respected as the father of modern India. It is a matter of pride that he was born in Arambagh, Thanakul, Radhanagar areas and I represent this constituency. But, sadly, the BJP has never respected him. A BJP minister called him a foreigner. He called him a Britisher. I strongly protest against him. BJP means misogynist, BJP means anti-Bangla, BJP means anti-wisdom. Therefore, I strongly protest against the comment made by the Madhya Pradesh Higher Education Minister about Raja Rammohan Roy and demand punishment for that minister. Thank you for letting me speak.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान जी।

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : सभापति जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय खेल मंत्री जी के माध्यम से हर लोक सभा क्षेत्र में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए खेल क्षेत्र में खेलों को खेलने वाले भाई-बहन आगे बढ़ें, इसके लिए सांसद खेल महोत्सव चल रहा है।

माननीय सभापति जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भाई-बहन बहुत अच्छे निशानेबाज हैं। इनके खेल को प्रोत्साहित करने और बेहतर प्रशिक्षण के लिए मैं भारतीय खेल प्राधिकरण का केन्द्र मेरे लोक सभा क्षेत्र में खोलने की मांग करती हूँ। धन्यवाद।

---

* Original in Bengali

(1300/GG/VR)

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदया, मैं मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर में वॉटर मेट्रो परियोजना के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक्चुअली मुंबई में जो एसआरए बढ़ रहा है, जो डेवल्पमेंट हो रहा है, उसकी वजह से यातायात के लिए रास्ते नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि प्राथमिक अध्ययन में वसई, मीरा रोड, भायंदर, बोरीवली, वरसोवा, वांद्रे, नरिमन पॉइंट, वाशी, बेलापुर और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एनएमआईए तक वॉटर मेट्रो का रूट प्रस्तावित है। इससे मार्ग परिवर्तन से दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के छोर पर भीड़भाड़ कम होगा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मुंबई और एमएमआर के लिए नहर, बैकवॉटर और समुद्री मार्गों का उपयोग कर के तत्काल वॉटर मेट्रो परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि यह रेल और सड़क परिवहन के साथ जुड़ कर भविष्य की आवागमन आवश्यकता को पूरा कर सके। साथ ही, सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करे। यही मेरी मांग है।

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदया, हाल ही में उद्घाटित हुई मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन के स्टेशनों के नामकरण को लेकर जनता में भारी गुस्सा है, वही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों के नामों के आगे 'कॉर्पोरेट ब्रांड्स' का नाम जोड़ना हमारी संस्कृति का अपमान है।

उससे भी दुखद यह है कि वर्ली के नेहरू साइंस सेंटर स्टेशन का नाम बदलकर सिर्फ साइंस सेंटर कर दिया गया, जो देश के पहले प्रधानमंत्री की विरासत को मिटाने जैसा लगता है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह मांग है कि क्या मंत्रालय इन स्टेशनों के नामकरण की नीति को बदलेगा ताकि ऐतिहासिक और महापुरुषों के नामों को किसी भी ब्रांड से ऊपर रखा जाए? साथ ही मेरा यह भी कहना है कि लोगों की जन भावना को देखते हुए वर्ली स्टेशन का नाम फिर से नेहरू साइंस सेंटर किया जाएगा।

साथ में, मुझे आपको यह भी बताना है कि अंडरग्राउंड मेट्रो बन कर एक्वा लाइन – 3 जब जमीन के नीचे जाती है तो पूरी तरह से मेट्रो में मोबाईल का नेटवर्क गायब हो जाता है। इस समस्या का कारण MMRC और टेलीकॉम कंपनियों के बीच पैसों का विवाद है। … (व्यवधान) इस कारण से यात्रीगण यूपीआई माध्यम से टिकट खरीद भी नहीं पाते हैं।

सभापति महोदय, जब अगर ये बुनियादी सुविधाएं ही नहीं थी, तो जल्दबाजी में इस एक्वा लाइन की ओपनिंग क्यों की गयी?

DR. C.N. MANJUNATH(BANGALORE RURAL): Hon. Chairperson, I would like to thank you for giving me this opportunity to raise an issue of public importance. We have a greenfield national highway project called Satellite Town Ring Road (STRR) attached to NH-948A. A piece of 2,200 acres of land

was acquired in the year 2021 for this project. So far, no land compensation has been given to the farmers. Farmers are in distress and in tears.

Through you, Madam, I urge upon the Prime Minister's Office and the hon. Minister of Road Transport and Highways to expedite this project so that the long pending issue of compensation to farmers could be resolved.

The STRR project runs through Magadi, Ramanagara, Anekal and Harohalli which fall in my constituency, Bangalore Rural. I once again request the Government to expedite it. Thank you, Madam.

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Thank you, Madam. I would like to refer to the Union Budgets of 2015 and 2016. The then Finance Minister, late Shri Arun Jaitley ji, had announced the setting up of the Indian Institute of Science, Education and Research, IISER in Nagaland.

Accordingly, the State Government has acquired around 200 acres of land for that institute near Dimapur Airport and Shokhuvi railway station. But so far, the project has not been started. Through you, Madam, I request the concerned Minister to set up the IISER institute in Nagaland, and if that is not possible, please set up an IIT in our State. Thank you.

(1305/YSH/PBT)

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह और शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र, दादरा और नागर हवेली की ओर दिलाना चाहती हूँ, जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मैं मंत्री जी का ध्यान आदिवासी और स्थानीय युवाओं के भविष्य से जुड़े अत्यन्त संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को जारी शिक्षक भर्ती की कुल 281 सीट्स के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होने की बात कही गई थी, जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र के छात्र एवं छात्राएं मुख्य रूप से हिंदी, गुजराती और मराठी माध्यम से पढ़े हुए हैं।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया पूरे देश के लिए ओपन रखी गई है, जिससे सीमित सीटों पर स्थानीय आदिवासी युवाओं का अधिकार छिन रहा है। देश में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए विस्तृत नीतियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन और मांग करती हूँ कि इस विषय पर तुरंत हस्तक्षेप कर डोमिसाइल नीति लागू कर 70 प्रतिशत से ज्यादा सीट्स स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए आरक्षित की जाए। इसके साथ ही परीक्षा गुजराती और हिंदी भाषा में भी ली जाए। इसके अतिरिक्त 10 सालों से कठिन परिस्थितियों में सेवा

दे रहे संविदा शिक्षिकों के अनुभव को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि यह उनके अधिकार, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के सपनों का प्रश्न है इसलिए दीर्घकाल से कार्यरत संविदा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदया, अभी दादरा और नागर हवेली की सांसद जी ने जो मांग रखी है, वही मेरी भी मांग है। देश की आजादी के बाद भी हमारा प्रदेश 14 साल बाद आजाद हुआ था। आज भी हमारे यहां पर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, बल्कि एसएससी और एचएससी जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं है। हमारा प्रदेश का एजुकेशन स्तर पर बाकी राज्यों से बहुत नीचे है। हमारे यहां पर सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरे देश के लिए ओपन होती है इसलिए हमारे प्रदेश के युवाओं को बिना डोमिसाइल के लाभ के नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे प्रदेश की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति थी। प्रशासन ने डोमिसाइल नीति में संशोधन कर डोमिसाइल की जगह 20 अंक का प्रावधान कर दिया। उसे भी माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। इस तरह से हमारे प्रदेश में नौकरियों के लिए डोमिसाइल नीति भी खत्म हो गई है। आज स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र की सरकारी भर्तियों में हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में अन्य राज्यों की तरह, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि डोमिसाइल की अनिवार्यता की जानी चाहिए।

माननीय सदस्य ने यह भी बात कही है कि शिक्षकों की भर्ती में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के ही पढ़े हुए लोगों को नौकरी के लिए अनिवार्य किया गया है। उसमें गुजराती माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए।

हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने नमो मेडिकल कॉलेज की भेंट दी है, जिसमें पीजी के कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, परंतु पीजी की फीस 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये रखी गई है, जबकि दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में उसी श्रेणी के पीजी कोर्स की वार्षिक फीस केवल 54 हजार है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप अपनी बात खत्म कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदया, मैं अपनी बात खत्म कर ही रहा हूँ। हमारा प्रदेश गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश है। हमारे प्रदेश के गरीब लोग इतनी महंगी फीस नहीं भर पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस विषय का संज्ञान लेकर पीजी कोर्स की फीस दिल्ली मेडिकल कॉलेज और देश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जितनी करवाने की कृपा करें। साथ ही हमारे प्रदेश के एससी/एसटी, ओबीसी एवं माइनोरिटी सीट्स स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली) : माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा-कोलकाता के लिए वन्दे भारत ट्रेन

की सुविधा दी जाए और मुजफ्फरपुर से बैंगलुरु के लिए दैनिक तौर पर सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन किया जाए अथवा संघमित्रा ट्रेन (12295/12296) का दानापुर के बदले मुजफ्फरपुर स्टेशन तक विस्तार किया जाए, ताकि लोगो को पटना न जाकर मुजफ्फरपुर से यह सुविधा उपलब्ध हो सके। महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

(1310/STS/SNT)

श्री भरतभाई मनुभाई सुतारिया (अमरेली) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं किसान की आय दोगुनी करने के विषय पर बोलना चाहता हूं। जो मौजूदा बीज है, उसमें किसानों की आय नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि 3बीटी और 4बीटी को मान्यता देनी पड़ेगी। क्योंकि जो मौजूदा बीज है, उसमें किसान को बहुत खर्च आता है और उत्पादन भी कम आता है। जैसे मूंगफली का बीज नया आया है, तो उसमें उत्पादन बढ़ रहा है। वैसे ही मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि कपास की 4बीटी और 3बीटी को मान्यता देने के बारे में फिर से सोचना चाहिए।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र के दो जनपद- सीतापुर और लखीमपुर, जिसमें 17 विधान सभा क्षेत्र हैं, 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, लेकिन दिल्ली आने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। मैंने कई बार इस संबंध में रेल मंत्री जी से मिल कर व्यक्तिगत अनुरोध किया। लखनऊ से वाया हरदोई होते हुए कई ट्रेनें दिल्ली आती हैं- लखनऊ मेल, एसी स्पेशल डुप्लीकेट लखनऊ मेल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डुप्लीकेट एसी स्पेशल लखनऊ मेल को वाया सीतापुर होते हुए दिल्ली तक चलाने का काम किया जाए। साथ-ही-साथ हमारे क्षेत्र में धौरहरा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए बहराइच-सीतापुर वाया धौरहरा रेल मार्ग स्थापित किया जाए। साथ-ही-साथ मोहम्मदी को जोड़ने के लिए, जो कि भगवान शंकर जी की धरती है। छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्णनाथ मशहूर है। गोला गोकर्णनाथ से शाहजहांपुर वाया मोहम्मदी को जोड़ने का काम किया जाए। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) :__ Thank you Chairperson Madam. The issue I want to raise is not only significant for West Bengal but for the youth and educated people of the entire India. There is a deadlock with teachers all over India. My request is that if those who joined the services before 2011 are expelled again as per the order of the Supreme Court, then what is the real fault of these teachers? The trial has been going on for 15 years and these teachers got jobs after studying hard for it. To exclude those who got jobs, the Supreme Court gave an order on September 1 saying they have to pass the exam. There was no TET exam back then. They got the chance by clearing the exam

---

* Original in Bengali

conducted by the state government. More than 20 lakh teachers are stuck like this across the country. My request is that more than 75 thousand such teachers are facing this problem in West Bengal too. This is a very important issue, if we do not pay attention to it, it can be a terrible danger. I request the Union Education Minister to take immediate action on this and take steps to ensure that they are restored in their jobs.

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बागपत लोक सभा क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर ट्रॉमा सेंटर की अत्यंत आवश्यकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मार्ग ट्रायल-रन के लिए खोला गया है, जिसमें भारी संख्या में वाहनों का आवागमन रहा है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन ट्रायल के दौरान ही बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमान होने के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं।

महोदय, इस रूट पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के उपचार में दिक्कतें हुई हैं। कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। वर्तमान में इस पूरे मार्ग पर किसी भी आधुनिक ट्रॉमा सेंटर की उपलब्धता नहीं है। इसके कारण लोगों को दूरस्त अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वह दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रायल के दौरान भारी ट्रैफिक को देखते हुए तत्काल एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए बजट दें, ताकि आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान हो और दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की जान बचायी जा सके।

महोदय, मैं एक और मांग आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जा रहे हैं, उनके साथ में ही ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, ताकि लोगों को दुर्घटना से तत्काल राहत मिल सके और उनकी जान बच सके। यह कानून बनना चाहिए। धन्यवाद।

(1315/RTU/MM)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Madam Chairperson, I rise to raise a matter of public importance regarding the need for permanent activation of the Intra-Circle Roaming (ICR) facility for mobile subscribers in Odisha. At present, ICR is activated only during natural calamities which are infrequent luckily, but connectivity challenges persist throughout the year. Hence, this facility should be available not only during emergencies as technological advancement is meant to improve the quality of life.

Several districts of Western Odisha, particularly Balangir and Subarnapur, continue to suffer from chronic network gaps due to low 4G

penetration, weak signal strength and frequent power cuts. Many residents cannot afford multiple SIM cards as it is an economically backward area.

In view of these, I urge the Government to permit permanent ICR for mobile subscribers across Odisha which would ensure uninterrupted access to private network for calls, SMS, data, emergency services, digital access for students, reliable network for schools, banks and government schemes and thereby strengthen the telecom infrastructure across the State.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank You, Madam for giving me an opportunity to speak today during 'Zero Hour'. I would like to draw the attention of the Ministry of Heavy Industries to a matter of urgent concern in aspirational districts where migration is the biggest problem and continues to be so. What comprehensive measures are being taken to ensure that the companies operating in these districts prioritise the employment of local residence thereby reducing migration and strengthening the local economy?

Additionally, what steps have been taken to ensure that these companies strictly adhere to the pollution norms and the local roads damaged by them are maintained and repaired by them. Further, has the Government mandated any regulatory quota requiring companies to hire a specific percentage of workforce from the local population? If so, what is the population percentage?

I also seek to know what penalties, fines and punitive actions are imposed on companies that violate local employment norms, environmental rules and Government mandated regulations? How effectively has these been adhered to? What steps does the Government intend to take further to strengthen and tighten these rules?

Madam, please look into this because as a mandatory thing, the people of the local area really want jobs as migration is a big problem.

*SHRI NARESH GANPAT MHASKE (THANE): Hon. Madam Chairperson, I would like to draw your kind attention towards the issue of the delay in the construction of a new railway station between Thane-Muland in my constituency. The Prime Minister's dream was to provide ease of living and ease of traveling. In order to fulfill this dream, it was decided to build a new

* Original in Marathi

station to reduce the burden on Thane station, which provides transport facility to 10 lac passengers every day. Around 60% of the work has been done by the Thane Municipal Corporation under smart city project. The remaining 40% of the work was to be done by the Ministry of Railways, but the cost of 120 crores now increased to 245 crores. A positive decision has been taken by the Ministry in this regard but the order has not yet been issued by the Ministry of Railways. The Smart City Company was closed in July 2025 and the funds incoming have been stopped. The Municipal Corporation cannot complete this work on its own. So, I request the Ministry of Railways to bear this burden and complete the construction work at the earliest.

Thank you.

*SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Jai Jagannath.

Thank you for the opportunity chairperson Ma'am. Aska spinning mill was established in 1983 at my constituency Aska in Odisha by the Industrial Development Corporation of Odisha. Unfortunately because of the complacent attitude of the previous govt, the Mill is in a dilapidated condition now. In my area migrant labour problem is a big issue .unless this Spinning mill is revived soon with the intervention of the Central govt, migrant labour problem will be even more acute. Families are undergoing severe stress. If it gets revived people of my constituency will get employment and they will be ever grateful to you.

Thank you vande utkal Janani.

---

* Original in Odia

(1320/MK/AK)

SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): Thank you Madam Chairperson,

In my Dindori Lok Sabha constituency, especially in Nashik district, it rained heavily from May 5 to November end and due to this, the onion got soaked and spoiled, so the onion did not get a good and remunerative price.

Similarly, the grape crop is also produced in a large quantity in this area, but due to continuous rains, there was no sunlight needed for healthy grape production. So, the grapes got mildew and the fruit was damaged. This year, around 75% to 80% of the vineyards got damaged. Farmers trapped into debt. It costs lakhs of rupees to clean the orchard. It costs 5 to 6 lakhs per hectare every year, for which the state government has provided meager assistance. My request is that the central government should give a special package to the grape-growing farmers. At the same time, I demand that the onion crop must be given a guaranteed price and onion exports should also be started as early as possible.

Thank you.

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर): सभापति महोदया, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वदेश दर्शन में मेरे लोक सभा क्षेत्र जयपुर में गलता तीर्थ और सूर्य मंदिर है। उनको जोड़ा जाना चाहिए। मेरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारे धार्मिक स्थल ऊंची जगह और पहाड़ों पर स्थित हैं, जहां जाने में लोगों को परेशानी होती है। वरिष्ठ जन को जाने में बहुत परेशानी होती है। वहां पर रोपवे जैसा साधन होना चाहिए। उसके लिए वन विभाग और पर्यावरण विभाग से अनुमति नहीं मिलती है। वह अनुमति जल्द से जल्द मिलें और इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हों, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकें। मेरे लोक सभा क्षेत्र में अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि उसके लिए अनुमति दोनों विभाग नहीं देते हैं, उसमें विलंब होता है, उसको शीघ्र दिए जाने की व्यवस्था की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश से संचालित 100 करोड़ रुपये के CODEINE-BASED खांसी की दवाइयों के अवैध तस्करी सिंडिकेट की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह विषय सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं बल्कि हेल्थ और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय, पिछले महीने अक्टूबर में एक खतरनाक अवैध दवा के कारण कई मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में अब तक 98 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो

चुकी हैं। इसमें सिर्फ छोटे लोग नहीं हैं, बल्कि बड़े-बड़े और प्रभावशाली लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।

सभापति महोदया, जौनपुर में चार नई फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों में भी इस सिंडिकेट की गहरी जड़ें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। यह साफ है कि फर्जी कंपनियाँ बिना लाइसेंस की फार्मेसी, नकली दस्तावेज और हवाला के लेन-देन के जरिए यह कारोबार लंबे समय से चल रहे थे।

सभापति महोदया, जब उत्तर प्रदेश में इन दवाइयों पर प्रतिबंध था, तब भी सिरप की खुलेआम बिक्री हो रही थी। यह बेहद चिंताजनक है कि दवा लाइसेंस जारी होते रहे और बिना पर्ची के बिक्री होती रही। बिल और रजिस्टर भी फर्जी बने। जहर को इलाज बताकर आम जनता और बच्चों को पिलाया गया।

सभापति महोदया, जब इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली दवाइयाँ आम बाजार तक पहुँचती हैं, तो जनता के मन में यह सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र सो रहा था या शामिल था? मैं एक विपक्ष की सांसद होने के नाते यह सवाल साफ तौर पर उठाती हूँ कि जब तक राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्ट तंत्र पर उंगली नहीं उठेगी, तब तक ऐसे रैकेट नहीं रूकेंगे।

मैं सरकार से स्पष्ट मांग करती हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। जौनपुर, वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश, खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए इस अवैध सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।

(1325/ALK/SRG)

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : धन्यवाद सभापति महोदया, स्मारक टिकट प्रकाशन के मामले में ओडिशा के प्रति पिछले दिनों अवहेलना की गई है। विशेष रूप से ओडिशा की महान विभूतियों के नाम तुलनात्मक दृष्टि से कम स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि सर्व कनिष्ठ सहित 12 साल के वीर बालक बाजी राउत, स्वतंत्रता सेनानी पूर्व सांसद वीर वैष्णव पटनायक जी, स्वतंत्रता सेनानी राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नवकृष्ण चौधरी एवं अंगुल राज्य के अंतिम स्वतंत्र राजा, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई में बलिदान दे दिया, उनके नाम स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री जी. लक्ष्मीनारायण जी।

*SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Thank you Madam. Anantapur district receives scanty rainfall and is one of the most backward areas in our country. I would like to bring to the notice of this August house about the problems faced by the farmers of this district. Anantapur is one of the major producers of banana and is also the heart of the horticulture sector in

* Original in Telugu

Andhra Pradesh. Madam, in Anantapur, Kadapa and Kurnool districts around 40,000 hectares is under banana cultivation. Prices of Banana collapsed this season. Farmers are not getting even the expenditure spent for cultivation and harvesting. The situation is so pathetic that farmers are throwing away their produce on roads. They are cutting away their plantations and are shedding tears out of sadness.

The crop which was once a ray of hope for these farmers has now become a source of despair and disappointment. Our Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu, swiftly responded by instructing officials to provide transportation facilities for transporting the produce to the market. Though this transportation facility is essential for now there are problems which are plaguing our farmers. Though our farmers are producing better quality bananas than bananas from Maharashtra and Uttar Pradesh, our farmers do not have the capacity to compete in the national market. The main reason is the lack of transportation facilities for our farmers. Indian railways container charges and refrigeration charges are expensive and are in addition to transportation charges. Farmers will have to bear

empty container charges also. These reasons are weakening our farmers' ability to compete in the national market. As a result our farmers are not finding a place in the markets of Delhi and Mumbai. I also request that farmers' should be given financial assistance to come out of the crisis that they are facing in the present season. Madam, freight charges should be reviewed and revised so that our farmers can find it viable to market their produce to the national markets. These steps will reduce the burden of transportation charges on our farmers.

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : धन्यवाद सभापति महोदया, मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्रालय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ओडिशा में 60 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है, वह मिल के जरिये एफसीआई को जाता है, जो एफसीआई अधिकारी ओडिशा में हैं, वे 250 कुंतल की एक लॉट बनाते हैं। एक लॉट लेने के लिए एफसीआई अधिकारी बिना रसीद के 3500 रुपये लेते हैं, उसमें 60 लाख मीट्रिक टन के लिए 100 करोड़ रुपये की लूट एफसीआई वाले मिलों से करते हैं और दूसरा लेबर कांट्रैक्ट के जरिये, जो पैसा केन्द्र सरकार लेबर को देता है, वह भी मिल अधिकारी से जाता है, दोनों तरफ से जाता है, उसकी कोई रिसिप्ट नहीं देता है। यह जो 100 करोड़ रुपये का घोटाला एफसीआई अधिकारी ओडिशा में कर रहे हैं, उसकी जांच करने के लिए मैं फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से अनुरोध करता हूं।

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on a matter of public importance.

In my Cuddalore Constituency, there is a major railway station called Vriddhachalam Railway Station. Vande Bharat is moving from Nagarcoil to Chennai and Tirunelveli to Chennai. Tamil Nadu is split into Northern and Southern parts, keeping Trichy as a center. In Southern part from Trichy, Nagercoil, Kovilpatti, Virudunagar, Dindigul, Madurai, Trichy, there are six stops. But from Trichy to Chennai, there is only one stop, that is at Villupuram. Why is this disparity between Northern and Southern Tamil Nadu? Both parts of people have given land for laying the railway lines and railway stations.

(1330/SM/CP)

I humbly request through you, Madam, that the Vande Bharat train should stop at Virudhachalam station, so that people of Pennadam, Thittakudi and Virudhachalam in Cuddalore district will get the benefit.

[*]Tiruchirappalli is the central place of Tamil Nadu. Vande Bharat trains ply through Tiruchirappalli between (i) Chennai-Nagercoil and (ii) Chennai - Tirunelveli. These Vande Bharat trains, in all, have 7 stoppages and between Chennai and Tiruchirappalli it has only one stoppage at Viluppuram. I urge that these Vande Bharat trains should also have a stoppage at Virudhachalam Junction. Thank you.

[#]SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon.Chairperson, thank you Madam. Considering the flood like situation in my state Maharashtra, I asked a starred question on 2nd December regarding central aid for Maharashtra during for this flood like situation. In a written reply Government replied to me saying that there is no proposal received from the state for helping the affected people. It seems that the answers we get from government are false. It is affecting our rights as a member of Parliament.

मैं थोड़ा सो कोट कर दूं, वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़ के मद्देनजर राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का मौके पर आंकलन करने हेतु 16.10.2025 को एक आईएमसीटी का गठन किया गया। आईएमसीटी ने 3.11.2025 से 5.11.2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस मंत्रालय को महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई औपचारिक ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा उत्तर

---

[*] Original in Tamil

[#] Original in Marathi

में माननीय मंत्री जी ने कहा। कल खुद कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

यहां सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जी उन्हें उत्तर देते हैं। अगर जवाब गलत आ रहे हैं तो यह हमारा प्रिविलेज बनता है। हमारे अधिकारों का आप संरक्षण कीजिए। …(व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं, इसके बारे में सरकार बताए। …(व्यवधान)

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र मंडी अभी भी रेल सेवा से वंचित है। केंद्र सरकार ने बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन, बिलासपुर-बैरी रेल लिंक परियोजना जैसी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए दी हैं। उनके निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, तकनीकी सर्वेक्षण तथा बजटीय आबंटन में धीमी प्रगति के कारण अभी तक अपेक्षित गति नहीं आ पाई है।

अत: मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इन दोनों रेल परियोजनाओं को मिशन मोड में लाकर अतिरिक्त बजट और समयबद्ध निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ये महत्वपूर्ण रेल लाइनें शीघ्र आरम्भ होकर पूर्ण हो सकें।

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : महोदया, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ईआरसीपी योजना के तहत वहां पर डूंगरी बांध का निर्माण योजना लागू की जा रही है। वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और तकरीबन एक लाख व्यक्ति एकत्रित हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 76 गांवों को वहां उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक्ट के तहत जब कोई जमीन एक्वायर की जाती है तो ग्राम पंचायतों से अनुमति ली जाती है, बाढ़ पंचों की मीटिंग की जाती है। बगैर पंचायतों की अनुमति के वहां काम हो रहा है। वहां के लोगों की इसमें सहमति नहीं ली गई। वहां बगैर सहमति के डूंगरी बांध बनाने का ऐलान कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरी बांध को निरस्त करके वहां के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। वहां पर हमारी संस्कृति है, आजीविका के साधन है, 76 गांवों के धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, शमशान हैं, जल स्रोत हैं, ये सारी चीजें वहां पर नष्ट हो जाएंगी। मेरा निवेदन है कि सरकार फौरन इस काम को निरस्त करके वहां के लोगों को बचाने का काम करें। सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है कि एससी, एसटी के लोग जहां पर होते हैं, वहां पर डूंगरी बांध और अन्य संस्थान जैसी योजनाएं लाकर उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

(1335/GM/SK)

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): Hon. Chairperson, Madam, in the last Session, I raised Singareni retired pensioners' issue. Singreni is the heart of Peddapalle. When Shri Kaka Venkatswamy was the Labour Minister, he introduced this pension scheme. Unfortunately, even after

30-35 years of the scheme, the pension remains to be around Rs.5,200. After my last representation, they allotted Rs.20 per ton to the CMPF. But till today, the revision has not happened. I am, therefore, raising this issue again. Please put pressure on the CMPF to give what is pensioners' right. The pension has to be increased from Rs.500 to at least Rs.10,000 because they are not able to meet their expenses. Their daily expenses are way over Rs.8,000 to Rs.10,000. The retired pensioners filed a case in the court and the case is going on even today. I request that their pension may be increased.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, मैं इंदौर से आता हूं और इंदौर स्वच्छता में आठ बार से लगातार नंबर वन पर है। देश में इंदौर एयर इंडेक्स क्वालिटी में नंबर वन पर है। माननीय प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार डबल इंजन की सरकार में 25 सैक्टर्स में इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। फार्मा, बायोटेक, आईटी, स्टार्टअप, रक्षा, टैक्सटाइल, आटोमोबाइल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ तेजी से बढ़ रही हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि इंदौर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए नेशनल डिजिटल स्किल सैंटर बनाया जाए। पत्रिका समूह द्वारा सांसदों से विकास की जो अपेक्षा है, उसे मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): Hon. Chairperson, Madam, I rise to bring to the attention of this House the urgent need to address the significant delays in several infrastructure projects in Tenkasi District. The prolonged delay in the completion of rail overbridge at Pavoorchathiram by the Union Government has caused immense hardship and difficulty for commuters travelling on the busy Tirunelveli–Tenkasi four-lane highway. The issue persists despite the fact that the State Government has nearly completed its portion of the project years ago. Similarly, the railway overbridge located on the Kollam – Tirumangalam National Highway is also facing significant delays. This route is heavily used by the devotees travelling to the Sabarimala Ayyappan Temple particularly from southern parts of Tamil Nadu. As a result, there is increased traffic, especially in Tenkasi town. I ask the Union Government to take immediate action to complete these crucial projects in order to alienate traffic congestion and ensure the safety of the people of Tenkasi.

SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Madam, I rise to speak about very important railway issue in Washim district. On 29th August 2023, the Union Railway Ministry approved the permanent railway connectivity through a train between Nanded to Kurla via Washim-Akola. Such

services through train numbers 17662/66 and 17667/68 would have been very useful for Washim district. But, unfortunately, even after two years, the railway has not started this train yet.

Since our Washim district is an aspirational district, the value of every opportunity is very valuable for us. If a direct connectivity is provided from Washim to Mumbai, the problems of everyone from students to patients, from workers to traders will be immediately resolved.

If this facility is provided, the local people will be able to get employment. It will also provide indirect employment opportunities to the unemployed youth through the station facility. So, I request you to start the Nanded-Kurla railway immediately.

Thank you.

(1340/GTJ/SJN)

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, मैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। औरंगाबाद लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन हैं। जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें किराये के मकान, सामुदायिक भवन और अन्य विद्यालयों में टैग किया गया है, वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है, वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।

महोदया, पूरे राज्य के विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक विद्यालयों में बेंच और डेस्क उपलब्ध नहीं है। 20,000 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था है। एएसईआर 2024-25 की रिपोर्ट कहती है कि कक्षा 'एक' के 31 प्रतिशत बच्चे आज भी अंकों की पहचान नहीं कर पाते हैं और कक्षा 'पांच' के 40 प्रतिशत बच्चे साधारण जोड़-घटाव भी नहीं कर पाते हैं।

महोदया, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने और भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि वहां विद्यालयों का निर्माण हो सके। केन्द्र सरकार यह महत्ती कृपा करे।

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : सभापति जी, मैं इस पूरे हाउस और खासतौर से केन्द्र सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चंद वर्ष पहले कहा था कि हम जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ है। लद्दाख के लोगों के साथ बात-चीत हो रही है।

मेरी सरकार और विपक्ष के सदस्यों से यह गुजारिश है कि जम्मू-कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं, उनको मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखा जाए। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जो मर्कजी सरकार है, वह बहुत जल्द जम्मू-कश्मीर के चुने हुए

जनप्रतिनिधियों और बाकी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू करे, ताकि सारे मसलों का हल निकले।

महोदया, आपको खुद मालूम है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने 35 सालों से कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मैं चाहता हूं कि वहां पर अमन और शांति लौटे। 10 दिसबंर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। जितने भी हितधारक हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वे वहां अमन को एक मौका दें। फिलहाल मेरा घर और संसदीय क्षेत्र तिहाड़ जेल में है। मैं वहां पर 10 दिसंबर को एक दिन के लिए भूख हड़ताल करूंगा, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): Thank you, Madam.

I rise to draw the attention of this House to the recent passing away of late Shri Zubeen Garg. Late Shri Zubeen Garg was not just a singer, he was a cultural phenomenon and a symbol of Assamese identity, pride, and artistic excellence. He was one of the few cultural voices from Assam who carried the sound, emotion, and cultural narrative of the region to the international and national level. His contribition to India's cultural capital and its aspiration is widely recognised.

Madam, as a nation, we must pay our tribute to him and in that regard, I have a suggestion to name the Dhubri-Phulbari bridge after him. In honour of his unparalleled contribition and as a lasting tribute to one of the greatest cultural icons from North-East India, I urge the Government of India to consider naming the Dhubri-Phulbari bridge as the Zubeen Garg bridge.

Yesterday, I met the hon. Minister and he assured that he would consider the prayer. From the floor, I again request him to declare the Dhubri-Phulbari bridge as the Zubeen Garg bridge. Thank you, Madam.

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Chairperson, Madam, I rise to draw the attention of this august House to the agitating aaganwadi and mid-day-meal workers in Karanataka who are on indefinite protest deamanding diginity, fair wages, and social security.

Hon. Chairperson, Madam, these workers are mostly women, working from economically vulnerable backgrounds.

(1345/HDK/DPK)

These women ensure nutrition to the children, meals to school students, and support to pregnant and lactating mothers. But unfortunately, they themselves face financial insecurity and social neglect. Madam, it is deeply

ironical that those who fight malnutrition are themselves under-paid and malnourished. So, I request the hon. Central Government to revise the honorariums immediately, linking them to inflation. Secondly, the Central Government should extend social security, pension, and insurance coverage to them and recognise the nature of their work as essential public service. Lastly, let them hold the cosultations with the State Governments to ensure uniform minimum standards across the country.

Thank you.

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : सभापति महोदया, जब हम छोटे थे, तब घाघ की कहावतें प्रचलित थीं, जैसे – उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। उत्तर प्रदेश में आज धान का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। इस बार अच्छी वर्षा की वजह से उत्तर प्रदेश में धान बड़ी तादाद में हुआ है। सरकार ने 2,369 रुपए एमएसपी घोषित किया है और बाजार में वह लगभग 1,600, 1,700 या 1,800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसान खाद के लिए लाठी खाता रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर खाद को लेकर इतनी परेशानी हुई कि उन्हें बेइज़्ज़त होना पड़ा। वे भरे पानी में धान लगाते हैं। हमारी बेटियां और हमारी बहनें कितनी मेहनत से धान पैदा करती हैं, लेकिन सरकार उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) नहीं दे पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

सभापति महोदया, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि भारत सरकार उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) दिलाए, अन्यथा वह जाए।… (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Chairperson Madam, two days back, when I was placing a Report in this House, my name was mispronounced. I was called as ‘Badruddin’. I do not know when my name has been changed, but I belive you have called me in the right perspective. I request you the name should be corrected which was done two days ago.

I would like to draw the attention of this House regarding Jawahar Navodaya Vidyalaya. I was mentioning about Jawahar Navodaya Vidyalayas, which have proven to be centers of excellence across the country with consistently outstanding academic results of 98-99 pass percentage in class 10 and about 97-98 pass percentage in class 12. In 2017 alone, over 11,800 Jawahar Navodaya Vidyalaya students qualified for NEET, demonstrating their role in nurturing talent from rural and under-priviledged background.

Every other State in India have embraced these institutions since 1989. Yet, Tamil Nadu remains the sole exception depriving its children of equal opportunity. Recently, the Supreme Court of India has come out with an oral

observation and has urged both, the Union Government and the State Government of Tamil Nadu to hold consultations and arrive at a resolution on this matter. Tamil Nadu does not have any Navodaya Vidyalaya today. Since 1989, not a single Navodaya Vidyalaya has been constructed in Tamil Nadu, thereby depriving the depressed section of the society and the under priviledged students of that State. Therefore, I urge upon the Government to negotiate and come to a conclusion. Despite the Madras High Court's decision, litigation went on and now it has come to the Supreme Court and the Supreme Court has given this direction. Therefore, I urge upon the Union Government to take immediate steps in consultation with the State of Tamil Nadu to establish JNVs without further delay, ensuring justice, equity and quality education for all.

Thank you, Madam.

(1350/PC/PS)

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। मऊगंज जिले की लगभग संपूर्ण आबादी सुदूर, जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है। वहां शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ठ विद्यालय नहीं है। मऊगंज जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है।

अत: आपके माध्यम से मंत्री जी मेरा निवेदन है कि मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय तथा एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

*DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL (HOSHIARPUR): Thank you very much, Madam Chairperson for providing me an opportunity to speak on the issue of the expansion of Adampur Airport. Adampur airport is situated in Jalandhar district of Punjab where a large number of NRIs are living and major industrial activities including small and medium units are functioning there. So my demand though you is to declare this airport as an international airport.From next year i.e. from 2026 to 2027, the birth centenary (Prakash Parv) of Jagatguru Ravidas ji Maharaj will be celebrated throughout the year. In past, too, we had sent a proposal through Punjab Vidhan Sabha for renaming Adampur airport as Jagatguru Ravidas ji Maharaj Airport. So, I request the

* Original in Punjabi

Government, through you, to approve Adampur airport as Jagatguru Ravidas ji Maharaj International Airport.Government should name it and we will write it in golden letters. Thank you.

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद।

सभापति महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। हमारे आंवला क्षेत्र में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो छोटे कृषक हैं, जिनके पास कम खेती है, जो बेचारे किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनके लिए खाद नहीं मिल पा रही है।

सभापति महोदया, हमारे जो पिछड़े भाई हैं, दलित भाई हैं, कमजोर लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, वे एक-एक बोरी खाद के लिए लाइनों में लगते हैं, लेकिन, पता लगा कि सारी खाद सामंतवादियों के यहां जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराए। इसी के साथ वे छोटे किसान, जो खाद नहीं पा रहे हैं, उन तक खाद कैसे पहुंचे, यह व्यवस्था भी सरकार कराए। ये पीडीए के लोग जिस तरह वर्ष 2024 में इकट्ठा हुए थे, वैसे ही वर्ष 2027 में भी इकट्ठा होंगे, यह सरकार जान ले।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मुरादाबाद जनपद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत असीमित हैं। विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से, जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है।

मुरादाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की आबादी निवास करती है, किंतु, दुर्भाग्यवश पूरे मुरादाबाद जनपद और समवर्ती जिलों में कहीं भी समर्पित आयुष अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को छोटे-छोटे उपचार के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत् है। परंतु, मुरादाबाद जैसे बड़े जनसंख्या वाले जिले में आज भी एक आयुष अस्पताल नहीं है। यह चिंता का विषय है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि मुरादाबाद जनपद में शीघ्रतिशीघ्र एक नवीन और आधुनिक आयुष अस्पताल की स्थापना की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को आयुर्वेद का लाभ मिल सके।

धन्यवाद।

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : जय श्री राम।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल-कॉलेजों,

अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं।

(1355/SPS/SNL)

महोदय, मस्जिदों और मदरसों में अभी भी यह व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं, जहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस्लाम धर्म के जन्मस्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है?

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करे। यह कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न तो धार्मिक होती है, न पक्षपाती होती है, सुरक्षा हमेशा राष्ट्रहित और मानवहित में होती है। सरकार समान सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे, ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मज़बूत हो सके, क्योंकि सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। जय श्री राम।

[#]DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): Hon. Madam Chairperson, thank you. There is an ancient connection between Nashik's Tapovan and Kumbh mela which takes place once in every 12 years. It is believed that Shree Ram and Seeta stayed at Tapovan. It has been decided by the state government that a huge sadhugram in 1150 acres area will be constructed. For this sadhugram 1160 trees need to cut down. Nashikkars and environment activists are protesting against this decision. This tree chopping will be affecting birds and biodiversity in that jungle area. So, I request government not to cut the trees and construct the sadhugram at another place in Nashik.

Thank you.

[#] Original in Marathi

[*]**श्री असित कुमार मल (बोलपुर) :** As you know, in 2015, this Parliament passed a law for the job card holders across India with the promise of 100 days of work. Unfortunately, every state and union territory across India gets 100 days of work and money allocated for that, but West Bengal has been deprived for several years. We have been struggling, protesting, but nothing has been done. After that, the West Bengal government, led by Honourable Chief Minister Mamata Banerjee, transferred the money for this work to the accounts of 28 lakh job card holders. Recently, the Supreme Court has ordered that 100 days of work should be started in West Bengal. So, I want to tell this through you that the Supreme Court has ruled against the deprivation done by the central government that 100 days of work should start very soon and a wage of 600 rupees should be given to the laborers every day. Thank you.

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (भिवंडी) : सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके नामांतर की प्रक्रिया या मांग लगभग 11 सालों से हमारे यहां के भूमिपूत्र कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या 90 लाख से ऊपर है। उनकी मांग है कि इस एयरपोर्ट को दी.बा. पाटिल साहेब का नाम दिया जाए। वह इस संसद में दस साल सदस्य रहे हैं, 25 साल विधायक रहे हैं और विपक्ष के नेता भी रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्त्री भ्रूण हत्या कायदा पारित किया था, जो वर्ष 1989 में महाराष्ट्र में सबसे पहले पास हुआ था। उसका दखल केन्द्र सरकार ने लिया और 1994 में वह कायदा प्रस्तावित हुआ। किसानों को जगह के बदले जगह और खेती के बदले खेती का कायदा प्रस्तावित किया था। वह भी दी. बा. पाटिल साहेब ने किया था।

---

[*] Original in Bengali

(1400/RHL/SMN)

अगर आप इतने बड़े समाज सेवक का नाम देते हैं, लोगों की 11 साल से मांग है, संघर्ष चालू है और अभी यह अंतिम पड़ाव में आ गया है। 3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने सभी पार्टी के नेता को बुलाया और हमें आश्वस्त किया कि आने वालो दो-ढाई महीने में जब भी रेगुलर टेक ऑफ- लैंडिंग चालू होगी, उसी समय स्वर्गीय दी.बा. पाटिल साहब का नाम दिया जाएगा। इसको आज दो महीने हो गए, मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तीन दिन पहले हमारी भूमिपुत्रों की मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय हुआ कि आने वाले 15 दिन में वह नाम देंगे।

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्य। आपकी डिमांड आ गई है।

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (भिवंडी) : अगर ऐसा नहीं होगा, तो संघर्ष होगा। संघर्ष से अच्छा है कि हमारी मांग पूरी हो। मैं यही मांग करता हूं। धन्यवाद ।

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I wish to draw the attention of the Government to the urgent concern regarding the ongoing difficulties in uploading Waqf properties on the UMEED portal across the country. As per the Schedule, all Waqf Boards and Mutawallis must complete uploading by 5th December, 2025. However, multiple States report that only a small percentage of properties have been uploaded due to serious technical and practical hurdles. In several regions, the portal faces frequent glitches, missing data fields, slow processing, and repeated crashes. Many Mutawallis, especially in rural areas, struggle with lack of manpower, digital literacy and incomplete historical records, making the process extremely time-consuming. If the deadline is not extended, thousands of genuine Waqf properties may remain unregistered, leading to future disputes.

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : धन्यवाद मैडम, आपने लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया। उम्मीद पोर्टल के ऊपर पूरे देश से लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि उम्मीद पोर्टल के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है और वह खुल नहीं पा रहा है। न खुलने के कारण उसके अंदर जो तकनीकी कमी है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी का डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा है।

पूरे देश का मुसलमान इस बात को लेकर परेशान है और आपके माध्यम से मैं केवल एक डिमांड करना चाहता हूं कि इसकी समय-सीमा बढ़ा दी जाए। चूंकि अभी तक 40 प्रतिशत से अधिक प्रॉपर्टी अपलोड नहीं हो पाई है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति के

अंदर जो कानून बना है उसके अंदर आपने यह प्रावधान कर दिया है कि जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वह प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। धन्यवाद मैडम।

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर) : महोदया, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, मांझी, मछुआ, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गौड़िया, इन 17 अतिपिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने वर्ष 2019 के चुनाव के पहले एक विज्ञापन दिया, वही विज्ञापन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं,इसमें कुछ सत्यता है कि नहीं है? मोदी-योगी की सरकार में 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी किया। सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण दिए जाने का आदेश जारी। जो कहा सो किया। सबका साथ-सबका विकास।

माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी और माननीय स्वतंत्र देशसिंह। यह पूर्वांचल में बसने वाली उत्तर प्रदेश की 17 जातियां हैं, जो अब दाने-दाने को मोहताज हैं। या तो सरकार ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर कार्रवाई करे और अगर विज्ञापन फर्जी नहीं हैं, अगर यह बात सत्य है … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जो सदस्य आज बोलने से वंचित रह गए हैं उनको कल बोलने का मौका दिया जाएगा।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shrimati Bharti Pardhi	Shri Chandra Prakash Joshi Shri Rodmal Nagar Shrimati Smita Uday Wagh
Shri Anurag Sharma	Shri Chandra Prakash Joshi Shri Rodmal Nagar
Shri Tejasvi Surya	Shri Chandra Prakash Joshi Shri Rodmal Nagar Shrimati Anita Subhadarshini
Shri Shashank Mani	Shri Chandra Prakash Joshi Shri Rodmal Nagar

Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Rajabhau Parag Prakash Waje Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar Shri Bajrang Manohar Sonwane
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Ravindra Vasantrao Chavan	Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bajrang Manohar Sonwane Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	Shri Bajrang Manohar Sonwane Shri Nilesh Dnyandev Lanke
Shri Rajkumar Roat	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Dr. Prashant Yadaorao Padole	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Dharmendra Yadav	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri B. Manickam Tagore	Shri Saptagiri Sankar Ulaka

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1404 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need for flyover at Turkayamjal stretch on Nagarjuna Sagar road in Telangana alongwith conversion of Balanagar to Gandimaisamma X road stretch and Rajiv Rahadhari road in the State to National Highways

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): The Nagarjunasagar Road, particularly the Turkayamjal stretch, has been experiencing severe traffic congestion due to rapid urban expansion and increased vehicular movement. I urge the Government to sanction a flyover on this critical corridor to alleviate traffic bottlenecks, enhance road safety, and ensure smoother connectivity for commuters and freight vehicles. The Balanagar to Gandimaisamma X Roads stretch, which forms a vital part of the Medak-Nanded Highway, plays a key role in inter-state connectivity between Telangana and Maharashtra. I request the Government to include this stretch in the National Highway network and to sanction an elevated corridor to support uninterrupted long-distance travel and regional economic integration. The Rajiv Rahadhari, connecting Hyderabad to Karimnagar and northern Telangana, is a major arterial route serving lakhs of daily commuters and freight operators. I appeal for its inclusion in the National Highway system, which will ensure better infrastructure standards, sustained maintenance, and improved logistics across the region. Therefore, I appeal to the Honourable Minister of Road Transport and Highways to kindly consider these proposals for early approval and necessary action.

(ends)

Re: Need for permanent activation of Intra-circle Roaming facility for BSNL subscribers in Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I rise to raise a matter of urgent public importance regarding the need for permanent activation of the Intra-Circle Roaming (ICR) facility for BSNL subscribers in Odisha. At present, BSNL activates ICR only during natural calamities to ensure basic connectivity through access to the networks of other telecom operators. However, natural calamities are not a daily occurrence; they are infrequent, while connectivity challenges persist throughout the year. Hence, ICR should be available at all times, not only during emergencies. Several districts of Western Odisha, particularly Bolangir and Subarnapur (Sonepur), continue to suffer from chronic network gaps due to low tower density and weak signal strength. Technological advancement is intended to improve quality of life, not create additional barriers. Bolangir, being economically backward, has many residents who cannot afford multiple SIM cards, especially when an effective ICR system already exists. In view of these recurring issues, I urge the Government to permanently activate ICR for BSNL subscribers across Odisha; enable seamless access to private networks for calls, SMS, data, and emergency services; and strengthen BSNL’s telecom infrastructure across the State. (ends)

Re: Need to impress upon the State Government of Karnataka to expedite completion of Bangalore Suburban Railway Transport System

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Bangalore Suburban Railway Transport system aims at reducing road traffic congestion, improving connectivity between the city and its suburbs, and offering a more efficient and affordable mode of transport. It is a big project of Government of India and Karnataka Government. Therefore, it is necessary to initiate steady progress by addressing land acquisition problems, engaging contractors appropriately and with jurisdictional harmonization. The State Government need to take proactive measures to resolve land-related bottlenecks and finalize clearances. While Central Government is committed to provide funds and frameworks, it’s the State Government administration that must work efficiently for work execution. The delay may result in rising costs and prolonged inconvenience to commuters. This chronic delay and shifting prioritises the needs to strengthen mechanism for timely delivery of large-scale public infrastructure when it is most needed. Hence, I request the Union Government to urgently intervene in the matter.

(ends)

Re: The need for Integrated Check post and passenger Terminal at Badhni in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh and also introduce trains from Badhni to Metro cities of the country

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं केंद्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, व्यापार सुगमता और सुरक्षित आवागमन हेतु किए जा रहे निरंतर सुधारात्मक कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, सिद्धार्थनगर जनपद के बढ़नी में भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और पैसेंजर टर्मिनल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। बढ़नी रेलवे स्टेशन सीमा से सटा होने के कारण नेपाल से आने वाले यात्रियों, व्यापारियों, पर्यटकों एवं कार्गो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में सुविधाएँ खंडित होने के कारण यात्रियों को पैदल मार्ग, कस्टम प्रक्रिया, बस टर्मिनल, कार्गो क्षेत्र और स्टेशन तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इसीलिए एक सिंगल-इकोसिस्टम का निर्माण आवश्यक है, जहाँ: - एकीकृत पैदल एवं बस टर्मिनल, - आव्रजन व कस्टम कॉम्प्लेक्स, - कार्गो हैंडलिंग प्लाज़ा, - कम-शुल्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र, - तथा पर्यटन सूचना केंद्र (बौद्ध पर्यटन प्रकोष्ठ सहित) एक ही परिसर में जुड़े हों, ताकि यात्री सीमा पार करके सीधे पैदल कस्टम प्रक्रिया पूर्ण कर स्टेशन तक सहजता से पहुँच सकें, यानी “वन-नेशन, वन-टर्मिनल” का अनुभव। इसके अतिरिक्त, बढ़नी से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसी प्रमुख महानगरों के लिए अधिक ट्रेनों का संचालन अत्यंत लाभकारी होगा, जिससे सीमा से आने-जाने वाले यात्रियों को सुगम कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

(इति)

Re: Need to establish a sports academy and a sports training centre under ‘Khelo India’ programme in Satna Parliamentary Constituency

श्री गणेश सिंह (सतना) : मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना जिला मुख्यालय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से हमने इन्टरनेशनल नार्म्स के मल्टी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स 36 करोड़ रूपये की लागत से बनाए है। दादा सुखेन्द्र सिंह के नाम से एक स्टेडियम 11 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है, जिसमें फुटबॉल, वालीबॉल के साथ-साथ एथलेटिक्स के सभी खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के समीप धवारी में एक क्रिकेट स्टेडियम 9 करोड़ की लागत से तथा बाबूपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। इसी तरह से मेरे लोकसभा क्षेत्र मैहर जिले में भी करोड़ों रुपए की लागत से खेल स्टेडियम तैयार किए गए हैं। 2010-11 से मैं ''सांसद खेल ट्रॉफी'' अपने लोकसभा क्षेत्र में सभी खेलों के खिलाड़ियों के लिए खेलों का आयोजन करता आ रहा हूं, लगभग सभी विधान सभाओं में उच्च स्तरीय मानकों के स्टेडियम तैयार किए गए हैं, लेकिन इनको प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं है, मैंने मंत्री जी से खेलो इंडिया खेलों के तहत और इसके पूर्व साईं प्रशिक्षण केंद्र की मांग की थी, अब चूंकि साईं प्रशिक्षण केंद्र की जगह खेलों इंडिया खेलो योजना आ गई है, मैं आपके माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र एवं कोई एकेडमी दिये जाने की मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to put in place an integrated approach for effective executive response to communications with Members of Parliament

SHRI PRAVEEN KHANDELWAL (CHANDNI CHOWK): I wish to bring to attention of this House an important matter regarding the need to strengthen administrative responsiveness within government departments that receive communication from MPs and citizens. These communications highlight constituency-level concerns, service-delivery issues, and individual grievances that require timely examination so that people receive appropriate guidance or relief. It has been observed that several such communications remain pending at the departmental level for long durations, without acknowledgement or clarity on the stage of processing. While the workload on officials is well understood, these delays create challenges for citizens who rely on these channels for resolving genuine concerns. As elected representatives, timely updates from departments help us provide accurate information to the public and ensure smoother grievance redressal. I, therefore humbly request for adoption of uniform timelines for acknowledging and disposing of communications; introduction of simple, user-friendly tracking mechanisms for MPs and citizens to view the status of their communications; periodic internal reviews to ensure pending matters; and exploration of AI-based tools for auto-acknowledgement, categorisation of letters, and timely reminders to concerned sections. These measures will contribute to a citizen-centric administrative ecosystem, reinforcing public trust in governance processes.

(ends)

Re: Need to constitute a Legislative Assembly for Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : हमारी सरकार ने दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव (विलय) अधिनियम, 2019 के माध्यम से एकीकरण का एक दूरदर्शी और सफल कदम उठाया, जो 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और केंद्र की नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन के महान उद्देश्य को दर्शाता है। मेरे प्रदेश में सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक शासन करते हैं। जिस प्रकार पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभाएं कार्यरत हैं, उसी तर्ज़ पर दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव में भी शीघ्र विधानसभा का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। गोवा और मिजोरम जैसे पूर्व संघ राज्य क्षेत्रों का उदाहरण हमारे सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239(क) के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान सभाएं स्थापित करे। यह प्रावधान 'सशक्तिकरण' की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का आधार है और यह कदम देश के लोकतंत्र में विश्वास को और गहरा करेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह तथा मांग करती हूँ कि लोकतंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक संवैधानिक संशोधन लाकर दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक निर्वाचित विधानसभा का गठन करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। यह निर्णय क्षेत्र में जन-केंद्रित शासन को और भी अधिक सशक्त करेगा।

(इति)

Re: Need for an enquiry into misappropriation of CAMPA fund in Odisha

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : मैं इस सदन के माध्यम से ओडिशा में पिछली सरकार में Campa फंड के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यह फंड जंगल कटाई की भरपाई के लिए – वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण,गांवों के पुनर्वास, और पर्यावरण संतुलन के लिए–आवंटित किया गया था। लेकिन हाल ही में एक वरिष्ठ वन अधिकारी की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि इस धन का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जंगलों की स्थिति ज्यों की त्यों है। यह न सिर्फ पर्यावरण के साथ धोखा है, बल्कि जनभावनाओं और कानून दोनों के साथ विश्वासघात भी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त सज़ा दी जाए। इसके साथ ही, CAMPA फंड के उपयोग को पारदर्शी और जनभागीदारी आधारित बनाया जाए। हर जिले में इस फंड से ठोस कार्य जैसे वृक्षारोपण,जंगलों की सुरक्षा,मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन, पर्यावरण-अनुकूल उपकरणों का वितरण और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। यह केवल ओडिशा की हरियाली नहीं,बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का भी सवाल है। पिछली सरकार में इस फण्ड को डाइवर्ट करके अन्य जगह लगाने पर जांच होनी चाहिए।

(इति)

Re: Need to safeguard the Telugu speaking youth who are trapped and trafficked with fake job offers by cybercrime syndicate abroad

SHRI ARVIND DHARMAPURI (NIZAMABAD): I wish to draw the attention of this House to a dangerous and growing crisis, where Indian citizens, particularly youth from Telugu speaking states, are being lured abroad with fake job offers and trafficked to camps near the Thailand-Myanmar border, where they are being coerced to carry out financial cyber scams. Agents in India collect lakhs from these youths with the promise of employing them in Thailand. Once they receive the payment, the victims' passports are seized, and they are sold to cybercrime syndicates in insurgency-hit areas like Myawaddy, Myanmar. I have come to know from the families of the victims that they are indiscriminately beaten, locked in dark cells, denied food, and forced to run online scams. Local militias, sections of the military reportedly aid these operations for bribes, making rescue difficult. Many youngsters from my Parliamentary Constituency, Nizamabad, have fallen prey to this syndicate. They have been trafficked, tortured, and are now trapped with other Indians near the Myanmar–Thailand border. I request the Government to treat this as an emergency and coordinate immediate rescue and repatriation of all trapped Indians; launch awareness campaign to warn our youth about such overseas job scams, especially in vulnerable districts; and take strict legal action against agents and recruiters in India who are complicit in these crimes.

(ends)

Re: Need to include Jaitpur in the proposed Tughlakabad Sector-142, NOIDA Metro Corridor in Delhi NCR

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं आपका ध्यान अपनी दक्षिण दिल्ली लोक सभा क्षेत्र के जैतपुर क्षेत्र को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए दिलाना चाहता हूं। जैतपुर इलाका दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इससे तीनों राज्यों के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिल सकेगी। जैतपुर इलाके की आबादी बहुत ही सघन है और वहां सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। पता चला है कि मेट्रो का एक कॉरिडोर तुगलकाबाद से सेक्टर—142 नोएडा तक प्रस्तावित है। अत: मेरा अनुरोध है कि इस रूट में जैतपुर को भी शामिल किया जाए ताकि क्षेत्र के लाखों लोगों को मेट्रो का लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need to change the name of 'Gyanpur road railway station' in Bhadohi district, Uttar Pradesh as 'Gopiganj railway station'

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरे लोकसभा क्षेत्र भदोही (उत्तर प्रदेश) का गोपीगंज एक व्यापारिक नगर है। यह इलाका गोपीगंज नगर पालिका परिषद का हिस्सा है । इस नगर में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है जबकि ज्ञानपुर नगर गोपीगंज से करीब 7 किलोमीटर दूर है ऐसे में क्षेत्रवासियों की मांग है कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोपीगंज रेलवे स्टेशन किया जाए। इस रेलवे स्टेशन से दिल्ली मुंबई सिकंदराबाद समेत देश के कई प्रमुख स्थानों के लिए ट्रेन आती जाती है और रोजाना हजारों लोगों का आवागमन इसी रेलवे स्टेशन से होता है। गोपीगंज नगर की रेलवे स्टेशन से ज्ञानपुर नगर की दूरी अधिक होने की वजह से जो लोग पहली बार यहां आते हैं उनको स्टेशन के नाम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

(इति)

Re: Need to provide information about status and development of the Hisar Aviation Centre/ Airport in Haryana

श्री जय प्रकाश (हिसार) : मैं सरकार का ध्यान हरियाणा राज्य के महत्वपूर्ण उभरते विमानन केंद्र हिसार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में हिसार में विकसित की जा रही अवसंरचना को लेकर यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि इसे औपचारिक रूप से एयरोड्रोम की श्रेणी में रखा गया है या पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। हिसार परियोजना प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) के विस्तार में सहायक है, बल्कि भविष्य में विमानन प्रशिक्षण, रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO) गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकती है। स्थानीय नागरिकों, उद्योगों तथा यात्रियों की सुविधा हेतु आवश्यक उड़ान सेवाओं, रनवे विस्तार, नेविगेशन उपकरण, सुरक्षा मानकों और एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता है। यदि एयरपोर्ट के रूप में उन्नयन की प्रक्रिया प्रगति पर है, तो उसकी वर्तमान स्थिति और समयसीमा बताई जाए तथा क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान करने का कष्ट किया जाए। (इति)

Re: Need to declare Madurai Airport in Tamil Nadu as a Point of Call and grant international status to it

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I rise today to highlight the long-standing underutilization of Madurai Airport, which was declared a 24/7 facility on 1st October 2014. More than ten years later, the airport still lacks night flight operations, leaving its true potential untapped. Currently, Madurai handles around 110 services to major domestic hubs like Chennai and Bengaluru and to international destinations such as Dubai and Colombo, yet not a single flight operates after 10 p.m. Across South Tamil Nadu, citizens, industry leaders, MLAs, and MPs have repeatedly pointed out that the airport's exclusion as a Point of Call (PoC) under key bilateral air service agreements is the primary obstacle. Airlines such as AirAsia, Batik Air, Tiger Airways, and Air Arabia are ready to operate, but the absence of PoC status and permission for night operations continues to hinder tourism, trade, and economic growth in the region. Furthermore, the lack of full international status prevents visa-on-arrival facilities, causing significant inconvenience to passengers and discouraging foreign investors and tourists from choosing Madurai as their entry point. I urge the Union Government to immediately declare Madurai as a PoC, grant international status, and operationalize night flights, enabling it to serve as a dynamic economic gateway for southern Tamil Nadu.

(ends)

Re: Need to expedite commissioning of pending BSNL mobile Towers and BSNL 4G mobile services in a time bound manner

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : यह विषय देश की दूरसंचार अवसंरचना की गंभीर समस्या को उजागर करता है, विशेषकर बीएसएनएल के मोबाइल टावरों की भारी कमी, जो ग्रामीण, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को प्रभावित करती है। वर्तमान में बीएसएनएल के पास लगभग 1.2 लाख टावर हैं, जबकि निजी कंपनियों के पास 4 से 5 लाख टावर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सेवा के लिए बीएसएनएल को कम से कम 2.5 लाख टावरों की जरूरत है। सरकार ने बीएसएनएल को एक लाख नए 4जी टावर लगाने की अनुमति दी है, लेकिन अभी लगभग 70,000 ही चालू हो पाए हैं, जिसके कारण कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, कॉल ड्रॉप और धीमी डेटा सेवा बनी हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ने भी बीएसएनएल में प्रबंधन की खामियों को उजागर किया है, जैसे कि निजी कंपनियों से टावर उपयोग शुल्क के ₹1,700 करोड़ की वसूली न करना। मैं माननीय संचार मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे बीएसएनएल के लंबित टावरों को शीघ्र चालू कराएं, 4जी विस्तार समयबद्ध रूप से पूरा करें, देरी और राजस्व हानि के लिए जवाबदेही तय करें, और प्रबंधन सुधार लागू करें। मजबूत दूरसंचार अवसंरचना के बिना डिजिटल इंडिया का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।

(इति)

Re: Need to increase the amount of funds allocated under MPLADS and also to waive GST imposed on MPLADS

SHRI VARUN CHAUDHRY (AMBALA): The MPLADS started in the year 1993-94 to recommend development works for creation of durable community assets and which was last revised in terms of amount in the year 2011-12 needs immediate revision. The prices of construction materials have increased significantly and imposition of GST has further reduced the effective amount available for infrastructure creation. A number of State Assembly Members are being provided with more funds for recommendation for creation of community assets. A Parliamentary Constituency has a number of Assembly Constituencies and in the case of Haryana it is nine and the expectations of the constituents from the Member of Parliament is higher. Therefore, in the interest of the citizens of India the amount of funds allocated under MPLADS needs immediate increase and the imposition of GST on the MPLADS needs to be waived.

(ends)

Re: Need to review the decision to demolish the Rajiv Gandhi Speciality Hospital at Agatti in Lakshadweep until alternative health facilities are put in place

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): The Lakshadweep Administration has initiated steps toward the demolition of the Rajiv Gandhi Speciality Hospital, Agatti, a healthcare facility that has for years served as a lifeline for the people of Agatti and neighbouring islands. This hospital is accessed daily by a large number of islanders for essential and emergency medical needs, and its services are critical due to the geographical isolation of Lakshadweep and the limited availability of advanced medical facilities in the region. It is a matter of deep concern that the proposed demolition is being undertaken without ensuring any adequate substitute arrangement for the continuation of patient care. The absence of an alternative facility or interim healthcare infrastructure poses a serious risk to the health and well-being of the local population, including women, children, the elderly, and those with chronic or emergency medical conditions.I urge the Government to immediately intervene in the matter, halt any demolition until proper replacement facilities are established, and ensure that uninterrupted healthcare services are provided to the residents of Agatti and surrounding islands.

(ends)

Re: Railway related issues of Kairana parliamentary Constituency

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना की रेल मंत्रालय से संबंधित कतिपय मांगे अभी तक लंबित हैं। जनहित से जुड़ी समस्त मांगे बेहद आवश्यक है।

1. पानीपत – शामली – मेरठ नई रेल लाईन की डीपीआर प्रगति बेहद धीमी है। डीपीआर शीघ्र कराने का अनुरोध है।
2. दिल्ली-शामली-सहारनपुर रूट के दोहरीकरण का प्रस्ताव रेल बजट 2019 में पास हो चुका है। कार्य आरम्भ होना अति आवश्यक है। मार्ग बेहद पुराना है।
3. दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल मार्ग पर नगर पंचायत रामपुर मनिहारान मे दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन ROB का कार्य बहुत लंबे समय से लंबी थे जिसे तत्काल पूरा कराया जाना अति आवश्यक है।
4. ट्रेन संख्या 14545/14546 का ठहराव नगर पंचायत मुख्यालय थाना भवन पर होना अति आवश्यक है।
5. ट्रेन संख्या 64093/64092 पुरानी दिल्ली कासमपुर खेड़ी का अंतिम ठहराव कासिमपुर खेड़ी के स्थान पर शामली किया जाना अति आवश्यक है।
6. ट्रेन संख्या 14305/14306 जो कोविड से पहले गुजरान बलवा जनपद शामली उठती थी अब नहीं रुकती है। इसे पूर्व की भांति गुजरान बलवा पर हाल्ट दिया जाना अति आवश्यक है।
7. ट्रेन संख्या 54057/54058 दिल्ली-शामली के बीच चलती है। यदि इसका अंतिम ठहराव सहारनपुर कर दिया जाए तो थाना भवन ,जलालाबाद, नानौता, रायपुर, मनिहारान के निवासियों को इसका लाभ होगा। उपरोक्त ट्रेन का अतिंम ठहराव सहारनपुर किया जाए।

   शामली से माता वैष्णो देवी तथा प्रयागराज के लिए सीधी रेल सेवा आरम्भ होना अति आवश्यक है।

(इति)

Re: Implementation of Rotational Transfer Policy dated 23.06.2021 and Central Vigilance Commission guidelines for sensitive posts in Central Ground Water Board under Ministry of Jal Shakti

SHRI RAM SHIROMANI VERMA (SHRAWASTI): I would like to know whether the Rotational Transfer Policy dated 23-06-2021 and Central Vigilance Commission Guidelines for sensitive posts have been implemented in the Central Ground Water Board (CGWB), a subordinate office of Department of Water Resources under Ministry of Jal Shakti. If yes, please provide the list of total number and names of officers/officials who have been transferred from NWR Chandigarh and Headquarter (Faridabad) region in CGWB in the year 2025 and also provide list of total number and names of officers/officials who are yet to be transferred and tentative date on which they will be transferred under the said policy. (ends)

Re: Need to release pending funds under MGNREGS to West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I wish to raise the urgent issue of the continued withholding of MGNREGS funds to West Bengal, which has resulted in the disruption of livelihood guarantees for nearly 59 lakh registered workers. As per official records, the Union Government owes the State more than Rs. 243,000 crore in pending wage and material payments under the scheme, severely affecting the most vulnerable rural households. The Calcutta High Court, in its recent judgment, directed the Union Government to resume MGNREGS operations in West Bengal by 1st August 2025. Instead of complying with the order, the Union Government challenged it before the Hon'ble Supreme Court, which subsequently dismissed the petition and allowed the High Court's directions to stand. Despite the clear legal position, MGNREGS work has not been restored, nor have the dues been released to the workers of the State. It is deeply concerning that, even after judicial clarity at both High Court and Supreme Courts levels, the rightful entitlements of West Bengal's rural poor remain withheld. Across various schemes and commitments, the Union Government's cumulative outstanding dues to the State amount to nearly Rs. 22 lakh crore, further straining the principles of cooperative federalism. I urge the Union Government to immediately release all pending MGNREGS payments and ensure the resumption of the programme in West Bengal in the interest of rural employment, Constitutional obligations and the rights of the people.

(ends)

Re: Need to fix MRP of Generic medicines at affordable rates

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Generic Medicines are promoted with an intention to make them available at cheaper rates to the public. They do not bear extra costs like free samples to doctors, expiry/breakage and promotion done through Medical Representatives. As such, their landing cost upto the Stockist level is very low in comparison to Ethical Medicines. Since there is no control over the MRP, the companies keep it abnormally high in order to attract their end point sellers, the retailers. A study made on price lists of various drug companies revealed that the MRP of these Medicines is kept 5 times to 10 times more than the Stockist price. While selling to customers the retailers sometimes give discount so as to attract them while the dispensing Doctors and Private Hospital Outlets sell these Medicines on MRP and earning huge profits. Jan Aushadhi shops sell medicines at a much lower cost than MRP. It is a big relief. But these Jan Aushadi stores cannot meet the demand of a wide range of medicines with their limited number, area of coverage and stock availability. Moreover, when the Govt can supply medicines at a much lower MRP, it is a matter of great concern why these drug companies are allowed to fix the MRP of medicines abnormally high by making the cost of the treatment by poor patients very costly. Therefore, I urge upon the Govt that if it really wants to help the poor patients of this country with Generic Medicines it should take steps to bring their MRP at cost effective rates.

(ends)

Re: Need to start operation of flight services from Sabeya Airport in Gopalganj district, Uttar Pradesh

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सबेया (हथुआ) एयरपोर्ट RCS-UDAN में शामिल हैं यह 473 एकड़ में है जिसमें 280 एकड़ भूमि खाली है मेरे सांसद फंड से एयरपोर्ट की पिलरिंग हुई है रक्षा सम्पदा विभाग दानापुर ने पक्कीबाउंड्री एवं फेंसिंग के लिए 4 करोड़41 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद बाउंड्री एवं फेंसिंग का कार्य चालू है इस एयरपोर्ट के रनवे की लम्बाई 167 मीटर है। केवल गोपालगंज-सिवान जिले से सर्वाधिक संख्या में(लगभग1.5 से 2 लाख)लोग खाड़ी देशों(विदेशों) में नौकरी करते हैं गोपालगंज जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन देश के अन्यजिलों की तुलना में सर्वाधिक है एवं बिहार में प्रथम है। इस एयरपोर्ट के चालू होने से गोपालगंज एवं आसपास के लगभग 5 जिलों का त्वरित विकास होगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा नेपाल से नजदीक होने के कारण इसका विशेष महत्व है। सबेया एयरपोर्ट पर कमर्शियल वायबिलिटी के साथ-साथ ट्रैफिक डिमांड भी है। उड़ान 5 बिडिंग राउंड्स तक कोई भी एयरलाइन ऑपरेटर्स सबेया एयरपोर्ट से उड़ान के लिए बिडिंग राउंड्स में शामिल नहीं हुए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग डिज़ाइन का काम भी ज़रूरी है। अत: नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन है कि सबेया एयरफील्ड हथुआ रुट पर ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू करने के लिए बिडिंग राउंड्स में एयरलाइन ऑपरेटर्स आमंत्रित किये जाएँ ताकि सबेया एयरपोर्ट का Revival हो सके। (इति)

Re: Need for EMU/MEMU/Local train services between Nashik Road and CSMT Mumbai in Maharashtra

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): I would like to draw the attention of the Government to the continued negligence of the long-pending demand for starting suburban EMU/MEMU/Local train services between Nashik Road and CSMT Mumbai. Despite repeated public assurances and technical studies indicating feasibility from CSMT up to Nashik Road via Kasara Ghat. Central Railway itself has explored EMU operations on the Mumbai–Nashik corridor, yet no clear implementation roadmap has been placed before Nashik's citizens. Due to the absence of affordable suburban services, thousands of students, small traders and daily wage earners are forced to depend on limited long route trains or costly and time-consuming road travel. Local train services are already operating between CSMT and Kasara stations, and only the stretch between Nashik Road and Kasara remains to be connected. At the same time, large investments are being sanctioned for multi-tracking and AC suburban rakes in other Mumbai corridors, while this critical hinterland link remains ignored. Therefore, the Ministry of Railways should urgently finalise a time-bound plan for EMU/MEMU/Local suburban services between Nashik Road and CSMT, resolve ghat-section operational issues through appropriate technology, and publish a firm commissioning timeline without further delay.

(ends)

Re: Need to reinstate the provision of MSP on Haritaki (Hirda) crop and to address various problems being faced by tribals in Khed, Ambegaon and Junnar in Maharashtra

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): I draw the House's attention to the severe livelihood crisis facing over 15,000 tribal families in Khed, Ambegaon, and Junnar in Maharashtra, who depend on the internationally valued Haritaki (Hirda) crop. Their economic distress stems from five critical, unaddressed issues. Foremost is the exploitation by traders due to the discontinuation of the government's MSP scheme. The current procurement price of ₹80–₹100 per kg is drastically below the labor cost, yielding zero profit. I urge the immediate reinstatement of MSP at a minimum of ₹200–₹250 per kg to ensure fair wages. Secondly, these families receive no compensation for crop loss, as Hirda is wrongly classified as forest produce. Policy must be revised to grant them relief akin to agricultural farmers. Thirdly, the hazardous collection process lacks basic safety. I demand the provision of safety equipment and a robust insurance scheme to protect collectors from fatal accidents. Finally, long-term sustainability requires action on two fronts: promoting local processing units for value addition and launching a serious, effective reforestation program to secure future supplies. I appeal to the Ministries concerned to take swift, policy-level action on these five urgent points to safeguard the economic backbone and dignity of the tribal communities.

(ends)

Re: Need for effective BSNL connectivity by laying Optical Fibre Cable (OFC) or Fibre to the Home (FTTH) in hilly regions of country including Sirumalai and Kodaikanal of Tamil Nadu

SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): BSNL's RENAISSANCE with the Minister of Communication be please to inform the House about the steps for Renaissance of BSNL into the path of Nation Building. BSNL is celebrating the silver jubilee celebration, proud moment of service to the Nation even during the odd times to the rescue of the people and at all times service of BSNL is an unwavering one. However, the services of 2G/3G/4G yet to reach the villages and hilly areas even after 25 years of service. Ordinary man's use of Button phone do not respond in 4G operational are especially Hills/Remote villages. Villages, the common man's land where the cooperative institutions are functioning, need enhancement of network speed, quick connectivity with Government institutions like Ration shop, primary health centres, primary agricultural cooperative banks, Government schools also largely depend upon the service of BSNL based on its cost effectiveness and reliability. May the Minister of Communication graciously look at the people of Hilly regions for their connectivity with the rest of the country either by laying Optical Fibre Cable OFC or updated Fibre to the Home (FTTH) with an ability to reach the identified area without staggering locations like Sirumalai and Kodaikanal of Tamil Nadu. Needless to add that BSNL has more maneuverability of the coexisting with the other players in the field with high status provided. It's provided with sufficient infrastructure like supply of UPS generating for continuous power supply. Tower sharing agreement and speedy recruitment of non executive technicians operating on OTT platform etc was necessary.

(ends)

Re: Need to release funds to Punjab to meet relief and rehabilitation measures following devastation caused by floods in the State

DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL (HOSHIARPUR): Punjab has battled unprecedented heavy rainfall and floods in August, 2025, regarded as worst in nearly four decades since 1988. Around 1650 villages have been affected and floods have submerged over 3.75 lakh acres of farmland, causing massive damage to 4658 kms roads, 68 bridges and extensive damage to paddy and other crops. Housing damage has been significant and health sector has faced unprecedented destruction. There have also been extensive damage to livestock. The education sector has been badly hit, with around 3,300 government and private schools damaged or inundated across the State. Concerted efforts and medium to long term planning is urgently required for rehabilitation and rebuilding Punjab's devastated infrastructure, economy and essential services. The Government of Punjab have submitted a memorandum to Central Government seeking flood damages, pegging total losses at Rs.13500 crore. Earlier, on September 10, Hon'ble Prime Minister had announced relief of Rs.1600 crore during his visit to the State. However, Punjab has just received Rs.240 crore so far, only an advance instalment of State Disaster Response Fund (SDRF), due in October. The Government need to take immediate steps to release funds as demanded by the Government of Punjab towards enabling proper relief and rehabilitation measures for people of Punjab.

(ends)

Re: Need to improve healthcare facilities and infrastructure in GMCH, Purnia, Bihar

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र जीएमसीएच पूर्णिया में चिकित्सकों की भयावह कमी, फंड अभाव, निर्माण कार्य ठप, तथा Construction Company ने अस्पताल की लिफ्ट पर ताला लगा दिया है। कई वार्ड/कमरों को ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। दैनिक भास्कर समाचार अनुसार अत्यंत चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज में 200 डॉक्टरों की आवश्यकता है, जबकि केवल 40 डॉक्टरों पर संपूर्ण संचालन निर्भर है। स्वीकृत 500 बेड क्षमता में से मात्र 300 बेड ही कार्यरत है। ICU, Modular OT, SNCU/PICU, Speciality Ward, Trauma Unit का निर्माण फंड अभाव के कारण रुका हुआ है। मरीजों को उचित उपचार हेतु लंबा इंतजार एवं गंभीर जोखिम का सामना करना पर रहा है। यह मामला लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य व जीवन सुरक्षा से जुड़ा है, अतः केंद्र सरकार का त्वरित हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है।

(इति)

माननीय सभापति : स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 – माननीय वित्त मंत्री जी।

(1405/RP/KN)

HEALTH SECURITY SE NATIONAL SECURITY CESS BILL

1405 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Madam, I have, with your permission, just introduced the Health Security Se National Security Cess Bill 2025. The purpose of this Bill is to create a dedicated predictable source of resource for two domains of national importance. So, the resource stream that we want to get by introduction of this Bill, and by passing of this Bill when it becomes an Act, we expect a predictable resource stream for two domains of national importance. One of them is the health security, given the significant health burden, generally, for all Governments, both at the Centre and the State, that arises out of consumption of demerit goods like pan masala, and the second domain pertains to the national security. The national security requires sustained investment, Madam, to keep pace with evolving security needs. So, this is a cess, and it is not placed on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning. The purpose of this cess is, of course, to levy a cess but on a demerit good. It is not on essential commodities. So, it is on demerit goods which are associated with significant health risks. We wish to impose such costs as a deterrent, so that people tend not to use it. For a start, Madam, it is being imposed on pan masala whose ill impact on the health of our citizens is very well known and very well documented. So, it ensures that critical national

priorities are funded without burdening ordinary citizens on essential consumption.

मैं इस पॉइंट को हिन्दी में भी कहना चाह रही हूं। यह कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। यह सिर्फ ऐसे ही एक डीमेरिट वस्तु और चीज है, जैसे पान मसाला। जिसको खाने से हेल्थ को खतरा है और उसको खाने से हरेक व्यक्ति की हेल्थ को नुकसान ही होगा। यह सेस लगाने से और उसके कारण पान पसाला का दाम बढ़ाने से हम यह मानते हैं कि एक डिटेरेंट है मतलब एक रुकावट पैदा करने की कोशिश है कि दाम बढ़े, जिससे पान पसाला खाने में रुकावट आएगी।

इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा, उसे हेल्थ के अवेयरनैस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा या स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने का प्रावधान है। सेस लगाने से सब के मन में तुरंत यह बात आती है कि सेस के द्वारा केन्द्र सरकार को जो आमदनी मिलती है, केन्द्र सरकार उसका उपयोग करती है, अपने हाथ में रखती है और स्टेट्स से शेयर नहीं करती है। हम हेल्थ के विषय में यह बात इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि सेस के रूप में यह टैक्स, पान मसाला जैसी चीज के ऊपर लगाने के लिए प्रावधान है।

(1410/RAJ/VPN)

इससे जो सेस आता है, उसमें से हम एक हिस्सा स्टेट को भी स्कीम के द्वारा देंगे कि आप इसे हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स में उपयोग कीजिए। यह सेस है, फिर भी हम स्टेट के साथ स्कीम्स के द्वारा शेयर करने का प्रावधान रख रहे हैं।

मैं दोबारा ओपनिंग स्टेटमेंट में ही क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि यह सेस है, एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं है। नॉर्मली, सेस सेन्टर के हाथ में रहता है, मगर हम इसमें से एक भाग स्टेट को भी दे रहे हैं, ताकि वे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकें। मैं यह स्पष्टता पहले से देना चाहती हूं क्योंकि पान मसाला जीएसटी के सिस्टम में भी है और क्योंकि उधर डिमेरिट के नाम पर कैटेगराइज्ड किया गया है, आप इसके ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी सिस्टम में 40 प्रतिशत टैक्स लगा सकते हैं, हम वह इसके ऊपर पर लगाएंगे। पान मसाला एक ऐसा आइटम है, जो जीएसटी सिस्टम में भी है। हम इधर सेस लगा रहे हैं तो क्या हम जीएसटी को वीकेन करना चाह रहे हैं, तोड़-मरोड़ करना चाह रहे हैं, उसमें इससे कुछ बाधा उत्पन्न होगी, नहीं। क्योंकि जीएसटी सिस्टम के मुताबिक पान मसाला के कंजम्पशन के ऊपर 40 प्रतिशत टैक्स होगा, वह बरकरार है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मगर हम जो सेस लगा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी सिस्टम में कंजम्पशन के ऊपर है और आज भी जीएसटी सिस्टम में पान मसाला के कंजम्पशन के ऊपर जो टैक्स है, वह 28 प्रतिशत प्लस कम्पनसेशन सेस है और वह कम्पनसेशन सेस खत्म होने वाला है। इसलिए वह उधर 40 प्रतिशत रेट में चला जाएगा। मगर इसके बाद भी, आज भी पान मसाला बहुत सारे टैक्सेज में नहीं आता है। क्योंकि उधर कंजम्प्शन के बेसिस पर जीएसटी लगाया जाता है और कैपेसिटी मशीन का और ज्यादा भी है। उधर जीएसटी में कैपेसीटी के ऊपर, उत्पादन के ऊपर टैक्स नहीं है। इसीलिए टोबैको जीएसटी में भी है और कल यह एक्साइज ड्यूटी में भी लाया

गया है – उत्पादन के ऊपर एक्साइज। मगर हम पान मसाला के उत्पादन के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वह एक्साइजेबल नहीं है। कल मैंने एक्साइज के द्वारा सिगरेट के ऊपर यह डाला, उसमें पान मसाला को जोड़ना था, मगर वह एक्साइज की कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए हम कल सिगरेट को ले आए क्योंकि सिगरेट के ऊपर भी 40 प्रतिशत से अधिक टैक्स होना चाहिए, क्योंकि वह सस्ते में अवेलबल नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्साइज ड्यूटी के द्वारा सिगरेट पर यह लगाया गया है। पान मसाला एक्साइज में नहीं आता है, तो हम नए कानून के द्वारा प्रोडक्शन के ऊपर सेस के नाम पर टैक्स लगा रहे हैं और उसको हम स्टेट के साथ भी स्कीम के द्वारा शेयर कर रहे हैं। यह इस कानून का एक यूनिक पॉइंट है। मैं इसको पहले ही सामने रखना चाहती हूं क्योंकि माननीय सदस्यगण को इससे परिचित होना चाहिए। हम यह टोटली डिफरेंट आस्पेक्ट में लगा रहे हैं, मैंने यह बात एक मिनट पहले उल्लेख किया है। मैं यह दोबारा बोल रही हूं कि it is not imposed on consumption. हम यह कंजम्पशन के ऊपर जीसएटी के द्वारा लगा रहे हैं। मगर इधर मशीन लिंक्ड और कैपेसिटी बेस्डपोटेंशियल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। सिगरेट पर मशीन लिंक्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स कल एक्साइज के द्वारा लगाया गया। मगर मैंने जैसा कि पान मसाला के बारे में बताया है क्योंकि यह एक्साइजेबल नहीं है, उसके लिए अलग कानून बनाना पड़ रहा है। हमारा कुछ और मकसद नहीं है। मगर हम यह कानून सेस के नाम पर ला रहे हैं, इससे जीएसटी सिस्टम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण जीएसटी कम होगा, ज्यादा होगा,कोई कुछ नहीं। वह सिस्टम इनटैक्ट है।

मैं एक और स्पष्टीकरण देना चाहती हूं, क्योंकि हम मशीन बेस्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो यह प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स नहीं है। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए। जीएसटी में कंजम्प्शन के ऊपर टैक्स है। इधर मैं कह रही हूं कि वह एक्साइजेबल नहीं हैं, इसलिए एक नया कानून जरूरी है और कैपेसिटी के ऊपर टैक्स, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है।

(1415/NK-UB)

आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके ऊपर नहीं है, प्रोडक्शन कैपिसिटी के ऊपर है। पान मसाला के विषय को समझने वाले के लिए थोड़ा विस्तार से स्पष्टीकरण दे रही हूं। एक मशीन हो सकता है, एक्स स्पीड में चलता है, इतने पाउचेज तैयार करती है, दूसरी मशीन हो सकती है और तेजी से काम करता है, पान मसाला के ज्यादा पाउचेज तैयार करती है, दोनों अलग हैं, दोनों की प्रोडक्शन कैपिसिटी अलग है। आखिर दोनों मशीनें एक्चुअली क्या प्रोडक्शन करती हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्शन कैपिसिटी क्या है, उस कैपिसिटी के ऊपर सेस लगा रहे हैं। हरेक फैक्ट्री के लिए उनकी लायबिलिटीज अलग-अलग से तैयार होंगी। इसका निर्णय कौन करेगा, वह अपने आप भी करेंगे, सरकार भी करेगी, मगर उनकी प्रोडक्शन कैपिसिटी के ऊपर हरेक का अलग है। मैं ओपनिंग में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं जिससे डिबेट में स्पष्टता रहे, मैं इतना ही कहकर बैठ जाती हूं। डिस्कशन के बाद हरेक मेंबर को रिप्लाई करूंगी। (इति)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूर्ण करने के लिए संसाधनों के संवर्धन और मशीनों के संस्थापन या अन्य प्रक्रियाओं पर, जिनसे विनिर्दिष्ट माल विनिर्मित या उत्पादित किए जाते हैं, उक्त प्रयोजनों के लिए उपकर के उद्ग्रहण और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

1416 बजे

श्री वरुण चौधरी (अम्बाला) : माननीय सभापति महोदय, पान मसाला के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, पोटेन्शियल है, यह इस विधेयक के माध्यम से जानकारी मिलती है। कल चर्चा हो रही थी कि तम्बाकू के सेवन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, जानें भी जाती हैं, लेकिन आज इसके अंदर अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं, पान मसाले पर उप-कर लगाने से न केवल स्वास्थ सुरक्षा का व्यय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय को पूर्ण करने की क्षमता देखी जा रही है।

मैडम, विधेयक को पढ़ने से पता चलता है कि यह स्वास्थ सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, पान मसाले से स्वास्थ सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है। हरियाणा में भी इसी प्रकार से जब कोविड काल था, सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया, मंदिर को बंद किया गया, गुरूद्वारों को बंद किया गया, लेकिन शराब के ठेकों को खोल कर रखा गया। उसके अंदर संभावनाओं को देखा गया। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधेयक का नाम एक भाषा में न होकर अलग-अलग भाषाओं में है, कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं, कुछ शब्द हिन्दी के हैं, जैसा बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। उसी प्रकार से विधेयक का नाम भी अलग-अलग भाषाओं में है। मैं मानता हूं कि पूरा हिन्दी में भी हो सकता है या अंग्रेजी में, लेकिन उसका पूरा नाम हिन्दी में भी हो सकता है, यह आधा-अधूरा सही नहीं है।

अभी वित्ती मंत्री जी ने उप-कर के बारे में जानकारी दी, यह सही है कि उप-कर लगाया जा रहा है, कर नहीं लगाया जा रहा है। कर लगता है तो डिवोल्यूशन होता है, राज्यों को भी हस्तांतरण होता है, राज्यों को पैसा मिलता है। लेकिन उप-कर लगाने से हस्तांतरण नहीं होता है तो उससे सरकारें कमजोर पड़ती हैं। आज हर राज्य पैसे की तंगी में है, उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है।

(1420/KDS/NKL)

उनकी ब्याज की अदायगी बढ़ती जा रही है। जैसा अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो उपकर होगा, उसको राज्यों के साथ भी शेयर किया जाएगा, लेकिन मुझे इस विधेयक में यह कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला। कृपया इस बारे में जरूर वित्त मंत्री जी बताएंगी। विधेयक की धारा-4 (2) में लिखा है कि -

> “The cess leviable under sub-section (1) shall be in addition to any other duties or taxes chargeable on the specified goods under any law for the time being in force.”

जब पूरे देश में गा-गाकर बताया गया कि एक देश है, एक टैक्स है, तो टैक्सेज़ वाली इतनी बड़ी त्रुटि कैसे रह गई। जब एक ही टैक्स है, तो टैक्सेज़ कैसे लिखा गया? या तो इस त्रुटि ठीक करके बताया जाए कि देश में एक नहीं, बल्कि और भी बहुत-से टैक्सेज़ हैं। या फिर इस त्रुटि को ठीक किया जाए। इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर राज को जरूर बढ़ावा मिलेगा। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया कि जीएसटी तो कंजम्प्शन पर है, लेकिन सेस प्रोडक्शन कैसेपिटी पर लगाया जा रहा है। इससे तो इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। इसके उद्देश्य में लिखा गया कि तकनीकी और निरीक्षण आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से अनुपालन होगा। समुचित अधिकारी हर कारखाने में जाएंगे, कैसे फैसला

लेंगे और कितनी बार जाएंगे, यह भी लिखा गया। यह भी लिखा गया कि यदि कोई मशीन लगातार 15 दिन खराब रहती है,तभी उनको उपकर में रियायत मिलेगी। यदि 14 दिन खराब रही, तो कुछ नहीं मिलेगा। जो बड़े कारखाने होते हैं, उनके पास तो एएमसी होता है, जो छोटे कारखाने होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके पास इस तरह का प्रावधान नहीं होता है। वे कहां जाएंगे और कैसे फैसला होगा कि मशीन लगातार 15 दिन खराब रही? यह वापस इंस्पेक्टर राज को लेकर आने वाला है। शायद 12 बार से भी अधिक बार रिटर्न फाइल करने हैं। यदि कोई कमी हुई, तो अलग-अलग प्रावधान हैं। जेल जाने के साथ ही फाइन लगाने के भी प्रावधान हैं।

महोदया, शेड्यूल-2 टू में बताया गया कि मशीन की गति 500 पाउच या कंटेनर की है। पाउच का वजन ढाई ग्राम तक है, तो एक करोड़ एक लाख रुपये महीने का उपकर सेस लगेगा। इसमें कोई पाउच दो रुपये का होगा, कोई पाउच 20 रुपये का होगा, लेकिन उपकर बराबर लगेगा। यह भी लघु उद्योगों को नुकसान में लेकर जाएगा और वे खत्म हो जाएंगे। बड़े उद्योग वाला तो चल जाएगा, लेकिन छोटे उद्योग वाले को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस विधेयक के अंदर पहली अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर पान मसाला वर्णित है। इस पर उपकर लगाया जाएगा। क्रम संख्या 2 में लिखा गया है कि कोई अन्य माल, जिसे अधिसूचित किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो इस तरह के डी-मेरिट गुड्स हैं, उन पर ही यह सेस लगाया जाएगा, लेकिन यह जो विधेयक है, इसमें कहीं भी यह जानकारी नहीं है। इसमें तो उसे खुला छोड़ दिया गया है कि किसी भी माल को, जिसे अधिसूचित किया जा सकेगा, उसे पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में जोड़ा जा सकता है।

(1425/CS/VR)

कहीं पर भी डीमेरिट गुड्स का नाम नहीं है, तो यह जुड़ना चाहिए। यह मेरी प्रार्थना है। यह बहुत आवश्यक है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि इस तरह से इसमें बहुत सी कमियां हैं। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, वह इस विधेयक में दर्शाया नहीं गया है, तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसके अंदर जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1426 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025, जिसे हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, पर बोलने का अवसर दिया है।

माननीय वित्त मंत्री जी जब कल इसी सदन के समक्ष सिगरेट और तम्बाकू पर टैक्स लेकर आयी थीं, क्योंकि कंपेनसेशन सेस खत्म हो रहा था, तो कल एक दूसरी भाषा थी और आज जब स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बिल लेकर आयी हैं, तो अभी हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे, तो आज उनकी दूसरी भाषा है। मैं समझता हूँ कि यह सदन इस बात का गवाह होगा कि देश की आजादी के बाद से तमाम विभाग के मंत्रालयों के, अलग-अलग विभाग से संबंधित हमारे विधेयक आते हैं, शायद यह इस तरह का पहला बिल होगा और यह इस सरकार की प्राथमिकता होगी, इस सरकार की सोच होगी कि अगर हम किसी डीमेरिट गुड्स पर एक सेस लगाने जा रहे हैं तो उस सेस का एक-एक पैसा, उसकी एक-एक पाई हम कहां खर्च करेंगे, हमारी क्या प्राथमिकता होगी या हमारे देश के सामने उस प्रतिबद्धता को इस बिल में दर्शाने का काम कर रही है। कदाचित आप भी इस बात की गवाह होंगी कि शायद एक बिल में, किसी भी देश की क्या प्राथमिक सुरक्षा हो सकती है या उसकी क्या प्राथमिकताएं होती हैं। किसी भी देश की जो प्राथमिकता होती है, वह उस देश में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की एक प्रतिबद्धता या गारंटी की बात होती है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चिंता अगर कोई है तो वह उसके लोगों की हेल्थ सिक्योरिटी की चिंता है। चाहे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोविड का जिक्र किया हो और चाहे कोविड के पहले किसी वायरस की बात हो या कोई अन्य पेंडेमिक हो, देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसकी जनता के स्वास्थ्य की होती है। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता उस देश में रहने वाले लोगों की, सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है कि किसी भी देश की दो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी हो सकती हैं। मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को बधाई दूँगा कि वह पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लायी है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो यह सेस डीमेरिट गुड्स पर लगाने जा रहे हैं, इसकी एक-एक पाई हम किसी अन्य चीज में खर्च नहीं करेंगे। हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेंगे। डेवलपमेंट भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी ग्रोथ रेट 8.2 है, तो हमारी सुप्रिया बहन यहां बैठी हैं, वे आईएमएफ का कमेंट भी पढ़ लें। आज भी आईएमएफ ने कहा है : “Apart from all the constraints, India is one of the fastest growing economies” और वह सबसे अच्छी है। वह भी आईएमएफ का कोट है और उसका जवाब बहुत स्पष्टता के साथ कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। इसलिए मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ... (व्यवधान)

नहीं-नहीं, वे तो आपकी साथी हैं, वे पढ़कर आती हैं। ऐसा नहीं है, वे पढ़ती हैं। मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज उनके उपयोग की है, वे उसे पढ़ती हैं, जो उन्हें कहना है। वे जानती सब हैं। सुप्रिया जी की विद्वता पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि एक वे एक विधेयक में दो सब्जेक्ट्स लेकर आयी हैं। अगर हम इस सेस को लगा रहे हैं, इस उपकर को लगा रहे हैं तो इस पैसे से इस देश में रहने वाले एक-एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी होगी।

(1430/MNS/PBT)

दूसरी तरफ उस सेस के पैसे से हमारी नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। हम एक विधेयक लेकर आए हैं कि एक ही कानून से हमारी सरकार व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी दे रहीं है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। इस विधेयक से जो राजस्व आएगा, वह व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करेगा, वहीं राष्ट्र की सुरक्षा पर हमारा पैसा खर्च होगा। व्यक्ति के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आदमी की हेल्थ होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और देश की सुरक्षा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी पुलिस और आर्मी है। यह बिल, चाहे हेल्थ हो या सिक्योरिटी हो, हम इस बिल को लेकर आए हैं। इस सेस के पैसे की एक स्पष्टता के साथ सदन को सरकार आश्वस्त कर रही है, लेकिन यदि इससे पहले हम देखें तो शायद देश की आजादी के बाद पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, शायद दुनिया में केवल एक देश यूएसए है, जिसके बराक ओबामा ने अपने देश की 24 करोड़ जनता के लिए ओबामा केयर के नाम से हेल्थ गारंटी दी थी एवं यह दुनिया का दूसरा देश है, जिसने 140 करोड़ लोगों के लिए मोदी आयुष्मान भारत की गारंटी देने का काम किया है। मुझे लगता है कि शायद इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में लोग विश्वास नहीं करते कि पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष, यदि परिवार के किसी सदस्य को दुर्भाग्य से कोई बीमारी हो जाए या किसी प्रकार की अस्वस्थता हो जाए या जीवन-मृत्यु की स्थिति में जहां जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता है। इसमें परिवार समाप्त हो जाता था, आज उन परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। जहां लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी कोविड से अभी तक चली आ रही है। प्रतिपक्ष यही कह रहा था कि वर्ष 2019 के चुनाव के लिए पांच किलो अनाज के लिए हुई है। आज आपने देखा कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2025 तक में आज भी देश के हर व्यक्ति को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी यदि किसी ने दी है, तो नरेन्द्र मोदी की सरकार ने दी है। आज किसी को यह चिंता नहीं है कि हमारे सामने अगर रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा, तो किस तरह से होगा।

महोदया, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आपकी कांस्टीट्यूएंसी में किस तरीके से लोगों को पांच लाख रुपये का फायदा मिल रहा है, भदौरिया जी आप यह जानते हैं। प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड द्वारा लोगों को हेल्थ की एक कवरअप गारंटी दे दी, क्योंकि गांवों में लोगों के

पास न हेल्थ इंश्योरेंस होता है, न गांवों में लोगों के पास पैसा होता है, क्योंकि वहां लोग सुबह से शाम तक दिहाड़ी करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की गारंटी मोदी सरकार ले रही है।

महोदया, इस दिशा में केवल यह ही नहीं है कि हमने केवल मेडिकल केयर का काम किया है। आज इस मेडिकल केयर की बात जहां इस स्कीम से की है, वहीं मेडिकल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया है और जैसा कि कल कहा ही था कि वर्ष 2014 में इस देश में केवल 378 मेडिकल कॉलेजेज़ थे, आज वर्ष 2025 में 706 मेडिकल कॉलेजेज़ हैं। शायद दुनिया में इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले एम्स की बात हर जगह हो रही थी कि हमारे राज्य में एम्स नहीं है, केवल दिल्ली में एम्स है या केवल लखनऊ में है। वर्ष 2014 में मात्र सात एम्स थे और आज वर्ष 2025 में करीब-करीब हर राज्य में एम्स दिए गए हैं। स्पेशलाइज्ड सुपरस्पेशियलिटी जो पहले दिल्ली और चंडीगढ़ आते थे, आज उसको सब प्राप्त कर रहे हैं।

हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देंगे, जिससे कि लड़कों को वहीं पर डॉक्टर की पढ़ाई करने का मौका मिले और उसकी पढ़ाई के साथ डॉक्टरों की सेवाएं भी गांवों में मिले। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप सभी वरिष्ठ सांसदगण यहां बैठे हुए हैं। मैंने देखा है कि जब कहीं आतंकवाद की घटनाएं होती थीं, तब कांग्रेस यूपीए की सरकार में, निशिकांत जी भी यहां होंगे, केवल गृह मंत्री कहते थे कि हमने पाकिस्तान सरकार को डोजियर दे दिया है कि पाकिस्तान सरकार अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। डोजियर से ज्यादा कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती थी। तब प्रेस कॉन्फ्रेस में तीन बार कपड़ा बदलते थे। यह आजादी के बाद पहली बार है। देश में एक-दो नहीं, बल्कि देश के तमाम राज्य नक्सवाद से प्रभावित थे, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, चाहे साउथ-नॉर्थ हो। यह कितनी बड़ी समस्या थी।

(1435/MLC/SNT)

आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में आए हैं। वर्ष 2018 में देश के 126 जिले जिस तरह से नक्सलवाद से प्रभावित थे, नक्सलवाद से जूझ रहे थे, आज वर्ष 2024 में वे 126 जिले घटकर 38 हुए हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का लगातार बयान आता है कि मार्च, 2026 तक भारत देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम करेंगे। इसके बाद भी आप इसे संभावनाओं का बिल कहते हैं। आप या तो ज्ञान या समझकर भी तैयार नहीं हैं कि ये संभावनाओं का बिल है। जिस सरकार का यह रिपोर्ट कार्ड हो, जिस सरकार की उपलब्धियाँ हों, देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नक्सलवाद था, जिससे पूरा देश जूझ रहा था। हमने काफी लोगों को नक्सलवाद में गंवाया है। आपकी तरफ के भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य लोगों की जानें नक्सलवाद से गई हैं। आज यह देश विश्व के सामने कह सकता है कि यह कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा किया है।

अगर आज इस सेस या उपकर से पैसा आएगा, तो निश्चित तौर पर यह इसलिए संभव हो रहा है कि हमने केवल पुलिस से उन नक्सलवाद का खात्मा नहीं किया है। नक्सली एरिये में न टेलिकॉम, न पोस्ट ऑफिस, न तार बिछ पाता था, न सड़कें बन पाती थीं, क्योंकि नक्सली उसको

तोड़ देते थे। आज उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को जहाँ एक तरफ पुलिस से कम्बैट कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस कम्बैट कर रही हैं, दूसरी तरफ उस क्षेत्र का हम विकास भी कर रहे हैं कि नौजवान नक्सलवाद की तरफ न जाएं, क्योंकि वहाँ पर बुनियादी विकास हो रहा है, पोस्ट ऑफिस खुल रहे हैं, मेडिकल केयर सेंटर खुल रहे हैं, टेलिकॉम का विस्तार हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शायद ये पहली बार सरकार ने दिए हैं। जिस जिले में संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावित जिलों को भी 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे आज उन जिलों में निश्चित तौर से बैंक बन रहे हैं,पोस्ट ऑफिस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर वर्ष 2017 में पान मसाला, गुटखा पर भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया था। आज बार-बार यह कहा जा रहा है कि साहब मशीन पर टैक्स। अरे साहब किस राज्य को यह पता नहीं है कि जो पान मसाला बनता था,अभी तक इन पर जो टैक्स लगता था वह केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पर लगता था। आपने कहा कि हम पांच हजार पाउच बना रहे हैं, तो आपको उन पांच हजार पाउच पर टैक्स देना है,जबकि आप एक लाख पाउच बना रहे हैं। आज दस गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं और आप केवल एक ट्रक पर टैक्स दे रहे हैं। हमारे राज्य में इस समय जीएसटी के तमाम ऑफिसर्स इसमें सस्पेंड किए गए हैं। ये तो मैं पहली बार कहूँगा कि आज देश में बड़े पैमाने पर गुटखा, पान पराग में बहुत बड़े में टैक्स एवेजन हो रहा है, जिसका लाभ देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मिलेगा। यह विधेयक इसलिए स्वागत योग्य कदम है कि इस तरीके की यह चीज पहली बार उठाई गई है। आखिर आप क्यों नहीं कर पाए?

मुझे लगता है कि अगर आपने मशीन से एक लाख पाउच बनाने की बात कही और आप कहें कि हमने एक लाख पाउच बनाने की मशीन लगाई है, लेकिन हम पांच हजार पाउच प्रोड्यूज कर रहे हैं, तो साहब, क्या यह फेयर है? इससे साफ है कि एक लाख पाउच रोज बनाने की मशीन है, क्योंकि एक मिनट में पांच हजार पाउच बन जाते हैं। मशीन में मसाला डाला और पैकिंग होती रहती है। यूपी में कानपुर इसका बहुत बड़ा सेंटर है, लखनऊ है। इसका दिल्ली में भी सेंटर है और अन्य जगहों पर भी हो रहा है। अगर आज इतना बड़ा सुधार है, तो अब यहाँ इस सदन में इस बात को वरुण जी आप बोल रहे हैं, लेकिन देश के सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जिनमें कांग्रेस के भी होंगे, टीएमसी के भी होंगे, डीएमके के भी होंगे, वे सब इसको रियलाइज कर रहे थे। इसीलिए इस विधेयक पर सेस लगाने का जो प्रोविजन है, जीएसटी काउंसिल से परस्पर सर्वसम्मति मिली है। जब एक तरफ राज्य सरकारों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात से सहमत होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है।

(1440/GG/RTU)

आज जब इस फाइनल प्रोडक्शन वैल्यु की जगह पर, जो अभी तक सैस कैलकुलेट होता था, वह यह है कि 135 पैकेट्स पर 20 पर्सेंट टैक्स होगा। लेकिन अब, जब मार्च, 2026 में वह

खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद यह हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी लागू होगा। अब यह केवल फाइनल प्रोडक्शन वेल्यू पर नहीं लागू होगा, बजाय इसके जो पान मसाला का उत्पादन करनी वाली मशीन है, उसकी कैपेसिटी पर है। अगर केवल विरोध के लिए विरोध करना है, देश की सुरक्षा के साथ विरोध करना है तो बात अलग है। अगर इसका एक-एक पैसा देश की सुरक्षा, देश के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, खर्च होता है, तो इसमें क्या बुराई है? आज तो बिना इस सैस के भी, कोई देश कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वह अपने हर व्यक्ति को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य की गारंटी दे सके। इस बार सरकार बनने के बाद अभी तक तो सोश्यो-इकोनॉमिक लिस्ट में जिसका नाम था, उस परिवार को इसका लाभ मिलता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कह दिया कि जो 70 वर्ष का व्यक्ति हो गया, चाहे किसी भी जात-बिरादरी, किसी भी इनकम का होगा, उसको आयुष्मान कार्ड से कवर किया जाएगा। यह अपने आप में कितनी बड़ी सुरक्षा प्रदान करने की बात है। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो एक तरह से आप टैक्स एवेजन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और अपने देश के लॉस ऑफ रेवन्यु को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, आप एक जिम्मेदार नेता, प्रतिपक्ष के रूप में हैं या आप एक सांसद के रूप में हैं तो क्या इस देश में जो राज्य सरकार का होना चाहिए और सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर में अलग नहीं होती हैं, आखिर कल भी जो विधेयक पास हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसका फायदा केवल केंद्र को ही मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने साफ कहा है कि उसका पैसा रियल में जिस तरीके से केंद्र को आएगा, उसी तरीके से राज्य को भी मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो अभी तक पान मसाला आदि पर कोई टैक्स चोरी करता था, अब शायद नहीं कर पाएगा। आपने इसके ऐम एंड ऑब्जेक्ट में देखा होगा, आखिर जियो-पॉलिटिकल इनस्टेबिलटी की बात होती है। आज पूरी दुनिया जूझ रही है रशिया-यूक्रेन की लड़ाई में। आप देख रहे हैं कि इज़राइल-फिलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में क्या हो रहा है? जहां लोग कहते थे कि भारत थर्ड वर्ल्ड का बैटल फील्ड बनेगा, आज दुनिया भारत की विकास की तेज़ी को देख रही है। भारत की जीडीपी को देख रही है। भारत की ग्रोथ रेट को देख रही है, न कि अब भारत के युद्ध को कोई देख रहा है। आज लोग रशिया-यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं। आज इज़राइज-फिलिस्तीन की गाज़ा पट्टी की तरफ देख रहे हैं। आज भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसने इस जियो-पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी अपने हितों के साथ कोई समझौता करने का काम नहीं किया है। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन हमें रशिया से सस्ते दामों पर तेल मिल रहा था। भारत पहला देश है, जिसने अमेरिका से रिश्तों के बावजूद भी रूस से सस्ता तेल लेने का काम किया और इसके कारण से आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया। जिस तरह से 25 पर्सेंट टैरिफ लगा, उसके बाद 50 पर्सेंट लगा, तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी लोगों को लगता था कि हमारा यूएसए में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसमें गिरावट आएगी। उसके बावजूद भी आज अगर ओवरऑल जीडीपी रेट देखें तो यह हमारे लिए निश्चित तौर से इस सदन में, जब मैं खड़ा हूँ तो आज न केवल इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरे देश के लिए आश्वस्त होने और

संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज दुनिया की इस पूरी जियो-पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी, यह आईएमएफ का भी रिव्यु है, सुप्रिया जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आईएमएफ ने कल क्या कहा था? आपने कुछ कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि – India's economy had continued to perform well. It is an IMF report. I think so, इसको भी आप देख लीजिए।

दूसरी बात, आज जीडीपी की ग्रोथ देख लें। हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के क्वार्टर-टू का डेटा देख लें। मेरे पास सभी आंकड़े हैं, लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। इंडिया की क्या ग्रोथ रेट है, इस पर तो आप कोई असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट 8.2 पर्सेंट है। आज भारत की ग्रोथ 8.2 पर्सेंट है। यूएसए, जिसकी इकोनॉमी, जिसके डॉलर को कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसकी 3.8 पर्सेंट है। रशिया की 1.1 पर्सेंट है, चाइना की 5.2 पर्सेंट है। इसलिए हम आज इस सदन में कह सकते हैं कि हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज़ी से जीडीपी ग्रोथ करने वाला देश है।

(1445/AK/YSH)

India is becoming one of the fastest growing economy in the world at the rate of 8.2 per cent. वर्ष 2025-26 में हमारी 8.2 परसेंट की रेट है। हम क्वार्टर वन में 7.8 परसेंट थे। हम 7.8 परसेंट से 8.2 पर आ गए हैं। आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है, वह चाइना के 5.2 परसेंट से ऊपर है। आईएमएफ का प्रोजेक्शन 6.6 परसेंट है। हम लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च, 2026 से यह टैक्स खत्म हो रहा है और निश्चित तौर से माननीय मंत्री जी जो एक नया उपकर लेकर आई हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से जो संकट आया हुआ है, उस संकट से यह भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देगा।

सभापति महोदया, मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से यह काम निश्चित तौर से शुरू किया गया है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसे देखें। मार्च, 2026 के बाद इस पर जो जीएसटी लगता था, वह कंपेनसेशन से समाप्त होने वाला है। वर्तमान में स्वाभाविक है कि पान मसाले पर 28 परसेंट जीएसटी प्लस 135 परसेंट कंपेनसेशन सेस लागू होना है। इसके हटने से कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा? मंत्री जी ने अभी स्पष्ट तौर से कहा है कि किसी एसेंशियल कमोडिटीज पर हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज पर पूरी दुनिया ने देखा है और कल उस पर डिस्कशन भी हुआ है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। वह चार स्लेब से दो स्लेब हो गया है। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जिस तरह से जीएसटी की दर कम हुई उससे चाहे मोटर साइकिल हो, ऑटोमोबाइल हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो या कपड़े हों उनकी भारी मात्रा में बिक्री हुई। आप यकीन कीजिए कि हमारे यहां पर एक दिन में 300 मोटर साइकिल बिक गईं 800 मोटरसाइकिल होंडा और रॉयल इनफील्ड की बिक गईं उस समय गाड़ियां नहीं मिल रही थीं। स्वाभाविक है कि जिस समय दुनिया में क्रय शक्ति घट रही है, आज यूएसए के टैरिफ के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत के सामानों की बिक्री हो रही है। …
(व्यवधान)

सभापति महोदया, आपने घंटी बजा दी है, लेकिन यह तो अभी शुरूआत है। मैं फर्स्ट स्पीकर हूँ। मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात को विपक्ष भी ध्यान से सुन रहा हूँ। मेरी बात को कोई भी अपोज नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ की सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि चाहे हम सरकार में हों या प्रतिपक्ष में हों, चूँकि आप जिम्मेदार प्रतिपक्ष हैं। यहां पर सौगत दादा बैठे हैं। वे प्रोफेसर हैं। आखिर जहां पर हम व्यक्ति की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करेंगे, वहां राजकोषीय स्थिरता भी होनी चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और जैसा मैंने कहा कि अभी जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने है, उस हिसाब से आपको माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी को बधाई देनी चाहिए कि पूरी दुनिया में क्राइसिस होने के बावजूद भी भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, राजकोषीय स्थिरता भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको कैपेसिटी बेस्ड किया जाए।

सभापति महोदया, मुझे लगता है कि इससे काफी फायदे होंगे। अभी तक यह बात हो रही है कि इसकी क्या विशेषता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक छोटी-छोटी इकाइयां बिखरी हुई थीं, जिसका काफी स्टाफ रहता है। एक-एक, छोटी-छोटी इकाई बिल्कुल खत्म नहीं होगी, लेकिन जिसकी जितनी मशीन होगी, चाहे छोटी होगी, माइक्रो में होगी, मीडियम में होगी तो वह अपनी मशीन देगा कि हमने इतने पाउच की मशीन लगा रखी है और इससे इतना प्रोडक्शन होता है और उतने पर ही उसको सेस देना रहेगा। पहले तो निगरानी भी कठिन थी और जब निगरानी कठिन होगी तो टैक्स की चोरी भी होगी। इससे उत्पादन छिपाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मशीन की निश्चित ही एक कैपेसिटी होती है। आपका जो कम कच्चा माल है, उच्च मूल्यवर्धन है, उससे आपको लाभ भी होगा और जो चोरी की प्रवृति है, वह भी रुकेगी। पहले एक तरह से पाउच बनाकर इललीगल गाड़ियां निकल जाती थीं और उन पर टैक्स भी नहीं मिलता था। अब उनकी निगरानी करना आसान हो जाएगा और किसी भी प्रोडक्शन का यह फायदा होगा।

सभापति महोदया, इसलिए मुझे लगता है कि इससे आप भी सहमत होंगी कि वैल्यू बेस्ड और फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू के बजाय अगर कैपेसिटी बेस्ड सेस लगेगा तो अच्छा रहेगा। मशीन की क्षमता या उसकी जो पारदर्शिता है, उससे निश्चित तौर से न केवल कम सेस लगेगा, बल्कि इससे देश की जनता को भी लाभ होगा। आप इस विधेयक की मूल भावना तो देखिए कि इसकी मूल भावना क्या है?

सुप्रिया जी, इसकी मूल भावना हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी है, जिस पर आप रोजाना चिंतित रहती हैं और बात रखती हैं। उन बातों को, जो समय-समय पर आप उठाती हैं, उसके लिए अगर कोई ईयर मार्क्ड सिस्टम बनाया जा रहा है तो अच्छा ही है।

(1450/STS/SRG)

न तो कोई डायवर्ट होगा, न कोई लैप्स होगा। इससे सिस्टम भी और अधिक पारदर्शी होगा। अपनी रेवेन्यू भी स्टेबल रहेगी और पान-मसाला उद्योग में टैक्स इवेजन की भी कमी आयेगी। बहुत-सी बातें कहनी थीं, लेकिन आपने दो बार घंटी बजा दी। मैं समझता हूं कि यह देश के हित में है। इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। मैं इसी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1450 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : धन्यवाद, अध्यक्षा महोदय। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, देश में जिस वस्तु पर उपकर लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, यह वही वस्तु है, चाहे वह पान-मसाला हो या गुटखा हो, इसके कारण देश के तमाम गरीब समाज के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग आज भयंकर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी महामारी का रूप ले रही है। उन्होंने बिल प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य सुरक्षा को इंगित किया है। मुझे आशा है कि इस उपकर से जो भी धन इकट्ठा होगा, वह निश्चित रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार, उसके नियंत्रण और उसकी रोकथाम पर खर्च होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे गंभीर विषय के साथ राष्ट्र सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले को जोड़ कर के ऐसा वातावरण बनाया है कि यदि कोई इसका विरोध करता है, तो वह राष्ट्रद्रोही होगा। यदि इसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो गांव के रहने वाले गरीब समाज के उन लोगों के जीवन में इन उत्पादों के कारण जीवन में परेशानियां आयीं और एक आंकड़े के अनुसार केवल पूर्वांचल में प्रति वर्ष 2 लाख नये मरीज चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन, हम उपचार के नाम पर देखें, तो केवल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भाभा सेंटर है, जिसकी क्षमता कितनी है? डायगनोसिस सेंटर कितने हैं? करोड़ों की आबादी पर शायद एक डायगनोसिस सेंटर्स इस क्षेत्र में आता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उसका डायगनोसिस कर सके। आप जानती हैं कि यदि समय से पहले शुरूआती दौर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण पता चल जाए, तो निश्चित रूप से उसका इलाज संभव हो सकता है। माउथ कैंसर लगातार लोगों में बढ़ रहा है। ज्यादातर गुटखा और खैनी के द्वारा वह लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहा है।

(1455/MM/SM)

हमारे सत्ता पक्ष के सांसद साथी ने कहा कि पांच लाख रुपये का हम आयुष्मान कार्ड देकर मानव जीवन के स्वास्थ्य की सुरक्षा दे रहे हैं। माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि कैंसर का एक-एक इंजेक्शन दो-दो लाख रुपये का आता है। उसको कवर अप करने के लिए यदि माननीय मंत्री जी के इस उपकर के माध्यम से धन एकत्रित होता है, यदि उस सेवा के क्षेत्र में यह करें तो निश्चित रूप से चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हों, वे आपके द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

1456 बजे (श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

सभापति जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और रेवेन्यू इकट्ठा करने की नियत से जिस तरीके से पेय पदार्थों, मादक पेय पदार्थों के ठेके हर वर्ष 20 से 30 परसेंट बढ़ाए जाते हैं। वे ठेके गांव के गरीब समाज के अत्यंत निर्धन गांव, जिन्हें हम अति पिछड़ी जाति के कहते हैं, अनुसूचित जाति और वनवासी क्षेत्र के गांव के बीचों-बीच उस नीति के विरुद्ध खोली जाती है और यह सरकार जान-बूझकर इसलिए करती है ताकि उनके परिवार में अशांति हो, उनके बच्चे पढ़ न सकें, उनके परिवार में सोचने-समझने और आगे बढ़ने की क्षमता विकसित न हो पाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और एक कठोर नीति बनायी जाए। संविधान में संशोधन करके एक कठोर कानून बनाया जाए कि जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो। जो लोग मिलावट करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे केवल स्वास्थ्य से ही खिलवाड़ नहीं करते अपितु देश के राजस्व में बड़ी भारी क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उन क्षेत्रों में अति पिछड़ा समाज और हमारे आदिवासी-वनवासी क्षेत्रों के जो गांव हैं, उनके बीचों-बीच में मादक पदार्थों के ठेके खुले हुए हैं। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।

जहां तक सेस की बात आपने की है और आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है कि मशीनों की उत्पादन की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम सेस लगाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि जीएसटी के ऊपर जो अतिरिक्त कर लगता है, उसे उपकर कहा जाता है। यदि टैक्स लगाना ही है तो पूरी उत्पादन क्षमता पर जीएसटी और उपकर लगाया तो लोगों को टैक्स में चोरी करने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे एक साथी सांसद ने कहा कि लोग लाखों पाउच प्रतिदिन का उत्पादन तो करते हैं लेकिन पांच हजार पाउच का उत्पादन दिखाते हैं। यदि मशीनों की उत्पादन क्षमता पर जीएसटी लगाया जाए और उस जीएसटी पर उपकर लगाया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे तत्व जो देश को करों में चूना लगाते हैं जो हमारे रेवेन्यू की चोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं और उस मिलावट के कारण गरीबों में भयंकर बीमारियां आती हैं, जिससे ग्रामीणों की मौत हो रही है। इसको हम रोक सकते हैं और प्रतिबंध लगा सकते हैं।

(1500/CP/GM)

आप जानते हैं कि मादक पेय के कारण क्षेत्र के गरीबों में लूट, हत्या, बलात्कार सहित तमाम कानून व्यवस्था को खत्म करने की आदतें विकसित होती जा रही हैं। कुछ लोग चौराहे पर गुटखा खाते हैं और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, तो उनके साथ कुछ लोग चौराहों पर गलत व्यवहार करते हैं। यदि इसको सख्ती से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। टैक्स में बढ़ोतरी करके इन पर नकेल लगाई जाए तो निश्चित रूप से रेवेन्यू का भी फायदा होगा और टैक्स चोरी पर भी नकेल कसी जाएगी। इसको आपने देश की सुरक्षा से भी जोड़ा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : आप इतना बोले हैं। मैं भी पहला ही बोलने वाला हूं।

माननीय सभापति : जनादेश और पार्टी का भी फर्क है। कितनी संख्या इधर है और कितनी संख्या उधर है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सर, आप भी कभी इधर थे। हम भी कभी मौका लगेगा तो उधर आएंगे।

माननीय सभापति : दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है और महसूस भी किया है। पहलगाम में निरीह लोगों की हत्या कर दी गई और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी देश के ऊपर अटैक किया। देश का नागरिक होने के नाते हम सब इससे गौरवान्वित होते हैं। यदि इसका पैसा देश की सुरक्षा में लगता है तो शायद ही कोई सदस्य ऐसा होगा, जो इस उप-कर का विरोध करेगा। अगर इस देश के टैक्स का पैसा ईमानदारी से निर्धारित काम पर लगे, तो किसी भी सदस्य को ऐतराज नहीं होगा। हमने देखा है कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा की सफाई में हजारों करोड़ रुपये आवंटित हुए, लेकिन उसका मात्र 15 पर्सेंट खर्च हुआ। देश में सफाई के नाम पर, शौचालय के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपये लगाए गए, उसमें मात्र 8 से 10 पर्सेंट ही धरातल पर खर्च हुआ है और बाकी पैसा खर्च होने की स्थिति में नहीं है। यह आंकड़े बता रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय द्वारा बार-बार घंटी बजाई जा रही है। मैं पीठ का सम्मान करते हुए इस विधेयक का इस नाते समर्थन करता हूं, क्योंकि यह पैसा देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगाया जाएगा। इसका आश्वासन माननीय मंत्री जी जरूर सदन को देंगी कि इसका पैसा कहीं अन्य जगह नहीं लगेगा या किसी और तरीके से खर्च नहीं होगा। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

(इति)

1504 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, many people asked me why I am speaking on such a boring Bill which has nothing in it. I am speaking because it gives me an opportunity of mentioning other things which I could have mentioned in 'Zero Hour'. But these are related to the vagaries and mood of the ... (*Expunged as ordered by the Chair*). So, I speak here.

I notice that the Finance Minister is smugly sitting to pass this Bill on a day when rupee has fallen to an all-time low. It has crossed Rs. 90 per dollar. Now the economy is in such a terrible condition, but the Finance Minister has not cared to come and make a statement in the House. It is very unfortunate.

(1505/GTJ/SK)

The hon. Finance Minister is speaking about the health security at a time when the citizens in Delhi are demonstrating against air pollution. The hon. Finance Minister has not announced any scheme to control air pollution.

Sir, you may be knowing that they say that living one day in Delhi is equivalent to smoking 25 ciggarettes. Now, there is no plan. This air pollution goes on unchecked in Delhi. The hon. Finance Minister is trying to hindi-ise herself. This law is called – she likes this - विवाद से विश्वास तक, हैल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक। यह क्या है? यह न हिंदी है और न ही अंग्रेजी है। विवाद से विश्वास तक और हैल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक, यह क्या भाषा है, फाइनेंस मिनिस्टर ही हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगी।

Sir, this cess is on pan masala. Yes, pan masala is a big business in India. We know that, in Kanpur, some years back, they raided the premises of a pan masala manufacturer 'Shikhar'. An amount of Rs. 196 crore was discovered during that raid. Now, we see the top film stars, like Shri Ajay Devgn, advertise Vimal Elaichi and they used to advertise 'Shikhar' also. I do not know what incentive is being given to this.

Sir, now, if I may mention, this is a harsh law. I will come to that later. These are demerit goods. The goods, such as tobacco and pan masala are associated with serious public health risks. Pan masala causes oral cancer.

Now, the Government is so desperate for funds that it is trying to raise revenue from demerit goods. Yesterday, it did on all forms of tobacco and today, it doing on pan masala. It is so desperate for finances and for

resources. For the security of the country, they have to depend on a demerit good like pan masala. This is sad and quite ridiculous, if you ask me.

Sir, the difference in this cess is that it is not on production capacity, but it is on the machines. It is on machines, that is, not on actual production or supply. Am I right? I am saying that cess should be levied on production capacity and not on actual production or supply. That is, it will be levied on machines. It will be a cess on the machine capacity.

Now, I would like to know why only pan masala? They say that pan masala is under Tariff 21069020 of the First Schedule to Customs Tariff Act, 1975. This industry is characterised by a high number of small and segmented manufacturing units, frequent changes in machine configuration with high value addition, low raw material cost and ease of transport of finished goods. It is very light.

(1510/HDK/SJN)

You must have seen small packets of Shikhar or Pan Parag, pan masala. What they do is that they first bring the *supari*, then they grind it. Then, they add a particular perfume, which gives pan masala its distinctive flavour. So, it is very cheap to manufacture, but the gain is enormous. You see that in rural areas and even in urban areas, people take five-six packets of pan masala and they keep it in their mouth for a long time which may lead to oral cancer. This is why, the Finance Minister is trying to raise her revenue.

Now, the Government says that the capacity based levy could help curb evasion, ensure level playing field, stabilise market pricing and strengthen revenue integrity. Pan masala is addictive and causes public health issues at large scale and particularly for the poorer masses. Poor people either take *biris* or pan masala. The whole question arises whether by increasing the cess, the price of the packet is increased, though the Government says that the price of pan masala will not be affected, and will only collect revenue from pan masala sources. So, there is a case where the cess will be levied and collected from taxable persons who own, operate, manage or control the machines or processes used to manufacture specified goods directly or through any authorised arrangement.

Sir, I went through the Bill thoroughly, though it is quite boring. The main thing is that the Government has been talking, shouting over the housetops

that it wants to decriminalise offences in business. They had a Committee which removed imprisonment policy out of the Company Law. Now, the pan masala, cess is … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : दादा, इस बिल में वह है।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : डिक्रिमिनलाइज़ कहां हुआ? आप लोग कहते हैं कि डिक्रिमिनलाइज़ करेंगे for the ease of doing business. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): *Dada,* you address the Chair.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): You are imposing prison sentences. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You should not respond to what he is saying.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : दादा, आप निशिकान्त जी की बात का उत्तर मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Whenever a taxable person, who was in control of the machine, fails to pay the Cess, fails to furnish the returns, fraudulently obtains refund or obstructs or prevents any officer, then there would be a fine and imprisonment for a term, which may extend to five years. … (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Yes.

प्रो. सौगत राय (दम दम) : मैं भी यही कह रहा हूं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप बिजनेस अफेंसेज़ को डिक्रिमिनलाइज़ करेंगे। आप उनको जेल भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। इसके बाद आप आय कर में भी यह प्रावधान कर देंगे। आप कहेंगे कि जो लोग आय कर नहीं भरेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। What is the policy of the Government? Do you want to decriminalise financial offences or do you want to criminalise them? That is a good question that needs to be answered properly.

Sir, it should be upto five years for Rs. 5 crore, three years for Rs. 2.5 crore and above, and then for Rs. 1 crore, it will be one year or whatever, plus they have introduced power of confiscation which is again draconian.

(1515/PS/DPK)

Now, the hon. Member, who spoke from the Congress Party, said that ultimately, it will lead to a severe Inspector Raj. Now, you say that in income

tax, we will have faceless assessments. An Income Tax Officer need not see the taxpayer. These are belonging to the Central Board of Indirect Taxes and Customs. And now, under this law, the inspectors or the officers will have the power to inspect. People will have to give returns and if returns are not given, then, punishment is there. So, in which way is the Government going? I would like the Finance Minister to clarify it.

I understand the desperate urge of the Government to get more money. You need money. A new Parliament Building costs Rs. 20,000 crore. The Prime Minister's 'Seva Teerth' costs hundreds of crores. ... (*Expunged as ordered by the Chair*) And this is what you are saying.

The Government is thinking on two lines. On the one hand, you spend money like water. When there was no necessity for a new Parliament Building, you built a new Parliament Building. When there was no necessity, and the Prime Minister was living at such a big house in Race Course Road, Lok Kalyan Marg, now, you are building that. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Dada, this Parliament is under the domain of the hon. Speaker.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I think that you are quite aware about the domain of the Parliament. The Parliament is absolutely necessary.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Why does the Government need so much of money? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It means that you are criticizing the Parliament, *… (Not recorded)*

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Government needs money for splurging. … (*Interruptions*) Sir, do you understand what splurging means?

HON. CHAIRPERSON: I can understand.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): They are splurging. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। आप विषय पर आइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने एक्सपंज कर दिया है।

… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I am totally … (*Interruptions*)

माननीय सभापति :दादा, आप एक मिनट रुकिए। मैंने निशिकान्त जी को समय दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, यह नियम 352 है।… (व्यवधान) इन्होंने कई लोगों का नाम ड्रैग किया है। ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोठी में रहते हैं, सीपीडब्ल्यूडी ने उनमें से किसी को भी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। ये बिल्डिंग्स ऐसी हो गई हैं, जिनमें सुरक्षा सबसे बड़ा कारण हो गया है और उनमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। जितने भी लोग कोठियों में रहते हैं और दादा भी जिस कोठी में रहते हैं, उनका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए यदि प्रधान मंत्री जी के लिए, माननीय सदस्यों के लिए या इस पार्लियामेंट के लिए यह भवन बन गया, तो वह समय की मांग थी या सरकार ने गलत पैसा खर्च कर दिया?… (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी इस सदन के सदस्य हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात नोट हो गई है।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यदि कोई भी बात उनके बारे में बोली जाएगी, तो पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा।

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, आप तो देश के बारे में सोचते हैं।

माननीय सभापति : पुरानी पार्लियामेंट की एक लाइफ टाइम थी, एक मियाद था।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, please come to the subject and kindly conclude.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Professor Sahab, kindly conclude.

प्रो. सौगत राय (दम दम) : आप सोचिए कि… (व्यवधान) या आपकी प्रायोरिटी है मकान बनाना, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना और खर्चा ही खर्चा करना। इसके लिए सिगरेट, बीड़ी, चेरूट और पान मसाला से खर्चा निकालो तथा उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून लाओ।

This is a draconian law. You want to earn revenue. You make an arrangement like the Income Tax Faceless Assessment. You can make an easy assessment of the tax to be paid by the taxable person. But you are not doing it. Rather you are raising money and saying, 'You must pay us money

from *pan masala* otherwise we will send you to jail and otherwise we will confiscate your machines, etc.'.

Then, you spoke about it but I could not follow all that you said. Nirmala ji also spoke in Hindi. So, I could not follow all that she said because we are Bengalis and we do not follow so much of Hindi. So, the problem remained … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is already on the website of the Parliament. You can go through it line by line.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, इसीलिए बंगाल डिवाइड हो गया।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, हम तो बंगाली हैं और बंगाली ही रहेंगे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बंगाली हैं, लेकिन आप हिंदी के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं।

… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): They are making a South Indian lady to speak in Hindi so that she can familiarize herself.

HON. CHAIRPERSON: I have seen you.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी।

(1520/SNL/PC)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I may speak in Hindi, Tamil, Telugu and English. How does it matter to the hon. MP? The arrangements have been made by the hon. Speaker, and he can get a translation in any language that he desires. What is he saying - that she spoke in Hindi, therefore he cannot understand?

The available facility and technology are being used; he can understand it in any language he wants. Since he has not read the Bill thoroughly and wants to divert from the topic, he is bringing up all these things here. I take objection, and it should be in the record.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Mr. Sougata Roy ji, you are quite aware that the translation facility is available. What the hon. Finance Minister has said - the translation facility is already available - a Member can speak in any language; it will be translated immediately. Yesterday, I think, the hon. Speaker had mentioned about this. आपने उनकी बात पर कल मेज भी बजाई थी। इसलिए, अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।

सौगत राय जी - आप बोलिए और जल्दी ही अपनी बात कृपया समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, मैं इस बिल पर अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं। You have laid down an elaborate and separate mechanism regarding realising cess on Pan Masala.

First, you have a Commissioner; then the Commissioner allows for an appeal. Thereafter, you go to the Appellate, then even to the High Court. They have the power to confiscate machines, the power to arrest, and strangely, in the case of a non-cognizable and bailable offence, the proper officer not below the rank of Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in-charge of a police station. सेंट्रल एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ऑफिसर को आईसी - थाने का ऑफिसर इंचार्ज बना दिया गया। I do not know what the logic is in this Law. It is constantly mentioned in Amit Shah's law, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसका एप्लीकेशन किया जाएगा। ऐसे नहीं होता है। हमारे देश में इवेज़न ज्यादा है। आप इस इवेज़न को रिलाइज़ करें और उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मेकेनिज्म बनाएं। You are giving all the powers from Assistant Commissioner to the Commissioner to realise cess on pan masala.

Therefore, I think that this Bill should be sent to a Select Committee of Parliament to look into this.

(ends)

1523hrs

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you, Sir. I rise here to oppose the Health Security se National Security Cess Bill, 2025

At the very outset, I would like to ask Madam Finance Minister a very simple yet profound question: Why is the title of an English legislation framed as “Health Security se National Security”? Why is this linguistic hybrid? Why is there this attempt to inject a certain cultural or linguistic flavour into what should be a neutral statutory title? This is not mere pedantry!

As our hon. Chief minister, M.K. Stalin, has rightly pointed out, language is not merely a tool for communication; it is a question of identity, dignity and democratic participation. So, a law passed by Parliament must be accessible, neutral and linguistically equitable.

Therefore, I submit that the word ‘Se’ be replaced with ‘For’. Imposing any cess or surcharge is like slitting the throat of federalism. Why I used this phrase, let me explain.

The funds collected through cess and surcharge go entirely to the Union Government without any distribution to the States. The Union Government eyes Rs. 6 lakh crore from cess and surcharge in the financial year 2026, which is up to 10 per cent more than in the financial year 2025.

(1525/SMN/SPS)

Most of the States protest against the shrinking share of this divisible pool of tax revenues, not reaching them. The Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 now seeks to levy a new cess on machines or process used in the manufacture of pan masala and other notified goods.

Sir, I would like to ask in this august House, through you, that the Union Government can concentrate on the reduction of the sale of harmful products, by creating an awareness amidst its consumers to reduce the use of such consumer products which are harmful to health. Instead of doing that, imposing a cess on the manufacturing machines and the processes directly hits the small traders especially the MSMEs. Also, it is neither acceptable on the general terms nor on the ethical terms.

I would like to explain why I used the word ‘ethical’. Sir, the quantum of unused cess and surcharge funds amount to six lakh crore rupees since 2019.

That is not toally spent by the Union Government. While that is the scenario, why to bring a new bill, again a cess bill now, Sir? That is my question. This Bill states that the cess is meant to augment the resources for meeting security expenditure on national security and for public health. In simple terms, the Government says that it will use proceeds from cess on tobacco and pan masala to boost health and national security. This is really a thing to worry about. Let us remember the words of Mahatma Gandhi who said ‘means are as important as ends’. You are collecting the cess and to which direction you are trying to divert the funds is a very important question.

While the BJP professes that India is marching towards global leadership under the leadership of our hon. Prime Minister as *Vishwaguru*, based on the ideals of dharma, is it not very ironical to divert these funds, the cess, heavily laid on those manufacturing processes which are harmful products? Is it not really ironical, Sir?

Sir, let me come directly to the political heart of the Bill. This Government has been adopting a strategy for the past ten years to convert taxation into cesses and surcharges because cesses do not go into the divisible pool and are not shared with the States. According to the Fifteenth Finance Commission’s Report, let me make it clear here that the share of cesses and surcharges has increased from 10.4 per cent of gross tax revenue in 2011-12 to over 26 per cent by 2024. This means States lose thousands of crores annually and that is why, I call it as sliting the throat of federalism.

Sir, Dr. B. R. Ambedkar warned us in the Constituent Assembly that federalism depends on the diffusion of power, not in its concentration in one centre. But what is happening now? It is a *vice-versa* of it becasue this Bill is another step in the systematic concentration of fiscal power, all powers concentrating only in the conglomeration of the Union Government.

Sir, Tamil Nadu has consistently demanded through every pre-Budget memorandum that the Union reduces its reliance on cesses, but instead of correcting its fiscal imbalance, this Bill deepens it.

Sir, let me say how does it do it. This Bill imposes a lump sum cess on machines and manufacturing processes especially those used for pan masala. Let me be very clear Sir. Pan masala and usage of it is harmful for health. It is very injurious for health and States should take accountability in regulating

that. There is no doubt about it but the method chosen here through the Bill is deeply flawed.

And let me also say why I make that statement because there is a nuanced difference. The Bill taxes machines for what they can produce, not what they actually produce. Even idle machines attract the same cess and getting any reduction is complicated. This feels less like a tax but more like an unnecessary burden.

(1530/RP/RHL)

So, I call it as cessification of governance, not justification of governance. I repeat, I call this as cessification of governance, not justification of governance. This Government's favourite economic formula has three components, headline plus chess plus no accountability. We saw this with Swachh Bharat Cess, Krishi Kalyan Cess, Health and Education Cess, Road and Infrastructure Cess, Social Welfare Surcharge, and now this Bill. So, I repeat, this is cessification of governance, not justification. Even Madam Finance Minister, in most of her speeches, has repeatedly acknowledged that cess revenues have risen sharply, and I would like the House to make a note of it also.

Again, our Dr. Ambedkar had warned us: “Good intentions are of no value if the instruments are flawed.” This Bill is precisely that, good intentions strapped to a flawed instrument. Sir, the first casualty of this Bill is the MSME units. It hits MSMEs the hardest. Tamil Nadu has under 10 lakh MSMEs. They are in food processing, packaging and allied sectors. They will be the worst affected sectors if this Bill come into existence. Sir, a government should tax its people with the delicacy of an expert hairdresser, not with the roughness or the power of a butcher. This Bill, unfortunately, opts for the butcher's knife.

Sir, there are few other worrisome observations. Here is power without judicial control in this particular Bill. It contains search, seizure, arrest powers, machine sealing, confiscation and an entire inspection regime without adequate judicial safeguards as has been rightly pointed out by our senior colleague *dada* that it will become an *inspector raj*. Tamil Nadu already has first-hand experience of how easily enforcement powers can be misused. We want budget, but, it can be misused to intimidate small manufacturers. The Bill

hands sweeping discretionary powers to officers without sufficient checks, which is a matter of grave concern.

Sir, the Bill says that the cess is for health security and national security. These are national priorities; there is no doubt about it. But nowhere in the Bill, not in a single line, there is any mention of a utilisation framework, spending formula, transparency mechanism, a commitment to share funds with the states. That is why, we say that this Bill to be not actually brought into law immediately, but it has to be considered to be sent to the Select Committee.

Sir, after the GST compensation ended in June 2022, states like Tamil Nadu have repeatedly sought predictable fiscal support, which has been denied. Let me remind the House, as per the C&AG reports, nearly Rs. 1.45 lakh crore of various cess collections over the years remained unspent. If this Government has not spent existing Health and Education Cess funds, why should we thrust a new one? Sir, we have to remember Pandit Jawaharlal Nehru, who told the Lok Sabha in 1957: "Taxation must never become a substitute for planning or a cloak for unplanned ambition." This Bill feels exactly like that.

Sir, again, Clause 6 of the Bill allows the Centre to double the cess in special circumstances. I would like to know through you, from the Madam Finance Minister, what are those circumstances. Who defines them? Where is the sunset clause? Where is the parliamentary control? This is a taxation by Executive discretion, not by democratic debate. Even, the British did not allow the Executive to tax without parliamentary control after 1689. But, here we are in 2025, giving the Union Government a blank cheque to levy and raise taxes.

Sir, I am so proud, under the leadership of our Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, Tamil Nadu has been ranking high on all its health fronts. Tamil Nadu's infant mortality rate is 13, among the lowest in India. Institutional deliveries are 99 per cent, far above the national average. Tamil Nadu's public health expenditure is higher as a share of GSDP than most states. All this was achieved by our Chief Minister, not from the Central cesses but purely because of his decentralised planning, his Dravidian model governance based on the social justice policies and strong state autonomy. Sir, true national progress is possible only when the Union respects the rights of the States, and works with them as equals, not as their subordinates.

Sir, one important criticism has been raised by Dr. Arvind Panagariya, the Chairman of the 16th Finance Commission, I would like to make a mention of that in this august House.

(1535/UB/KN)

He recently called the issue of the Centre's increasing reliance on cess and surcharges a complicated issue. Also, a conclave of the hon. Finance Minister in the context of the 16th Finance Commission has expressed concerns over the growing imbalances in Centre-State fiscal relations. They plead with the Union Government to stop penalizing those States which perform well. A very important reminder to the hon. Finance Minister is that in their own BJP-ruled Odisha, the Odisha Government has demanded that the cess and surcharges be brought to the divisible pool so that the State can get the share.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Kindly conclude.

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I hope that the Union Government will at least realise that when it is coming from their own ruling State, it is a wake-up call.

I have a few questions. Why is there cess and not tax? Why are there no statutory rules for utilisation? How much of the cess will actually be used for creating health infrastructure? Why is there no State representation in monitoring mechanism? Why are the officers empowered with mere police powers and without judicial oversight? Why is there tax on machine capacity instead of actual production? How much revenue does the Union Government expect to generate annually? How will this cess interact with the GST regime principles?

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

DR. T. SUMATHY *ALIAS*THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I am closing. I demand that 60 per cent of cess proceeds be shared with the States on the basis of formula-based transparent allocation, replace lumpsum capacity-based slabs with proportionate output-based taxation to protect MSMEs, introduce mandatory C&AG audited utilisation reports to be tabled annually in Parliament, and include a sunset clause requiring Parliament approval in every two years.

Sir, if the Government accepts these amendments, Tamil Nadu is prepared to work constructively. Tamil Nadu has been suffering a lot pleading with the Union Government to release the funds for all the Samagra Shiksha Abhiyan, and MGNREGA. The Union Government is turning a deaf ear to all the requests which is again a slit on the throat of 'federalism'. I will end my speech with a quote from Thanthai Periyar:

"Power should never be untied from accountable responsibility. If it is done so, that is the most dangerous thing that would happen on Earth."

If this is going to continue, the Tamil Nadu people will reply befittingly in the upcoming elections.

(ends)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है... (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आलोक कुमार सुमन जी, आप एक मिनट बैठ जाइये।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : किस सेक्शन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, संविधान के अनुच्छेद 343 और 345 के अंतर्गत पॉइंट ऑफ ऑर्डर है... (व्यवधान) हम तमिल लैंग्वेज का या बंगाली लैंग्वेज का सम्मान करते हैं। तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। माननीय प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते रहते हैं। लेकिन जब हम यहां सभी संसद सदस्य... (व्यवधान)

माननीय सभापति : तमिल संगमम भी हो रहा है और आज से ही शुरू हो रहा है।

... (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, हम सभी कहते हैं, तमिल काशी संगमम भी होता है... (व्यवधान) बंगाल से तो हम खुद ही निकले हैं। हमें पता चल गया कि बिहार क्यों बंगाल से अलग हुआ? सौगत बाबू की बातचीत से लगा। सर, माउंटबेटन के बाद सी. राजगोपालाचारी वर्ष 1950 तक गवर्नर जनरल रहे, जब तक कि राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति नहीं हो गए। सी. राजगोपालाचारी जी, इसी तमिलनाडु के आदमी ने इस संविधान को बनाने में बड़ा योगदान दिया। संविधान यह कह रहा है कि कानून की लैंग्वेज दो ही होगी या तो देवनागरी हिन्दी होगी या तो अंग्रेजी होगी। केन्द्र सरकार को कोई दूसरा अधिकार ही नहीं दिया है। इस तरह से बार-बार लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना, गाली देना – यह कहां से उचित है? टी. सुमति और सौगत बाबू ने जो बातें कही हैं, दोनों को एक्सपंज करिये।

माननीय सभापति : हम उसे दिखवा लेंगे।

डॉ. आलोक कुमार सुमन जी।

1539 बजे

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पर बोलने का मौका दिया।

इस विधेयक में पब्लिक हेल्थ के साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटी के टारगेटेड यूटिलाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए सेस लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में यह प्रपोज किया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सामग्री जैसे कि पान मसाला आदि तैयार करने वाली मशीन मेनुअली या हाइब्रिड प्रक्रिया पर सेस लगे, जिससे पब्लिक हेल्थ तथा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिले। यह बिल राष्ट्र को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए स्वतंत्र, स्थाई और टारगेटेड रेवेन्यू सोर्स तैयार करने की एक दूरदर्शी पहल है।

(1540/RAJ/NKL)

यह राजस्व संग्रह ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण भी है। यह सेस उसी दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कैंसर निरोधक, गैरसंचारी रोग और भविष्य की स्वास्थ्य खतरों से निपटने की क्षमता बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी, सीमाओं, रक्षा क्षमताओं और रणनीति अवसंरचाना के लिए संसाधन सुनिश्चित किया जाए। इससे सेस से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी और अनुमोदन के बाद हेल्थ एंड सिक्योरिटी पर खर्च होगी।

महोदय, यह पान-मसाला और तम्बाकू जैसे मादक पदार्थों aerated drinks, महंगी कारें, नौकाओं और निजी विमानों जैसे लक्जरी उत्पादों पर 40 प्रतिशत की निष्पक्षता के साथ राजस्व संतुलन निश्चित करता है। वर्तमान विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी कम्पनसेशन सेस हटाने के बाद टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला के प्राइसेज में गिरावट न हो।

महोदय, इस विधेयक का सेक्शन-4 का सबसेक्शन-1, लेवी और कलेक्शन ऑफ सेस की बात करता है। इससे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, वह राज्यों के साथ शेयर होगा। इस बिल पर मैं अपनी बात रखते हुए यह निवेदन करता हूं कि बिहार जैसे राज्य के शेयर में इजाफा किया जाए। सेस से जो कलेक्शन होगा, उसे पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ-साथ राज्य के लोगों का भी उत्थान होगा और राज्य को मजबूती मिलेगी।

महोदय, इस विधेयक के सेक्शन-9 के सबसेक्शन-1 में यह प्रावधान है कि टैक्स देने वाला आदमी डिक्लैरेशन भरेगा कि कितनी मशीनें लगी हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, मिनिमम रेटेड सामग्री क्या है? वेट ऑफ पैकिंग, नेचर ऑफ पैकिंग तथा टेक्निकल और ऑपरेशनल पार्टिकुलर की जानकारी देनी होगी, ताकि सेस का कैलकुलेशन आसानी से हो सके। मेरा इस सेक्शन में सुझाव है कि इसके लिए मॉनिटरिंग एवं वेरिफिकेशन प्रोसिजर सरल एवं सुगम बनाना चाहिए।

महोदय, वर्तमान विधेयक का सेक्शन-10 पेमेंट ऑफ सेस एंड रिटर्न की बात करता है लेकिन सेक्शन-4 के तहत सेस का कलेक्शन का समय महीने की 7 तरीख तक दिया गया है। इसमें मेरा सुझाव है कि यदि इसको महीने की 10 तारीख तक कर दिया जाय तो टैक्सेबल पर्सन को सेस जमा करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा तथा सेस आसानी से जमा भी हो सकेगा।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बिल में प्रोविजन है कि सेस, जीएसटी एवं बाकी अन्य टैक्स के बावजूद भी लगाया जा सकता है जिसका आधार होगा मशीन कैपिसिटी न कि एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट। मेरा सुझाव है कि सेस कलेक्शन का उद्देश्य टारगेटेड स्पेन्डिंग, पब्लिक हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी पर होना चाहिए। इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। सिन गुड्स यानी डिमेरिट गुड्स पर एक परमानैंट टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी होगा।

महोदय, देश में टोबैको प्रोडक्ट का गुप्त रूप से व्यापार होता है। इससे रेवेन्यू के लॉस का अनुमान लगाना आसान नहीं है। देश के वर्तमान वित्त वर्ष में 104.38 करोड़ रुपए के लॉस के 61 केसेज सामने आए हैं, जिनमें गुटखा, Chewing Tobacco, सिगरेट, पान मसाला आदि शामिल थे।

महोदय, इस विधेयक का सेक्शन-17 सेस पेमेंट में डिले होने पर इंट्रेस्ट पेमेंट की बात करता है, जो कि 15प्रतिशत पर एनम है। यह ड्यू डेट के बाद से प्रभावी हो जाएगा इसका उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसमे मेरा सुझाव यह है कि तम्बाकू और पान मसाला मुआवजा सेस तब तक जारी रहे, जब तक केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान न हो।

महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार में 1,73,030 करोड़ रुपए राज्य के विकास के लिए रिलीज किये गये हैं। बिहार राज्य के टैक्स डेवोल्यूशन के लिए 17403.36 करोड़ रिलीज किये गये हैं। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि बिहार के सभी सैक्टर्स की बकाया राशि यथाशीघ्र रिलीज की जाए ताकि यहां और विकास का कार्य हो सके। राष्ट्र तभी मजबूत होगा, जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1545/VR/NK)

1545 hours

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): Thank you, hon. Chairperson. I rise today to express my views on the Health Security Se National Security Bill, 2025, which is a landmark legislation introduced by our dynamic and visionary hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and our esteemed Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman.

At the outset, I wholeheartedly commend the Modi Government for again placing public health, fiscal prudence and national security at the centre of national policy making.

The Bill is not just a financial reform, it is a moral commitment to safeguard the health of our citizens and strengthen the security architecture of our nation. For years, India has struggled with the devastating social and health impact of tobacco, pan masala, gutka and similar harmful products. The economic burden on our health system is enormous.

The NDA Government recognised this challenge early and has implemented several deterrent measures. Now, with the phase-out of GST compensation cess, the Government has taken a farsighted decision to impose the national security cess, ensuring continuity of revenue from sin goods, protection of public health, financial stability for national security infrastructure and a strong deterrent against harmful consumption. This step reflects strong governance, long-term thinking and the courage to take decisions that put the nation above politics.

The Bill aligns seamlessly with the Government's sustained commitment to public health. Over the last decade, the Government's share in total health expenditure has risen from 29 per cent in 2014 to 48 per cent in Financial Year 2022, a significant increase in public investment. The transformative initiatives such as Ayushman Bharat PM-JAY, which cover nearly 55 crore individuals and have established around 1.7 lakh functional health and wellness centres, reflect the Government's focus on universal and equitable health care by securing dedicated funds through this Bill. We further strengthen the foundation of a healthier and safer India.

However, despite these important strides, the nation continues to grapple with serious health challenges. Anaemia remains widespread,

affecting more than two-thirds of children and nearly 60 per cent of adolescent girls, while three out of four women still have low dietary iron intake.

Equally worrying, hospital data from 2020-23 show that half of the heart attack patients in India are under the age of 40, pointing to a sharp rise in early-onset cardiovascular diseases. We are also witnessing a rapid increase in overweight and obesity among children and adults alike, signalling an emerging nationwide health crisis. Chronic non-communicable diseases like heart disease, diabetes, respiratory ailments and cancer now account for nearly two-thirds of deaths in India, up from less than 40 per cent in 1990. It is in this broader context that cess-based funding has become even more crucial.

We must also recognise that health challenges vary significantly across States. Andhra Pradesh, for instance, has the second-highest HIV burden in the country. With 2.75 lakh cases, nearly 59 per cent of women in the State are anaemic. Communicable, maternal, neo-natal and nutritional diseases contribute over 25 per cent of the State's total disease burden. These realities highlight the need for targeted, state-specific interventions backed by adequate resources.

Apart from this, there are some concerns about this Bill. I hope the hon. Finance Minister will clarify them in the House. One of the major concerns is that the cess proceeds are not shared with the States. So, there is opposition from some quarters. States or political parties may argue that such revenue centralisation harms the federal fiscal structure of India. Moreover, calculating cess based on machines and processes rather than output might be complex, and may increase compliance burden on small manufacturers or units.

If the Government uses the cess for broader national security spending, there might be less transparency about how much goes to health versus security, which may raise accountability concerns.

With these words, I support this Bill and commend the Finance Minister for introducing this Bill for health as well as national security. Thank you very much.

(ends)

(1550/PBT/KDS)

*SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Hon'ble Chairman, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Health Security Se National Security Cess Bill, 2025. While discussing this bill in this august house, I am completely confused about Government's Stand. Whether this Government is really serious about people's health or only concerned about revenue generation?. Sir, as you know, Paan Masala, Gutkha, Khaini is the prime and foremost cause of mouth cancer in our country. The habit of chewing tobacco or Gutkha is very dangerous. It has ruined the lives of millions of youths and their families too. In rural areas, urban area, in school and colleges, in factories, we can find everybody chewing this. Nowdays, even women are also consuming it . It is the main cause of cancer. People are spending lakhs of rupees on treatment. This is also an additional burden on public health system. Millions of families have already been affected due to this habit of Gutkha chewing. But, the Government is quite indifferent to it.

Sir, I belong to Vidarbha region of Maharashtra. It this area, Everybody consumes Nagpuri Kharra which is a deadly combination of tobacco and other harmful ingredients. Out of 10, around 4 persons regularly chew this Nagpuri Kharra. This is a very alarming situation, because all age group people and women too, are consuming it on daily and regular basis.

They are not consuming Kharra but a poison. Due to this habit of chewing Kharra, Gutkha and Paan Masala, my region Vidarbha has become mouth cancer capital of India. There are many examples in Yavatmal-Washim area, where even the small children fall prey to mouth cancer. This is the shocking reality of Vidarbha region.

Sir, the financial losses are also increasing due to these tobacco consumers. They spend Rs. 100-150 daily for this harmful habit. The laboure and workers spend their hard earned money on purchasing this Kharra. They do not have sufficient money for health and education, but they are spending their wages for it. This is not only a financial loss, but it badly affects their overall livelihood.

---

* Original in Marathi

Sir, if this Government is really serious about providing health security, it would have banned these Gutkha and Tobacco in our country. This is a harsh reality, but the Government has turned its blind eye towards it. If these tobacco products are banned, it would be beneficial for their health. But, at the same time, Government's revenue would be reduced. Hence, Government is not ready to ban it because it is more concerned about the revenue generation than people's health. Government is not ready to ban it but imposing more taxes on these products to generate maximum revenue.

Through this bill, the Government proposes to impose more cess on tobacco products to use this money for public health. Why is it not banning these harmful products? Government is playing dual game with us by not banning tobacco products and generating revenue out of it., This is very unfortunate. Sir, this Government and tobacco factory owners are responsible for the loss of lives and the problems have arisen due to it in those families. This Government is focusing only on tax collection and not on public health issues. Sir, there is an urgent need to ban tobacco products. This bill aims at revenue generation not citizen's health. I demand that the tobacco products should be banned completely in our country.

(ends)

1556 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, thank you very much.

Sir, I want to speak on this Bill today. Thank you for giving me the permission to speak on the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025.

I appreciate the reason for bringing the Bill. I will not say that I object to the Bill. I would like to support the Bill because I am not taking away from the intention of the Government. We had a very detailed discussion yesterday. Yesterday, in a reply, she, at length, was very practical and there was a very pragmatic approach of the hon. Finance Minister of the challenges of tobacco and what the position is today in the larger interests of society. But my first question to the hon. Finance Minister is this: Why is this in the form of cess? Just yesterday in a reply, Sir, you were present there, she talked about taxation at length and we have no objection to any form of taxation. अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे? You are happy to pay tax on these demerit goods. But why in the form of cess, specifically for this?

I hope she indulges us in a clarification. My very learned friend who spoke extraordinarily well today is Sumathy. She also asked the same question, that is, if the cess ever has to be doubled, they do not need to bring it back to the Parliament. We are not against it. If you want to increase taxes on any good which is not good for society at large, we will support any such thing. We will support the Government. जीएसटी का अच्छा बिल आप लाये, हम आपके साथ खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे। आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे, हम पूरी ताकत से, हमारी राजनीति, हमारे जो भी डिफरेंसेज हैं, हम उन्हें छोड़कर आपके साथ देश हित के लिए खड़े रहेंगे। अगर यह बिल देश के हित के लिए है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों? अगर आपको डबल करना है, आप ट्रिपल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाएंगे? Then, what is the value and the sanctity of this democracy? सर, हम चुनकर क्यों आते हैं? आज आपने भी अच्छी चर्चा की। आज आपका बहुत लंबा भाषण हुआ। मैं उस पर भी आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन दूँगी। आपका भी बहुत अच्छा भाषण हुआ है और हमेशा ही आपका अच्छा भाषण होता है। I would like to ask her two or three important questions. During the last ten years, in the hon. Prime Minister Modi regime or era, the cesses have gone from ten per cent to 25 per cent. I still remember. I miss Arun Jaitley ji. अरुण जी जब फाइनेंस मिनिस्टर

थे तब हमेशा उनके मुँह से एक अच्छा शब्द कोआपरेटिव फेडरलिज्म आता था। वे हमेशा कोआपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे कि सबको साथ लेकर चलेंगे, हर राज्य को उसका हक देंगे और जो राज्य पिछड़ा होगा, उसे आगे लाने के लिए सरकार जो कर सकती है, वह करेगी। आज 5-7 साल से मैं इस सरकार को देख रही हूँ। इस सरकार की नीयत थोड़ी सी, मुझे नीयत नहीं बोलना चाहिए, शायद पॉलिसी बोलना चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है कि सेस पर आप ज्यादा जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्शन इसे बढ़ाने के लिए नहीं है। हम सबका ऑब्जेक्शन है कि आप सेस मत कीजिए, आप टैक्स कीजिए, उसे हमारे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर राज्य को पैसे की जरूरत है।

(1600/MNS/AK)

ज्यादा से ज्यादा जगह आप ही की डबल इंजन सरकार है, फिर दिक्कत क्या है, सेस क्यों है? आप देश में ज्यादातर डबल इंजन सरकार चला रहे हैं, तो राज्यों को देने में क्या दिक्कत है। There is another thing on which I want to seek a clarification. … (*Interruptions*) I am not yielding. … (*Interruptions*) What is the split between health and national security? आप हेल्थ के लिए दे रहे हैं, यह अच्छी बात है। देश के आरोग्य के लिए आपकी सरकार कुछ कर रही है, हम उसका स्वागत करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी में तो विपक्ष हमेशा सरकार के साथ ही रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम आपके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन क्या यह स्पिलिट होगा? इसके बारे में भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। यदि उनकी रिप्लाई में यह कह सकें तो अच्छी बात होगी। मैं पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन यह बिजनेस एक हाई प्रोफिट मार्जिन का बिजनेस है। इसमें टैक्स इवेशन हो सकता है, यह मैं मानती हूं। यह पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत खराब है। इसके बारे में प्रोफेसर रॉय ने भी कहा है। मेरी सरकार से बड़ी विनम्रता से विनती है कि हर एक को जेल में डालने से प्रश्न हल नहीं होता है।

सर, इनकम टैक्स हो या इनसॉल्वेंसी हो, हम सब मिलकर काम करते हैं। हमारी कोशिश रही है कि अगर आप आदमी को जेल में डालेंगे, तो उससे क्या हल होगा? यह जो इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है, उससे हैरेसमेंट ही होगा। चाहे सच हो या झूठ हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, मैं तो इस बिजनेस के खिलाफ हूं। मैं तो चाहती हूं कि पान मसाला और गुटखा इस देश से बैन हो, लेकिन यह हो नहीं सकता, मैं यह जानती हूं। हमने महाराष्ट्र में गुटखा बैन किया है। वहां पर यह इतना ब्लैक में चलता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं कल उसके ऊपर बोल चुकी हूं। मैं किसी भी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, न ही होम मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रही हूं। आप किसी भी राज्य में कॉलेज के पास जाइए, पार्लियामेंट में इतना अच्छा रूल बनाया गया कि किसी भी कॉलेज या स्कूल के पास में गुटखा या तंबाकू नहीं मिल सकता, लेकिन हर कॉलेज और स्कूल के पास यह मिलता है। यह बहुत दुख की बात है। यह हर राज्य में हो रहा है। मैं यह किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, जो सच है, वही बोल रही हूं। हम सब के घरों में बच्चे हैं। हम इसमें कैसे बदलाव लाएंगे, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।

सर, मैं सेस के बारे में सीएंडएजी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी जो पेपर में आयी है। मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं कल भी कह रही थी और हमेशा कहती हूं। केंद्र की सीएंडएजी की एक रिपोर्ट है, जो पेपर में आयी थी। मैं उसे टेबल भी कर सकती हूं, नहीं तो निशिकान्त जी नाराज हो जाएंगे। आप भी आज मुझ पर आईएमएस की रिपोर्ट के लिए नाराज हुए, लेकिन सर, मैं जो पेपर में पढ़ती हूं, उसी से आपको बोलना चाहती हूं कि जो हेल्थ सेस है और एजुकेशन सेस है, मैं बहुत बार बजट पर भी बोली हूं, मैंने बहुत बार इनसे पूछा है कि आप जो यह सेस कलेक्ट करते हैं, क्या वह पैसा सचमुच वहां जाता है?

सर, मैं विपक्ष में हूं केवल इसीलिए टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन सीएंडएजी रिपोर्ट कह रही है कि health cess, education cess, inventor education and protection fund, and monetization of national highway fund, यह जो पैसा कलेक्ट हुआ है और जिसके लिए कलेक्ट हुआ है, उसमें पूरा खर्च नहीं हुआ है। यह सीएंडएजी की रिपोर्ट है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से जवाब मांग रही हूं कि उसका क्या हुआ। उसका पैसा कहां गया? अगर सी एंड एजी की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं गया, तो पैसा गया कहां? हम तो सरकार पर पूरा विश्वास करके टैक्स भरते हैं। आप जिसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं।

सर, आप जमीन से जुड़े हुए नेता है, आपको तो पता ही है कि आज हेल्थ केयर की क्या हालत है। आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाइए, आपने आयुष्मान भारत के बारे में बोला, यह अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आज भी आप जाओ, तो जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, वह बेचारा दवाई भी नहीं खरीद पा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : हमने साइंस एंड टेक्नॉलोजी की कमेटी के साथ विजिट किया है। वहां पर काफी सजेशन दिया है।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : जी सर। यह मैं कह रही हूं कि कोशिश हो रही है।

सर, एक दूसरा इश्यू आया है, जो पेपर में आया था कि The Centre has not transferred Rs. 3.6 lakh crore of cess collections. This was a C&AG Report on the oil industry. मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूं। यह ऑयल इंडस्ट्री के लिए है। सर, सबसे ज्यादा पैसा ऑयल इंडस्ट्री में जाता है। हमारा पैसा बाहर जा रहा है। यदि ऑयल इंडस्ट्री के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये हो रहा है, तो वह पैसा क्यों नहीं गया? यह मैं नहीं कह रही हूं, यह सीएंडएजी की रिपोर्ट कह रही है। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रही हूं। आप 3.6 लाख करोड़ रुपये ऑयल इंडस्ट्री के बचा लेते। सर, आप सोचिए सरकार का क्या होता। आप इस बारे में थोड़ा सोचिए।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now. There is a long list of speakers with me.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सर, दो-तीन चीजे हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है।

(1605/MLC/SRG)

आप भी उस पर बहुत सारी बातें बोले कि एम्स हो रहे हैं। अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर एम्स बढ़ रहे हैं तो क्या वहाँ काम करने के लिए टेक्निकल लोग हैं?

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You already have raised your concerns. Your point is well taken.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I wish to raise two very short points. Even he was talking about the economy. I am very happy to hear that. देश का भला हो तो हम सबके लिए अच्छा है। But I want to ask two or three very small points to this Government just for seeking clarification. प्रोफसर सौगत रॉय जी ने भी आज कहा कि हम 90 रुपये पर पहुँच गए हैं, लेकिन सिर्फ दो छोटे मुद्दे मैं देश के क्लैरिफिकेशंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रही हूँ कि The data of Reserve Bank of India shows that the net Foreign Direct Investment remained negative at USD 2.4 billion in September and portfolio flows have been volatile. Foreign investors withdrew Rs. 23,885 crore in September, Rs. 34,000 crore in August and Rs. 17,000 crore in July. October briefly saw a net inflow of Rs. 14,000 crore, but selling resumed soon, resulting in a net outflow of Rs. 3,765 crore from Indian equity. सर, आप कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है, यह अच्छी बात है, आगे जाना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो वोलेटाइल दुनिया में हो रहा है। आप टैरिफ की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें। But the data is not showing that. I shall be grateful if the hon. Finance Minister clarifies to us what the real global scenario is. Let us not only run after numbers.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : जो वास्तव में है कि आज महंगाई बढ़ रही है, आप अगर घर जाएं और भाभी जी से पूछेंगे, तो भाभी जी बता देंगी कि कितनी महंगाई है। आप इस बारे में जरूर सोचिए। I would appreciate if she clarifies the cess. We are happy to support the Bill, but this cess has to be spent for what it is collected.

HON. CHAIRPERSON: She clarified on your points in great detail yesterday.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): No, but we expect a clarification from her. People are objecting and want to send it to a Select Committee. We do not want to send it to Select Committee if she clarifies these points.

Thank you. (ends)

1607 बजे

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐतिहासिक विधेयक, 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025' पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना और हमारे लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और घट नेता श्री डॉ. श्रीकांत शिंदे जी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए, क्योंकि इस बिल का शीर्षक है, 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी', जो सिर्फ, एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की विचारधारा है। इसका अर्थ एक स्वस्थ भारत, एक सुरक्षित भारत और एक विकसित भारत है।

"नशा बेचने वालों का अब हिसाब होगा,
सेहत और सरहद-दोनों का किताब होगा।"

हमने वह दौर देखा है, जब कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। उस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से दुनिया को जीवनदान दिया, बल्कि अपने नागरिकों को भी सुरक्षित रखा। आज भारत विश्व की सबसे बढ़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह विकास तभी संभव है, जब हमारी आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) मजबूत हो। मुझे गर्व है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा आज अभेद्य किले जैसी है। उनके प्रयासों से अनुच्छेद 370 का खात्मा करके हमने कश्मीर को भारत का अंग बनाया है। वर्ष 2019 से पहले के दौर के मुकाबले आज कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं।

महोदय, जब भी सरकार देश के विकास के लिए कोई 'सेस' (Cess) लाती है, तो विपक्ष के साथियों के पेट में दर्द शुरू होता है। ये पूछते हैं कि सेस का पैसा कहां जाता है? ये सेस वही सजा है, जो वक्त ने लिखी, अब देश की एक-एक सांस सुरक्षित होगी। मैं आज इनकी आंखों से झूठ का पर्दा हटाना चाहता हूँ। जब आप अपने घर से निकलते हैं और चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ देखते हैं, जब आप वंदे भारत ट्रेन्स देखते हैं, जब आप समुद्र पर बने अटल सेतु और मेट्रो देखते हैं, तो याद रखिए, यह उसी 'सेस' का पैसा है जो जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है।

(1610/GG/SM)

इनको कश्मीर की डल झील तो दिखती है, लेकिन वहां जाने के लिए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, वह नहीं दिखता है। आज कश्मीर में ट्रेन दौड़ रही है। तमिलनाडु में 2,000 मेगावाट का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो देश को ऊर्जा दे रहा है, वह इसी फंड से तैयार हो रहा है।

विपक्ष को लगता है कि, जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन आंकड़े, झूठ नहीं बोलते हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 19.4 लाख करोड़ रुपये का सेस इकट्ठा किया है। इसमें से 31% राज्यों को जीएसटी नुकसान की भरपाई के लिए दिया गया। 30% पैसा सीधे सड़क और बुनियादी ढांचे पर खर्च हुआ। 16% पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगा, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है और मुफ्त इलाज करा रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने 4.18 लाख करोड़ रुपये के सेस कलेक्शन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 8.19% ज्यादा है। यह पैसा किसी नेता की तिजोरी में नहीं, बल्कि भारत के निर्माण में जाएगा। INDI Alliance ने सत्ता में रहते हुए हेल्थ और सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरी। जब देश की सुरक्षा की बात थी, तो बोफोर्स और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे घोटाले किये।

जब महामारी आई, तो महाराष्ट्र में इनकी अघाड़ी सरकार ने, कोविड बॉडी बैग स्कैम और खिचड़ी स्कैम किया। शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने लाशों के कफन और गरीबों की खिचड़ी में भी पैसा कमाने की योजना बना लीं। इन्होंने वोट बैंक के लिए, पोटा जैसा कानून हटाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया।

1612 बजे (कुमारी सैलजा पीठासीन हुईं)

इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है "भ्रष्टाचार से परिवारवाद तक"। ये टैक्स जनता से लेते थे, लेकिन उसे अपने निजी विकास और फॉरेन ट्रिप पर खर्च करते थे। यही कारण है कि जनता ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में इनके वोट चोरी और संविधान खतरे में है के झूठे प्रचार पर अपने वोट की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जनता ने इन्हें आईना दिखा दिया है। जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं, वह दिन दूर नहीं, जब कांग्रेस नेशनल तो क्या, राज्य की पार्टी बनकर रह जाएगी। आप single largest opposition party से single digit MP party बन जाएंगे।

महोदय, अब मैं इस बिल के तकनीकी पहलू पर आता हूँ। यह बिल पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर सेस लगाने का है। लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहले टैक्स उत्पादन पर लगता था, जिससे चोरी करना आसान था। फैक्ट्री मालिक दिखाते कम थे, और बनाते ज्यादा थे। लेकिन इस बिल के तहत अब सेस, मशीनों की क्षमता पर लगेगा। यह 'Self-Declaration' पर आधारित है, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला या बिना बताए मशीन लगाई, तो उस पर 10,000 रुपये या चोरी किए गए, सेस के बराबर जो भी ज्यादा होगा वह जुर्माना लगेगा।

महोदय, इस बिल में सरकार ने भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यह बिल, केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि विशेष परिस्थितियों में वह इस सेस को दोगुना तक बढ़ा सकती है। हर निर्माता को पंजीकरण कराना होगा और मासिक रिटर्न भरना होगा। बिल में एक कठोर ऑडिट और असेसमेंट तंत्र बनाया गया है। यदि कोई धोखाधड़ी, कर चोरी, या रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करता है तो उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों को छापेमारी,

जब्ती और माल या मशीनों को कुर्क करने के साथ-साथ गिरफ्तारी के भी पूरे अधिकार दिए गए हैं।

बिल के अनुसार, यदि कोई मशीन एक मिनट में 500 पाउच या डिब्बे बनाती है तो उस पर सेस इस प्रकार लगेगा - यदि पाउच 2.5 ग्राम तक का है, तो 1.01 करोड़ रुपये का सेस लगेगा। यदि पाउच 2.5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच है, तो 3.64 करोड़ रुपये का सेस लगेगा। यदि पाउच 10 ग्राम से अधिक का है तो 8.49 करोड़ रुपये का भारी-भरकम सेस लगेगा।

इस सेस से जो पैसा आएगा, वह भारत की संचित निधि में जमा होगा और संसद की मंजूरी के बाद इसका उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए किया जाएगा। यह पैसा देश को मजबूत करेगा।

महोदय, यह बिल केवल राजस्व का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है। हर साल हमारे देश में 13.5 लाख लोग, तंबाकू के कारण मर जाते हैं। यह सच है कि भारत में हर घंटे 5 लोग केवल मुंह के कैंसर से मर रहे हैं।

(1615/YSH/GM)

सभापति महोदया, जब पान मसाला और गुटखा महंगा होगा तो उसका सेवन कम होगा और इस सेस से जो पैसा आएगा, वह पैसा एम्स बनाने में, मेडिकल कॉलेज खोलने में और आयुष्मान भारत के हमारे लाभार्थियों के इलाज में खर्च होगा।

आज देश में 23 एम्स और 2,045 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एमबीबीएस की सीटें 51 हजार से बढ़कर 1.18 लाख हो गई हैं। यह पैसा इन्हीं भावी डॉक्टरों को तैयार करने में लगेगा, जो कल हमारे और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। वे जहर बेचते रहे और हम चुप रहे, ऐसा नहीं होगा। अब हालात कह रहे कि सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। सेस लगेगा तो नशे की ताकत टूटेगी और कौम की सेहत फिर से खिल उठेगी।

सभापति महोदया, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल प्रधान मंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला है।

"हवाओं का रुख मोड़ देने का इरादा किया है,
देश की सुरक्षा का हमने वादा किया है,
तुम ढूंढते रहो कमियां, अपने पुराने चश्मे से,
हमने इस देश का विकास उम्मीदों से भी ज्यादा किया है।"

(इति)

1616 hours

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Madam, I rise to speak on the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 not with statistics alone, but with the live reality of Indian families. A mother in rural India still walks miles under the scorching Sun for a simple vaccine. A daily-wage worker stills falls into debt for a hospital bed. Health is not an accounting entry; it is a human dignity.

Madam, healthcare in India is fundamentally delivered by the States through PHCs, CHCs, district hospitals and emergency care. Federal balance is not decorative; it is an engine of our healthcare system and no national security structure can stand on a weakened foundation of fiscal federalism. This Bill proposes a new cess on machines and processes used to manufacture pan masala and tobacco products. The intent may appear noble, but our duty as people's representative is to examine its very architecture.

First, the cess is outside the divisible pool. States which run almost the entire public health machinery will receive nothing. Past cesses have remained unutilized, untransferred. Without a non-lapsable fund, independent audits and mandatory reporting, this Bill risks becoming yet another opaque revenue system. Although the Finance Minister did mention that this cess will be divided with States, it is in no way mentioned in the Bill. Madam, this is not an exception but has become a norm. Cesses now form around 14.8 per cent of Union taxes which have increased from 9.5 per cent. Rs. 94,036 crore from the Education Cess and Rs.3.69 lakh crore from various other cesses have never been transferred to the designated funds, exposing systemic opacity and eroding federal trust.

Additionally, the Bill merges two important objectives, health and national security into a single cess. This dilutes clarity and increases the risk of diversion and makes auditing across two priority sectors very difficult. Instead of strengthening cooperative federalism, this Bill creates a parallel stream outside the GST framework, exactly what the 14th and 15th Finance Commission warned against when they urged raising States' share above 41 per cent. Yet, we see another levy that entirely bypasses the States.

Madam, let us confront the public health burden the cess claims to address. As per the National Academy of Medical Sciences Report 2025, India

records around 1,30,0000 new oral cancer cases every year and over 75,000 deaths annually, which is among the highest in the world. A national study in 2023 shows that patients spent on an average Rs.One lakh out of pocket for oral cancer treatment and 96 per cent of families experience catastrophic health expenditure, meaning the illness destroys their financial stability. This is the real economic burden which India is facing.

(1620/GTJ/STS)

Every rupee collected must be ring-fenced for cancer screening, early detection, NCD management, palliative care, and strengthening the State healthcare systems. Not a paisa should disappear into opaque accounts, like it has been happening.

Secondly, the Bill imposes heavy compliance burdens on small and medium manufacturers, liabilities up to Rs.25 lakh per month and grants sweeping powers of search, seizure, and arrest. The regulation must not become intimidation. We must also acknowledge another reality. The tobacco ecosystem employs nearly 36 million people, farmers, beedi rollers, small manufacturers, transporters, packers, and this reform cannot be built by pushing the poorest to the edge.

Madam, therefore, I propose three constructive amendments. Firstly, a turnover-based exemption threshold should be there so that small and medium manufacturing units are not crippled by this cess and can be shielded from crushing compliance. Secondly, a dedicated beedi workers' livelihood transition and welfare fund offering, skilling, micro-credit, health protection, and pathways to alternative livelihoods may be created. Thirdly, a statutory requirement should be there that a fixed percentage of the cess be transferred to the State to hold fiscal federalism and equip the State to handle tobacco related disease burdens.

Hon. Chairperson Madam, let us situate this in India's broader health context. India still spends just 1.9 per cent of GDP on health, which is far below even our own national health policy target of 2.5 per cent. The Supplementary Grants every year show chronic under-visiting. If health is a priority, it must appear in the Union Budget and not in the last minute cesses. We have around 31882 PHCs at the grassroots, but many still lack doctors, diagnostics and 24/7 services.

The ruling party mentions dash number of AIIMS with a lot of pride, but in reality, we all know that these AIIMS are without specialists, mandatory health services, and with long appointment waiting list. Quantity without quality cannot deliver health security. A PHC, without a doctor, is a building. A CHC without diagnostics is just a signboard. This Bill assumes that higher taxation will curb addiction. But, addiction cannot be fought with taxation alone. We need awareness campaigns, counselling, cessation clinics, and behavioral support. A cess cannot rebuild-ise, a roadmap will definitely do.

Hon. Chairperson, Madam, India needs a genuine alternative raise in health expenditure to at least three per cent of GDP in the Union Budget through transparent budgeting. The Government should treat States as equal partners in health planning and implementation. We need to strengthen PHCs, CHCs, district hospitals, and, even the pride of our nation, the AIIMs. Focus on quality services, not just on numbers. We may publish annual health security and accountability statements and launch national cessations support mission for addiction treatment and behaviroal change.

Hon. Chairperson, Madam, this Bill collects revenue from the people, but witholds trust from the States. Without trust, no health system can endure. I would like to quote a line from Shri Rabindranath Tagore's work:-

"Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark."

Let us not darken that faith with opacity. Let us build a system where every rupee is accounted for, every State is empowered, every worker is protected, and every citizen is secured in health, and thereby the national security.

Lastly, Madam, Finance Minister, I wish you to keep in mind the health economy which is in dire straits as we speak. You propose to generate revenue for a different expenditure, which is becoming costlier because of rupee which is in free fall. Thank you. Jai hind.

(ends)

(1625/MM/HDK)

1625 बजे

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : धन्यवाद सभापति महोदया। इस सदन में आज "हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025" पर चर्चा का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की कुशल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई देती हूं और अभिनंदन करती हूँ।

सभापति जी, यह विधेयक सिर्फ एक वित्तीय व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। देश की जनता की रक्षा, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा और हमारी राष्ट्र-शक्ति को सुदृढ़ करने की जो सोच इस बिल के मूल में है, वह वास्तव में न्यू इंडिया की प्रगतिशील और संवेदनशील शासन-व्यवस्था का प्रतीक है।

इस बिल के तहत, पान मसाला तथा अन्य अधिसूचित उत्पादों पर सेस लगाया जाएगा, जिसकी आय को सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उद्योग उच्च लाभ अर्जित करते हैं, जबकि समाज में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ाते हैं। ऐसे में इनसे एक उचित योगदान लेकर राष्ट्रहित में उपयोग करना बिल्कुल उचित और समयानुकूल है।

सभापति जी, बिल में मशीन आधारित उत्पादन पर सेस को मशीन की रेटेड स्पीड और प्रति पैकेट भार के आधार पर निश्चित किया गया है। यह व्यवस्था उत्पादन क्षमता के अनुसार न्यायसंगत, पारदर्शी और तकनीकी रूप से अत्यंत वैज्ञानिक है। वहीं, पूर्णतः मैनुअल उत्पादन पर 11 लाख रुपये प्रति माह का स्थिर सेस, छोटे उत्पादकों पर अत्यधिक बोझ न डालने का उदाहरण है। यह सरकार की संतुलित और संवेदनशील नीति को दर्शाता है।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त, सेस भुगतान में अनियमितता होने पर कड़े दंड, रुचिसिद्ध ऑडिट, और तीन-स्तरीय अपील प्रक्रिया हमारे कर प्रशासन को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाएगी। धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण देने या एक करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी जैसे गंभीर अपराधों पर कठोर दंड और कारावास की व्यवस्था- सेक्टर को अनुशासित और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है। मैं सरकार की इस दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करती हूँ कि यदि सार्वजनिक हित में आवश्यकता पड़ी, तो सेस की दरों में दोगुना तक वृद्धि करने का भी प्रावधान रखा गया है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता प्रभावित न हो।

सभापति जी, मैं प्रस्तुत विधेयक में कुछ सुझाव देना चाहती हूं:-

एक, बिल में एक प्रावधान हो कि सभी मशीनें डिजिटल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (DPMS) से जुड़ी हों, ताकि उत्पादन डेटा स्वतः कर विभाग तक पहुँचे और सेस की गणना अधिक सटीक और पारदर्शी हो।

दूसरा, बिल में यह स्पष्ट किया जाए कि मशीनों की अधिकतम रेटेड स्पीड का सत्यापन एक “थर्ड पार्टी टेक्निकल एजेंसी" करेगी, ताकि कोई निर्माता मशीन क्षमता को कम दिखाकर सेस चोरी न कर सके।

अंत में, मैं पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक, व्यावहारिक और राष्ट्र-सुदृढ़ीकरण वाले विधेयक के लिए हृदय से बधाई देती हूँ और इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ। यह बिल न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के द्विस्तरीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को भी इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं।

(इति)

1628 बजे

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया।

महोदया, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं गुटका सेवन के पक्ष में बिलकुल नहीं हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नशे की कोई भी चीज मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इंसान की सोचने-समझने की शक्ति को कम करती है और उसकी अंतरात्मा को भी कमजोर कर देती है। मै इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और शायद यही वजह है कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में आज तक शराब, सिगरेट, पान, गुटका का सेवन नहीं किया है। इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल सकता हूं कि आगे वाली लाइन क्या है। यह सही है, लेकिन इसके साथ एक और सच है कि लगभग साढ़े चार लाख करोड़ लोग इसी उद्योग से कहीं ने कहीं जुड़े हुए हैं। कोई छोटा व्यापारी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला है, पैकेजिंग वाला और किसान इससे जुड़े हुए हैं। जब हम इस तरह का कोई कानून बनाते हैं तो यह भी देखने की जरूरत है कि इसका असर उन करोड़ों परिवारों पर न पड़े।

मैडम, सेस किसी समस्या का समाधान नहीं है। सेस को स्वास्थ्य से जोड़ना, सेस को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना, हमारी आंतरिक सुरक्षा अगर गुटके के सेस पर डिपेंड हो जाएगी तो भगवान ही मालिक है।

(1630/CP/PS)

हमारे यहां इनकम टैक्स पर चार पर्सेंट हेल्थ और एजुकेशन टैक्स लगता है तो फिर यह सेस क्यों? सेस में यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितना हेल्थ में जाएगा और कितना आंतरिक सुरक्षा में जाएगा? कैग की रिपोर्ट बोलती है, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की रिपोर्ट नहीं, कि सेस के 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। कैग के अनुसार पिछले 6 सालों में 48 हजार करोड़ रुपये माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मद पर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। 37 हजार करोड़ रुपये जो स्वास्थ्य के लिए ट्रांसफर करने थे, वे ट्रांसफर नहीं हुए। जो पैसा अभी तक इकट्ठा किया है, उसे आपने ट्रांसफर नहीं किया है।

गुटखा पर बहुत सारे राज्यों में बैन लग चुका है, वर्ल्ड के कई देशों में भी बैन लग चुका है। हमारे यूपी, बिहार में यह चलता है। इससे गरीब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। मेरे बोलने से पहले हमारे पूर्वांचल के माननीय सांसद जी चेयर पर थे, पूर्वांचल की मंत्री जी भी बैठी हुई थीं। मुझे लगता था कि मैं जो बोलूंगा, उन बातों से वे भी सहमत होंगे। शायद वे अपनी अंतरात्मा को बोझ तले दबा नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, आईना देख नहीं सकते, इसीलिए उठकर चले गए। किसी ने कहा है कि जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं, वो बड़े बेरहम होते हैं। वे बड़ी बेरहमी से उठकर चले गए। अगर वे रहते तो हां में हां बोलना पड़ता। मैं पूर्वांचल के इलाके से आता हूं।

आप स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जिन परिवारों में 6 लोगों से कम लोग हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। उसकी लिमिट 5 लाख रुपये तक है। जिस परिवार में गम्भीर बीमारी हो जाए, उदाहरण के लिए कैंसर हो, मैंने बजट में भी कैंसर के

मरीजों के संबंध में बोला था। हमारे यहां आर्सेनिक वाटर है। उसकी वजह से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पूर्वांचल में जाकर देख लीजिए, हमारे यहां छोड़ दीजिए। माननीय प्रधान मंत्री जी के बनारस में जाकर देखिए। बीएचयू और टाटा के सामने सड़कों पर कैंसर के मरीज पड़े हुए मिल जाएंगे। मैंने अपने बाप को खोया है। उनको गले का कैंसर हो गया था। मैं उनको लेकर बनारस के अस्पताल में गया, बेंगलुरु के अस्पताल में गया। उन्हें एक-एक लाख रुपये का इंजेक्शन विदेश से मंगवाकर लगवाना पड़ता था। जिन परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, आप उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का पहले से बकाया सेस का पैसा नहीं दे रहे हैं। उनके बारे में चिंता कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है। वहां कफ सिरप पिलाकर बच्चों को मारा जा रहा है। एक साल तक महिला भटकती रही, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसे विषयों पर कौन सोचेगा?

खाली टैक्स लेने के लिए आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप अस्पतालों में जाकर देखिए। मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र की दिशा की बैठक में इस विषय को उठाया। हमारे यहां एक महीने में चार-पांच महिलाओं की मौत हो गई। वहां फर्जी डाक्टर इलाज करते हैं। वहां बोर्ड लगा दिया है, क्योंकि किसी को दिल्ली में संरक्षण प्राप्त है। बड़े-बड़े डाक्टरों के नाम लिख दिए जाते हैं और सड़क छाप डाक्टरों से इलाज कराया जाता है। मैंने जब दिशा की बैठक में आवाज उठाई तो छापे मारे जाने लगे और पैरासिटामोल बेचने वालों को बंद किया जाने लगा। आज भी स्वास्थ्य माफिया के संरक्षण में फर्जी दवाएं बिक रही हैं, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं।

जब आप अस्पतालों को परमीशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो यह देखिए कि स्पेशलिस्ट कौन होगा, डाक्टर कौन होगा, क्या वह स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं? स्वास्थ्य माफिया जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में काम कर रहा है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। जो सेस का पैसा लिया गया था, वह प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिए था। वे पुराने पैसे अभी तक राज्यों को नहीं मिले हैं। हमारे यहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है। … (व्यवधान) पांच-पांच किलोमीटर स्कूल दूर कर दिए गए। … (व्यवधान) जो पहले बोल रहे थे, आप उनको भी मना कर देते। … (व्यवधान) क्या यह लाइसेंस मिला है कि केवल बीजेपी के लोग बोलेंगे? सच्चाई बरदाश्त नहीं होती है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (KUMARI SELJA): Please address the Chair.

श्री राजीव राय (घोसी) : सच्चाई बरदाश्त नहीं होती है। मैडम, आपने सुना। 370 पर बहस हो रही थी, चाइना एवं पाकिस्तान पर बहस हो रही थी। आईना दिखाऊंगा तो ये झेल नहीं पाएंगे। आईना यह है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के सरंक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है। पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। अगर यकीन न हो तो मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आप मेरे साथ बनारस चलकर प्रधान मंत्री जी के इलाके में देखिए। आप आंतरिक सुरक्षा को इससे जोड़ रहे हैं। यह भी एक बीमारी है। यह सेस के पैसे से ठीक नहीं होगी।

मैडम, आप बुद्धिजीवी हैं, दयालु हैं। इस टैक्स को दुनिया भर के देशों में सिन टैक्स भी कहा जाता है।

(1635/SK/SNL)

इस टैक्स की कुछ टेक्नीकेलिटीज़ हैं। आप कल्पना कीजिए, क्योंकि यह मशीन से चलेगा, प्रोडक्ट खराब हो जाए या स्पॉएल हो जाए लेकिन काउंटिंग मशीन से होगी तो स्पॉएल और खराब प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की कोशिश की जाएगी। इसका सीनेरियो कितना खतरनाक होगा, क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है?

सभापति जी, मैं सेस के पैसे को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ने के खिलाफ हूं। हमारी सुरक्षा गुटखा और शराब के पैसे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपको देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए टैक्स लगाना है, लगाइए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। आप टैक्स लगाएं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि टैक्स का पैसा लेकर आप अपने यहां रखें और राज्यों को न दें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज्यादा गुटखा आता है, बिहार में आता है, पूरा पैसा वहां जाए। आप ऑडिट करवाएं कि अगर स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर लिया है या आंतरिक सुरक्षा के नाम पर लिया है तो क्या अस्पतालों की दशा बदली है?

मेरे यहां जमीन है, जब मैं पहली बार सांसद बना था तब से मांग कर रहा हूं कि कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए। आप हमारे यहां टैक्स लगवा दीजिए और कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए ताकि यहां निशिकांत दुबे जी के यहां से लोग आ जाएं। यहां एम्स की बात हो रही थी। 1 लाख 10 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी गईं एमबीबीएस को कौन पढ़ाता है? एमडी पढ़ाता है या एमएस पढ़ाता है। आप फैकल्टी नहीं बढ़ाते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी से फीता कटवा देते हैं, उद्घाटन करवा देते हैं। मैं चुनौती देता हूं, वहां जाएंगे तो कमरे के दरवाजे तक नहीं होंगे, डॉक्टर की बात तो दूर है।

मैडम, और तो और हालत उस हद तक चली गई है कि सदन में जो सवाल उठते हैं, जीरो ऑवर में जो सवाल उठते हैं, उसके फर्जी जवाब दिए जाते हैं। मैं आपको सबूत के साथ बताउंगा और इसके तथ्यों को मैं अलग से प्रिविलेज मोशन में लाउंगा। वहां डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डॉक्टरों के बारे में लिख दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कफ सिरप बनाने वालों को सत्ता से संरक्षण मिलता है, उसे खत्म कीजिए। जहां चिकित्सा माफिया है, उसे खत्म कीजए, जो लोग फर्जी डॉक्टर के नाम पर पैसे लेकर अस्पताल चलाते हैं, उसे खत्म कीजिए तब जाकर स्वास्थ्य सुरक्षा होगी। आप गुटखे के पैसे स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जब देश के लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा वैसे ही खत्म हो जाएगी।

(इति)

1637 hrs

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Respected Madam, I rise to speak on the Health Security se National Security Cess Bill, 2025, which aims to provide a stable, long-term revenue stream for health emergency preparedness and national security. The Covid-19 pandemic highlighted the urgent need to strengthen disease surveillance, response systems, and public health infrastructure, making this Bill timely and welcome.

First, I would like to acknowledge some of the positive aspects of this Bill, especially its dedicated and predictable health security funding. This Bill recognises that public health emergencies cannot be managed by irregular, ad-hoc budget allocations. A dedicated cess ensures a stable and long-term funding mechanism. This funding can support disease surveillance networks, expand ICU and emergency care capacity, and back vaccine research.

Public health supports national preparedness. This Bill allocates resources to strengthen both public health and security, recognising that robust health infrastructure is crucial for overall national preparedness.

While acknowledging the positive aspects, I would like to stress that States like Andhra Pradesh continue to face significant public health and infrastructure gaps. It is crucial that the benefits of the cess reach the frontline and support state-level preparedness effectively.

Firstly, ensuring safe drinking water and preventing water-borne diseases and food poisoning in the residential schools of Andhra Pradesh is essential. I may bring to the kind notice of the Government that a couple of months ago, a jaundice outbreak occurred in the Kurupam Girls Residential School, where two innocent tribal students lost their lives, and 170 tribal students were admitted to the hospital due to jaundice.

This outbreak occurred due to contamination of water with faecal matter. It is complete negligence on the part of the State Government for not providing safe drinking water to the students studying in residential schools. It happened due to the poor maintenance of an RO plant.

(1640/SMN/SJN)

Our former Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy Garu demanded for the compensation and accountability from the State Government. But so far nothing has happened.

The second incident happened a month back immediately after the Kuruppam incident where food poisoning happened in the Government Residential School run by the State Government in Jarrela and Rajendrapalem.

In Jarrela, 53 students fell sick and in Rajendrapalem, 22 students fell sick and were admitted in hospital only because of food poisoning. These incidents have raised concerns about the State's response affecting the tribal students and inadequacy of the public education infrastructure. Today, I raised this issue in this House because there is a saying in Telugu that *'Neti Ballale, repati pourulu'* which means today's children are tomorrow's youth.

There is another important issue in Andhra Pradesh. In 2025, PHC doctors prostested in Andhra Pradesh which reveals serious pressure on public healthcare with overall 1100 centres at risk of shifting outpatients and the emergency services due to the staff shortages and long-standing unresolved grievances.

While temporary measures like deploying substitute staff and restoring in-service PG quota were taken, long term issues are still pending. Health security and national security should be strenghtened in the rural areas and in the tribal PHCs by hiring and retaining staff and improving the promotion channel and by giving incentives and emergency care training and upgrading the infrastructure so that the service remains uninterrupted and vulnerable communities receive the treatable healthcare.

By this, the Health Security Se National Security Cess Bill must clearly focus on providing safe drinking water and upgrading the rural water pipelines and providing surveillance of water borne diseases in the high risk districts like ASR and Manyam in Andhra Pradesh and additional priority should be given for improving sanitation and health services in the welfare schools.

Thank you, Madam.

(ends)

1642 बजे

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, आज मैं इस सदन में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। केन्द्र सरकार यह विधेयक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रस्तुत कर रही है। यहां समझ में नहीं आ रहा है कि गुटखा और पान-मसाला पर उपकर सेस वसूल कर लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर सचमुच केन्द्र सरकार लोगों की चिंता करती है, तो बिहार सरकार जैसी शराबबंदी की तर्ज पर संपूर्ण देश में पान-मसाला एवं गुटखा बनाने व बेचने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने की जगह अपनी जेब भरने की चिंता है।

दूसरा, पान-मसाला, गुटखा एवं तंबाकू जैसे उत्पादों से प्राप्त होने वाली आमदनी से राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या लेना-देना है? इस विधेयक के प्रावधानों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है। क्या पान-गुटखा बनाने वाली कंपनियां कोई ड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा? यह तथ्य अपने आपमें बेहद हास्यास्पद है, सिवाय और कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे उत्पाद हैं, जो दोहरी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं।

जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्रम में परमाणु बम बनाने से यूरेनियम पैदा होता है, लेकिन पान-गुटखा बनाने वाली व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे चुनौती देगी? कहीं न कहीं इस प्रावधान में राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जोड़ देने से उपकर से अर्जित आय का हिसाब-किताब आम जन को सूचना से महरूम कर देने के अलावा यहां कोई और दूसरा कारण नहीं दिखाई देता है।

तीसरा, कानून बनाने के क्रम में एक जगह उल्लेख है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी नए उत्पाद का नाम इस सूची में जोड़ सकती है। एक जगह कानून में यह भी लिखा है कि अगर सरकार चाहे तो कोई पेनल्टी और इस तरह के सेस को आंशिक रूप से या पूरा माफ कर सकती है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि सत्तारूढ़ दल चुनावी फंडिंग या इलेक्टोरल बॉन्ड में आना-कानी करने पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। अगर कारोबारी उनसे सहमत होंगे, तो कर माफ कर देने का भी प्रावधान है।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक के आने से इंस्पेक्टर राज की वापसी का भी रास्ता साफ हो रहा है। जबकि वर्तमान सरकार रोज इस सदन में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का ढिंढ़ोरा पीटने में लगी रहती है। यह उपकर पूरी तरह से केन्द्रीय स्तर के लिए बना है। इसमें राज्यों के साथ किसी प्रकार के शेयरिंग मैकेनिज्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि

स्वास्थ्य भी राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वसूले गए संसाधनों से राज्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

(1645/DPK/RP)

संविधान का अनुच्छेद-270 राज्यों को उपकर के राजस्व में कोई हिस्सा नहीं देता। जबकि राज्य 60 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय का बोझ स्वयं उठाते हैं, क्योंकि केंद्र गैर-साझा करने योग्य उपकारों पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को 41 प्रतिशत तय किया था, लेकिन केंद्र सरकार के उपकर बढ़ाने से राज्यों को वास्तविक हिस्सा कम मिल रहा है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार राज्यों से परामर्श, जीएसटी काउंसिल पर विस्तृत विचार-विमर्श और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना धीरे-धीरे संसद से ब्लैंक चेक मांगने की कोशिश कर रही है। सरकार इस सेस को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर भावनात्मक सहमति लेने की कोशिश कर रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ पर खर्च बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि उसका रास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए, जो असमान, अपारदर्शी और राज्यों तथा श्रमिकों के हितों के खिलाफ हो। यदि सचमुच उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है, तो सरकार को चाहिए कि सामान्य बजट प्रक्रिया, वित्तीय उत्तरदायित्व और संसद की फाइनेंस कमेटियों के माध्यम से स्पष्ट बजट का प्रावधान करती, न कि एक और नया सेस लगाकर टैक्स स्ट्रक्चर को और पेचीदा बनाती। विधेयक यह कहता है कि उपकर से प्राप्त रकम पहले समेकित निधि में जायेगी और बाद में स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होगी। लेकिन यहां पर किसी स्पष्ट, बाध्यकारी अनुपात, पारदर्शी रिपोर्टिंग या स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट की मजबूत व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। अभी तक कोई स्पष्ट आउटकम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है। इस सेस से जुटाई गई राशि से कितने नए अस्पताल, कितने हेल्थ सेंटर्स, कितने रक्षा प्रोजेक्ट्स या कितने आपदा तैयारी तंत्र बनाए जाएंगे?

सरकार इस उपकर को मुख्यत: पान मसाला और आगे अधिसूचित विशिष्ट वस्तुओं पर लगा रही है, जिन्हें वह हानिकारक मानती है, पर न तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों और न ही एनसीडी (गैर-संचारी रोग) तथा कैंसर बोझ आदि के किसी वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला विधेयक में है, जो कि स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए था। यदि वास्तव में उद्देश्य नशे की बुरी आदतों को रोकना है, तो सरकार को तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन, उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास कार्यक्रम और राज्यों के स्वास्थ्य बजट को सीधी मदद जैसे उपायों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से व्यवहार परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती है।

यह बिल कहता है कि कोई भी व्यक्ति, जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई मशीन ओन ऑपरेट (Own operate) या कंट्रोल करता है, तो उस पर सेस लगेगा, चाहे वास्तविक उत्पादन कितना भी हो। सेस मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेगा, न कि वास्तविक आउटपुट पर यानी अगर बाज़ार में मंदी है, उत्पादन घटाना पड़े या मशीन आंशिक रूप से चले, तब भी पूरा सेस देना होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और मझोले उद्यमियों को होगा, जो पान मसाला और इससे जुड़े सेक्टर में कारखाने चलाते हैं, किराये पर मशीन लेते हैं या साझा मशीनों से काम करते हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले हजारों-लाखों मजदूर, पैकिंग वर्कर्स, परिवहन कर्मी और सप्लाई चेन से जुड़े लोग अचानक बहुत बड़े टैक्स बोझ और अनिश्चितता के दायरे में आ जाएंगे। यह उपकर मशीन की रेटेड स्पीड के आधार पर लगाया जाएगा। ज्यादा स्पीड वाली मशीन पर प्रति माह करोड़ों रुपये तक का उपकर देना होगा, जिससे छोटे और मध्यम यूनिट्स या तो बंद होंगे या फिर गैर-औपचारिक एवं अवैध उत्पादन की ओर धकेल दिए जाएंगे।... (व्यवधान)

पान मसाला और संबंधित उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाले लाखों मज़दूरों के लिए न तो इस विधेयक में कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है और न ही वैकल्पिक आजीविका का कोई व्यावहारिक खाका। जबकि अवैध तथा बिना बिल के उत्पादन से राजस्व हानि और मिलावटी उत्पादों का खतरा और बढ़ेगा। विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह उपकर कब तक वसूला जाएगा, कौन-सा वित्तीय लक्ष्य पूरा होते ही इसे वापस लिया जाएगा और संसद को प्रत्येक वर्ष फंड के उपयोग का विस्तृत एवं अनिवार्य लेखा-जोखा दिया जाएगा या नहीं।

आज तक शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, सड़क उपकर आदि के उपयोग की समेकित तथा सार्वजनिक समीक्षा इस सदन के सामने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं प्रस्तुत हुई है। ऐसे में एक और उपकर जोड़कर सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। यदि सरकार सचमुच स्वास्थ्य की चिंता करती है, तो उसे टैक्स के साथ-साथ डिमांड साइड नीतियां लानी चाहिए। सख्त विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगार, स्वास्थ्य योजनाएं, जागरूकता अभियान और राजस्व के नाम पर सिर्फ बोझ बढ़ाना समाधान नहीं है। मैं सदन से मांग करता हूं कि अस्पष्ट प्रावधानों के चलते इस कानून को सेलेक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिए, जिससे इस पर विस्तार से चर्चा हो सके। धन्यवाद।

(इति)

(1650/UB/PC)

1650 hours

*SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): Hon. Chairman Sir, our hon. Finance Minister has introduced Health Security Se National Security Cess Bill 2025. Hon. Finance Minister while making the introductory remarks said that as per the production capacity of the machinery, Cess will be levied on Pan Masala and other tobacco products. She also announced that the amount thus collected would be utilized for health security and national security. These securities are very much needed. There is no second thought on this. But hon. Finance Minister should clarify whether the amount collected through Cess would be sufficient for ensuring health security and national security. If Cess is levied, the amount thus collected will only go to the Union government. As the States have to take care of health and security issues, I urge upon the hon. Finance Minister that 50 per cent of the amount collected through such a cess should be given to the States. In her initial remarks, Finance Minister said that they would devise schemes for the States with this fund. I wish to state that if 50 percent of the tax income is provided to the States, they can themselves formulate Schemes suitable for them. I urge that taxes on the essential items should be reduced and the taxes on corporates and the rich should be increased. Please show sympathy towards poor. Don’t shrink or do away with the Schemes meant for poor people. We cannot minimise the usage of tobacco, Pan Masala, zarda, liquor, etc. just by putting more tax on these products. Union Government has refused to accord approval for a hospital under the PMJVK (Prime Minister Jan Vikas Karyakram) funds. We also want to know as to what happened to the PM CARES fund created during Corona period. We also wish to know the income and expenditure statement pertaining to PM CARES fund. Many families in our country are facing difficulties due to cancer, kidney failure and heart related ailments. When we recommend for providing assistance under the Prime Minister Disaster Relief Fund, they fix a quota for the number of beneficiaries for every month. Whatever be the required amount, they permit only an amount between Rs. 1 lakh and Rs. 3 lakh. People are affected during the period when diseases spread rapidly. This

* Original in Tamil

Government failed to control the pricing of drugs. I wish to ask the Government to explain on the action taken against those who fix and sell medicines at exorbitant rates. National security has become a question mark in the national capital itself. During Operation Sindoor, hon. Minister for Home Affairs stated that headquarters of Jaish-e-Mohammed terrorist organisation and other terrorist camps were destroyed completely and terrorism has come to an end. Delhi Car bomb blast took place only after Operation Sindoor. Who are falling prey to terrorism? Only those who are boycotted and those who feel insecure try to follow terrorism. Government should engage such people and try to engage in confidence-building measures. Only through such measures, terrorism can be destroyed. In Tamil Nadu, regarding lighting of Karthigai Deepam (lamp) on the stone pillar atop a hill, a sitting Judge of High Court who enquired the case created controversy which led to riots. CISF personnel were originally sent for security, but that Judge had used them for implementing his unilateral judgement. He wanted to create a tussle between the State Police force and the Central Industrial Security Force. Due to his Judgement, people witnessed religious clashes. What would be the action taken by this Government against such Judges? Fines should be imposed on them. The national security fund should be increased by way of such actions. Drug Enforcement Agency says that illicit drug is transported along the seashore of Gujarat and Maharashtra. Trafficking of Drugs like Methamphetamine has increased 6 times between the years 2014 and 2024. Therefore, I request the Hon Finance Minister to use the collected fine amount, which were imposed on such illegal activities, for national security. This Government should make changes in the tax system. Taxes on poor should be reduced. Income should be generated by levying additional taxes on the Corporates and the rich. I urge the Hon Finance Minister to implement the welfare schemes meant for the public through such tax revenues collected from corporates and rich.

Thank you.

(ends)

1654 hours

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Madam, the purpose of this Bill is to introduce special taxes on the products like pan masala and any other items that the Central Government may add later. Money collected from this cess will be used for public health and national security purposes. The Government can increase cess up to double if needed in public interest for a limited period. Other penalty clauses are also there.

(1655/NKL/SPS)

When we are discussing this, I am not questioning the integrity of the Government or the honesty of the hon. Minister. The fact remains that, instead of addressing the crux of the issue, you are just beating around the bush. You are really not addressing the main issues. It is as if you believe in some kind of magical remedies, which will not work. We have to address the real problem.

We all know that there are certain problems, especially in the health sector. If we honestly think about the health sector in India, it is deteriorating significantly. These kinds of small arrangements will not serve that purpose. We have to take it very seriously. Revenue generation, to an extent, is okay, but that alone will not solve the problem. Instead, we have to do serious work.

We know that worldwide, the expenditure on education and health is given maximum importance. Unfortunately, we are resorting to these kinds of small arrangements. We may do it around the merits of it. India is a country that gives very low priority to this sector. As an example, India spends only two per cent of its GDP on health care. At the same time, other countries allocate between five per cent and eight per cent. India has a very low spending on this sector. The Government should change its priorities.

Now, what is happening is this. My learned friends have mentioned about another danger. The products like Pan Parag are emerging in the market in a big way. We may get some revenue out of it, but I would like to say that this revenue would kill our kids. This drug abuse is still rampant. There is no remedy. So, what I am saying is, India must think seriously about this.

Currently, we have agreed to allow 100 per cent foreign investment. Foreign companies are coming in. Okay, let them deposit their investments and run good hospitals. But now we have to realize that a new technique is emerging, which is not Foreign Direct Investment. They are not investing

money here; rather, they are taking away the ownership of the institutions. This is happening now. Big hospitals in India are being captured by foreign entities. They are capturing the entire market. You know what the strategy is.

Madam, I do not want to take much of your time. I would like to say that these foreign companies have already purchased most of the hospitals in India. I do not know whether the Government is aware of this. For example, Temasek (Singapore) holds 59 per cent of their share in Manipal Hospitals; Blackstone (US) is capturing 80 per cent of its share in KIMS; KKR (US) holds a significant share in Baby Memorial Hospitals; CVC Capital (Luxembourg) holds 60.4 per cent of its share in HCG; General Atlantic holds 70 per cent of its share in Ujala Cygnus; and TBG Growth (US) holds 55 per cent of its share in our hospitals. What are they going to do? They are not investing in India. We are talking about 'Make in India', but these companies are taking over India's hospitals, according to their will and pleasure. What will happen if we remain silent on these matters? What kind of danger are we inviting?

I humbly request the Government to think seriously about this. It is not a small issue. Our investment and various other aspects depend on these considerations. Policies need to be revised. The Governments should think out loud about these matters.

Madam, I would like to emphasize that we have to work jointly and fight against these challenges. I am going to conclude. The Government must have a clear-cut programme of action, not just take the cess on that. The clarity is not there. One area is security and the other area is health. What is the proportion of allocation? How much are you going to allocate for health and how much are you going to allocate for security? All of these aspects require further clarification.

So, with good intentions, I would say that you must think seriously about these issues. With these few words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

(1700/RHL/VR)

1700 बजे

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : माननीय सभापति महोदया,जो यह बिल आया है, the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025, मैं इसकी हिमायत में खड़ा हुआ हूं, इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उसने जो यह डी-मेरिट गुड्स हैं, जिसमें खासतौर पर पान-मसाला वगैरह शामिल हैं, उन पर सेस लगाया है, इंपोज किया है। यह बहुत जरूरी है। मैं इसको इस नजर से नहीं देख रहा हूं कि इससे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा या कम होगा। इससे कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। मेरी हुकूमत से यह मांग रहेगी कि इस किस्म की सारी चीजें चाहे वह पान-मसाला हो या ड्रग्स का मामला हो या और ऐसी चीजें हो जिससे हमारी इंसानियत तबाह हो रही है, हमारा यूथ इससे तबाह हो रहा है, उसको मुकम्मल बैन किया जाए। उस पर मुकम्मल पाबंदियां लगाई जाएं, उस पर मुकम्मल तौर पर सेस लगाया जाए और हमें उसको डिस्करेज करना चाहिए। अगर कोई इस कारोबार में लगे हुए हैं। वे इसका काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर उनका कारोबार जा रहा है, तो उनके लिए सरकार कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स दे सकती है, लेकिन ये चीजें बंद करने से हमारा समाज ठीक होगा, हमारे लोग ठीक होंगे। आज दुनिया में इंप्लॉयमेंट से भी ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वह इस चीज की है कि ड्रग्स में जो लोग, जो बच्चे जा रहे हैं। हमारी पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं, उससे बचने की जरूरत है। मैं उस एंगल से इसको देख रहा हूं। यह भी अच्छी बात है कि इससे जो पैसा जमा होगा,आप उसको हेल्थ सेक्टर में लगाएंगे। 'जान है तो जहान है।'सेहत ठीक रहेगी तो सब काम होंगे। जो हमारा हेल्थ का सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन का सेक्टर है, हमारे हिंदुस्तान के ग्रामीण एरियाज़ में उसकी बहुत बुरी हालत है। उसका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ और बिल्डिंग्स की कमी है। यह जो पैसा जमा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है, इस बिल में यह कहा जा रहा है कि लोगों की हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल होगा। हम इस चीज का वेलकम करते हैं और हम यह चाहते हैं कि स्टेट्स को भी यह पैसा जाएगा। मेरी हुकूमत से यह अपील होगी कि स्टेट्स को भी यह कहा जाए और केन्द्र सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे कि कैंसर के जो पेशेंट्स होंगे, इसमें से ज्यादा पैसा उनके लिए जाना चाहिए। क्योंकि यह बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, इसके इलाज में बहुत ज्यादा खर्च है। चाहे अमीर हो या गरीब हो। अल्लाहताला हर एक को बचाए। इसमें बहुत बड़ा खर्च होता है, तो अगर मेरी यह तजवीज मान ली जाए कि इस पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम में लिया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आसन पर आपसे पहले जगदंबिका पाल जी थे, वे कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का है, तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप बेशक हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज मत खोलिए, लेकिन जो आपने खोले हैं, उनको तो ठीक कीजिए। आप उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर तो देख लीजिए। वहां पर कैथलैब नहीं है, वहां पर एमआरआई मशीन नहीं है, वहां सिटी स्कैन नहीं है और फैकल्टी की तो बात ही नहीं है। वित्त मंत्री साहिबा यहां पर नहीं हैं, अगर वे यहां पर होतीं, तो मैं उनको कहता कि ज्यादा बिल्डिंगें बनाने, कॉलेज खोलने से मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर के ज्यादा मसले हल नहीं होंगे। हल इससे होंगे कि एक तो इस पैसे को बेहतर यूज किया जाए और दूसरा जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके कॉलेज हैं, कम से कम वहां पर फैकल्टी होनी चाहिए, वहां पर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। (इति)

(1705/KN/PBT)

1705बजे

श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) : मैडम, आपने मुझे अहम बिल पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बिल का टाइटल हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पढ़ रहा था। मेरा यह मानना है कि हेल्थ सिक्योरिटी के लिए या तो अच्छी डाइट मिले, स्पोर्ट्स का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उससे आदमी की सेहत बेहतर हो सकती है। पान मसाला, तम्बाकू के बारे में तो हर जगह लिखा है कि सेहत के लिए यह बड़ा खतरनाक है। हम उसके बावजूद उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। इवन, हमारे यहां तो ग्लोरिफाई किया जाता है कि बारातियों का स्वागत पान मसाले से होगा। यह बड़ा हास्यस्पद विषय है।

मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें बादशाह थे। सिख धर्म में तम्बाकू या बाकी चीजों को कैसे लिया जाता है? वे एक बार घोड़े से जंगल में जा रहे थे तो उनका घोड़ा तंबाकू के खेत को देखकर रुक गया था। यह चीज बहुत खतरनाक है। इस बिल के माध्यम से सरकार चाहती है कि देश की सिक्योरिटी को सिक्योर किया जाए। फिर तो पान बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला कहेगा कि मैं देश को सिक्योर कर रहा हूं।

अभी तक तो हम सोचते थे और यह सच्चाई है कि हमारी देश की जो ग्रेट आर्मी है, उसके कारण हम लोग सिक्योर्ड हैं, हमारे बॉर्डर्स सिक्योर्ड हैं। फिर कल को पान बेचने वाला कहेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं, इसलिए देश का बॉर्डर सिक्योर्ड है। यह अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्शन पैदा करता है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें पूरे तरीके से वर्जित होनी चाहिए थीं। ऐसा हो सकता है। सरकार की इंटेंशन पर मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, मुझे लगता है कि यह अपने आप में बहुत मैच्योर इश्यु नहीं है।

गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से हजारों-करोड़ों रुपये की नशे की खेप पकड़ी जाती है और वह देश के अन्य भागों में यूटिलाइज हो रही है। जो लोग इतने बड़े नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? हम पान मसाले पर जो सेस लगाएंगे, पंजाब का पाकिस्तान से 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बार-बार कह रहे हैं कि उसको मॉडर्नाइज कीजिए। नशा बाहर से आ रहा है। उसको रोकने के लिए क्या सरकार इस सेस का यूटिलाइजेशन ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर करेगी? ये तमाम इश्युज हैं। मुझे लगता है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, इवन इसमें तो एक बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, impact of major stakeholder, impact on consumer और इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि no major changes as prices not likely to get impacted.

इसके प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे और उसका इंपैक्ट भी नहीं होगा। क्या हम उसको ग्लोरिफाई कर रहे हैं? क्या पान मसाले को और लोग खाएं, क्या इस तरफ सरकार जा रही है? उससे वह ज्यादा सेस बटोरेगी। पान मसाले वाले जो कारोबारी हैं, उनका कारोबार और बढ़ेगा। हम किस तरफ जा रहे हैं? यह बड़ा कंट्राडिक्शन है।

मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं। तमाम देश भर में जीएसटी के माध्यम से या अलग-अलग तरीके से टैक्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। पान मसाला और तंबाकू से जो सेस इकट्ठा होगा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें स्टेट्स का कितना हिस्सा रहेगा? उसके बारे में भी क्लेरिफाई करना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो उसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों का खाना-पीना बेहतर करना चाहिए, न कि ऐसी चीजों को ग्लोरिफाई करना चाहिए या उस पर टैक्स लगाना चाहिए। इससे तो उसका कारोबार करने वाले उत्साहित होंगे। वे यह कहेंगे कि हम देश को सिक्योर कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत कंट्राडिक्शन पैदा करता है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1709 hours

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you, Chairperson for allowing me to speak on the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025, which proposes to levy a cess on machines installed and the processes to manufacture goods that fall under high health risk and high revenue category, like pan masala and tobacco products.

The main objective of the Bill is to raise additional revenue in two categories: national security and public expenditure. But, Madam, from health security to national security, the purpose of collecting cess is to spend it for a specific purpose.

(1710/RTU/RAJ)

But here the spectrum is very broad — from health security to national security. Where the accountability will be and how the audit will take place is a serious concern that we have to focus on.

Anyway, this Government brings a Bill for consideration and passing. But till now, I have not seen any consideration; only passing. Whatever revenue that is generated from this cess is expended usually for a specific purpose. This allows the Centre to have more fiscal autonomy, but the point to be noted is that it acts as a new and big source of revenue for the Union Government. At the same time, the cess reduces the fiscal state and the financial autonomy of the States. Most importantly, the shift towards non-shareable taxes reduces transparency in fiscal management. Normally, in public health spending, it is said that 1.1 per cent to 1.5 per cent of GDP is spent as per 2017 statistics. But as per the National Health Policy, it has to be a minimum of 2.5 per cent. This Government will never believe in spending on health care, but it only poses as if it is having a serious concern about the health care.

Article 270 states that the States will not receive any share of cess proceeds, a structural aspect that increasingly strained the fiscal federalism. For example, the 15th Finance Commission recommended that the States should receive 41 per cent of the divisive pool, for 2021-2026, the actual share of the Centre's gross tax revenue has declined significantly as the Centre now collects the largest proportion of taxes through non-divisible taxes and surcharges. As a result, the States have to encounter a dual challenge that the

share of the simple taxes diminishes while they continue to bear nearly 50 per cent of public expenditure's responsibility, particularly in essential sectors like health, education and infrastructure. In this context, introduction of additional sources from which States are excluded, which leads to restrict and undermine the cooperative federalism. Combining health and national security and merging the two, both unrelated objectives, under one cess is dilution of priorities. Funds meant for public health may be diverted to security purposes or *vice versa*. This reduces transparency.

Madam Chairperson, I would like to bring to your kind attention that more than Rs. 1.5 lakh crore of funds collected by the Government through the varied schemes for the purpose of higher education, road development and welfare of construction workers are lying unutilised. I am not saying this. Madam, it is CAG's report. A huge possibility of diversion of funds for the purposes mandated under the Finance Act cannot be ruled out at all. A cess does not form part of the divisible pool to be shared with the States. The cess that is collected is to be deposited to designated reserve fund. There is a huge shortfall of Rs. 3.95 lakh crore cess which was not transferred for the specific purpose, especially in the field of oil industry, health and education.

Madam, intended beneficiary funds are Prarambhik Shiksha Kosh (PSK), 2005, Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK), 2017 and Pradhan Mantri Swastik Suraksha Nidhi, 2021. But CAG finding says, in 2018-2019 and 2023-2024, around Rs. 37,000 crore is shortfall in transfer, but the Finance Ministry claims that it transferred Rs. 3.6 lakh crores, but shortage of Rs. 1 lakh is still there and it is not answered at all. The reasons are violation of fiscal transparency, that is, not transferring money to the intended fund. This is violation of Parliament's authority, federal accountability and citizen's trust.

Madam Chairperson, there is another interesting report of CAG. It says that out of Rs. 2.75 lakh crores received from 35 different cesses and levies in 2018-2019, only Rs. 1.65 lakh crore has been transferred to reserve fund and the rest was returned to CFI, that is, Consolidated Fund of India. There is inflexible rule that we cannot park public funds outside Government accounts. There are three funds in which Government receipts are parked and they are Consolidated Funds, Contingency Funds and Trusts.

(1715/AK/NK)

In 2021-2022, the Government collected Rs. 52,000 crore through health and education cess out of which 60 per cent of the fund, that is Rs. 32,000 crore was transferred to the Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) but till now there is no fund transfer for MUSK and PMSSN.

Interestingly, this Government is hiding itself behind Minor Head 800, that is 'Other Receipts & Other Expenditures'. In 2019-2020, the C&AG Report said that repeated use of Minor Head 800 results in opaqueness of accounts and needs to be curtailed. In the latest Report, the Government Auditor said that 60 per cent of expenditure is under nine major Heads like health, roadways, etc. though land reforms was under Minor Head 800. The total expenditure under nine major Heads worked out to Rs. 79,000 crore. Out of this, 60 per cent, that is Rs. 48,000 crore was treated as Minor Head 800. This was a mere account adjustment.

This is a point of concern where the Government keeps on imposing cess and it is not being utilized for the specific purpose. The transparency is lost, opaqueness dominates, and accountability is questionable. Hence, I strongly object to it.

Lastly, by adding one more cess, this Government is making a big mess. Thank you, Madam.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will only be able to give five minutes each to the hon. Members to speak.

The next speaker is Dr. C. N. Manjunath.

1717 hours

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): Thank you, Madam for this opportunity to debate on the Health Security Se National Security Cess Bill.

Actually, when we are giving something to health and when we are giving something towards national security, in fact it is not a stress and it should be a joy. It is going to be a minimal responsible contribution for nation's critical response. So, certainly, it is a privilege to speak on this occasion because a healthy nation is a strong nation.

Today, 60 per cent of deaths in India are premature and due to non-communicable diseases. Earlier, children used to bring parents for the treatment of all these diseases. Today, parents are bringing their children in the age group of 20 to 40 years for the treatment of heart attack, brain stroke, high blood pressure, diabetes and cancer.

If one looks at the GDP loss because of tobacco and related products, including pan masala, the revenue loss in terms of GDP is one per cent, and nearly five to eight per cent of our health expenditure goes towards tobacco-related diseases. At the same time, nearly Rs. 37,500 crore is spent towards tobacco-related products, including pan masala. So, it is a matter of great concern.

In fact, we have to congratulate our hon. Prime Minister as well as our Finance Minister for bringing lot of steps. I am saying this because she has put a lot of money in the hands of the people because for income up to Rs. 12 lakh, there is income tax exemption. As a result, nearly Rs. 1 lakh crore is put in the hands of the people.

As regards GST reduction, it was the desire and dream of the people of this nation that life insurance should be exempted from GST, and health insurance should be exempted from GST. Today, she has done that. Nearly 33 life-saving medicines are exempted from GST. This shows how concerned the Government of India is as far as health is concerned.

Another important thing worth mentioning is that today we have the National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTTO) where organ transplantation has been included as a free procedure for the benefit of poor patients. Today, heart, lung, kidney, and liver are included under NOTTO.

(1720/SRG/KDS)

My suggestion would be that even the bone marrow transplantation need to be included because bone marrow is also an organ and bone marrow transplantation in private sector is pretty expensive. It goes somewhere between Rs. 20 lakh and Rs. 30 lakh. In our State of Karnataka and some other States also, it is already included under Jeeva Sarthakathe Programme. So, I propose to include bone marrow transplantation under this Programme.

Another important initiative is the Prime Minister National Dialysis Programme. Today, people have accepted that dialysis is part of life. Earlier there was hesitancy, and under this Scheme, 28 lakh chronic kidney patients are undergoing dialysis free of cost. Almost 3.5 crore cycles have been done. There is a need to expand this National Dialysis Programme because more and more people are coming. You look at COVID and post-COVID scenario. …(*Interruptions*) I will just take a couple of minutes. Yes, some of the chemotherapy drugs have been exempted from GST. We are raising some cess and internal resource mobilization is going to happen because of health cess as well as security cess. After chemotherapy, nowadays we give immunotherapy. So, immunotherapy drugs are pretty expensive, and for each patient, it costs somewhere between Rs. 30 lakh and Rs. 60 lakh. I draw the attention of our hon. Finance Minister to exempt these immunotherapy drugs. There are nearly 40 immunotherapy drugs for cancer which are exempt from the customs duty. As a result of this, the cancer care will be more affordable, more accessible and this is one of the important things.

In fact, we really appreciate the Ayushman Bharat Programme. We have a hub-and-spoke model today for the treatment of heart attack. Three million deaths are happening due to heart attack and brain stroke. Unfortunately, 30 per cent of heart attacks in India happen in people below 40 years of age. Even young people are suffering from heart attack. Under the hub-and-spoke model, the Taluk hospital gives a thrombolytic therapy, which costs Rs. 15,000. It is under the NHM scheme. Then they go to the nearest city hospital for angioplasty and stent programme, which is within the golden hour. The treatment has to be given within the golden hour for this thing. After this programme has been introduced, the death rate in Tier-2 cities and Tier-3

cities has come down from 25 per cent to 8 per cent. So, we are saving millions of lives.

I want to give another important suggestion. We need to encourage public-private partnership in Tier-3 cities. Tier-1 cities have fantastic Government hospitals as well as private hospitals. We need to encourage private hospitals to move into Tier-3 cities. We have to consider some tax-free holiday for private hospitals who are going to set up in the Tier-3 cities.

The Government of India's defence expenditure is phenomenally high. Somewhere around Rs. 6.8 lakh crore is spent on defence expenditure and modernization of Armed Forces is taking place. India has demonstrated its might in the recent. … (*Interruptions*) During Operation Sindoor, most of the weapons used were indigenous like BrahMos Missile. Recently, our defence expenditure has gone up. In fact, HAL in Bengaluru has got orders for 92 Tejas fighter jets worth Rs. 62,000 crore. India is really growing strong.

At this point of time, our infant mortality and maternal mortality have come down significantly, thanks to ASHA workers as well as Anganwadi workers. We need to support them by increasing their salary.

Thank you very much.

(ends)

(1725/SM/CS)

1725 hours

*SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Vanakkam. As the Constitution of India becomes the focal point of a democratic and political set-up, passage of Bills in a swift manner will go against the concept of inclusiveness of democracy. Opposition parties should be given ample time to analyse the pros and cons of any Bill. But the Government is pushing their agenda and passing the Bills in a mechanical manner without giving time to the Opposition for proper scrutiny. This is unconstitutional. Why will you reduce the time allotted to Opposition parties? You should rather increase the number of sittings during each Session of Parliament. But in a democratic polity, this Government is totally denying the rights of the Opposition parties who are duty-bound to look into the pros and cons of each and every aspect. Therefore, I would say they are against the Constitution of India. Practical experience clearly proves this to the core.

Health security and National security both issues are important. Will this cess be sufficient and helpful for this important aspect of security? I am not finding fault with the intention of the Hon Finance Minister to search for financial resources. But why the corporate companies are not visible to their eyes? Why did you waive off NPAs amounting to 16 lakh and 60 thousand Crores. Should you not have taken this amount to the Government treasury? You are just transferring the income of the Government to reach the corporate companies. This is the wrongdoing of this Government. They are interested only to levy tax on the Micro, Small, and Medium Enterprises. That is why, I term this as a wrong doing.

What is the help provided by the Government to the people? As many as 80 Crore people are dependent on the wheat provided free of cost by this Government. How such people can be able to fulfil their medical needs. Will the release of Rs. 3 lakh form PM relief fund be sufficient for them? I want to ask whether the Ministers in the Cabinet are getting medical treatment with this fund of Rs. 3 lakh? Why the full amount spent on treatment was not reimbursed to such applicants? This Government should reimburse to entire

* Original in Tamil

medical expenses incurred by them. Government should provide entire medical expenses incurred for treatments like kidney transplantation, Cancer, heart ailments and others. Only then we can call this as health security. This Government should do this. This is the one which should be fulfilled.

Why are you levying this cess? This is double taxation. Why are you affecting the rights of the States gradually? Why are snatching these rights from them? The ruling party is doing this. This is not good. There should be proper and timely action. The ruling dispensation said that they procured crude oil from Russia at a cheaper price. They were claiming this to be a sort of achievement on their part. But who was benefitted by selling that crude oil. It was the Adanis and Ambanis who were benefitted. Is there any benefit provided to the people of this country by way of reduction in prices of petroleum products? Whether the prices of Diesel or Petrol was brought down? Not at all. If want to say in a better language it is an action of theft. The benefit of reduction in prices was transferred to the corporate giants. Is it not an act of immorality? If I make a list of such wrong-doings of this Government, it will be never ending.

This Bill is not for fulfilling the two objectives for which it was brought before this House. They have traced an opportunity to just to put tax for the second time. This will not be helpful for the people of this country. This Bill will neither provide protection to our country. This Government's actions are always against the welfare of the people and I therefore oppose them.

Thank you.

(ends)

(1730/MNS/GM)

1730 बजे

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 का पूर्ण समर्थन करता हूं। इसका मैं ही समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि जब से सदन में चर्चा हो रही है, हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो साथी हैं, सभी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह एक ऐसा विषय है, जो मानव जीवन से जुड़ा है। इनके सेवन से लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उसके इलाज पर खर्च होने वाले पैसे से पूरा परिवार प्रभावित होता है, इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विपक्ष के साथी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। यह विधेयक देश के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कदम है। इस विधेयक के लिए मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

महोदय, पान मसाला और अन्य अधिसूचित वस्तुओं पर उपकर लगाकर सरकार जो अतिरिक्त संसाधन जुटाना चाहती है, वह सीधे स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा परियोजनाओं में खर्च होगा। यह व्यवस्था पारदर्शी है और समाज के हित में है। इस बिल के आने से अवैध उत्पादन, मशीनों की गलत घोषणा, टैक्स चोरी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण होगा।

सभापति महोदय, देश में तंबाकू की कई यूनिट्स हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। अक्सर पाउच गलत तरीके से घोषित की जाती है और बड़े पैमाने पर कर चोरी होती है। इसलिए इस बिल में निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कड़ी शक्तियां दी गई हैं, ताकि अवैध व्यापार को रोकने में प्रभावी कार्रवाई हो सके। उच्च उपकर और कड़े दंड से सरकार अनुशासन और पारदर्शिता लाना चाहती है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए आधुनिक हथियार, तकनीकी निगरानी, सीमा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सरकार एक निरंतर और सुनिश्चित राजस्व स्रोत बनाना चाहती है, जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च हो सके। इस उपकर से मिलने वाली बड़ी राशि इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी। मैं सरकार के इस दूरदर्शी प्रयास की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा और अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थायी वित्तीय समर्थन मिलेगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इति)

1733 बजे

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदया, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल तक, जो पहला सवाल उठा है, वह यह है कि लैंग्वेज को हाइब्रिड बनाना बंद कीजिए। यह सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं। अलग-अलग भाषाओं का अपना महत्व है**,** लेकिन हाइब्रिड मत बनाइए।

दूसरी बात यह है कि क्या अब नेशनल सिक्योरिटी शब्द अपने आप में अपीलिंग नहीं रह गया है? क्या इस सरकार पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जनता इतना भरोसा नहीं कर रही है कि वह सेस लगा सके? इसके लिए हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस तक लाने की बात आई है और जो सबसे नाजुक पहलू है, कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। उस निरोगी काया के सवाल को छोड़कर आम जनता से सेस लेने की इसमें कोशिश की गई है। जहां तक इस बिल के जरिये नशा नियंत्रण की बात है कि ज्यादा से ज्यादा सेस लगाएंगे, तो नशाखोरी कम होगी, तंबाकू का सेवन कम होगा। यह बिल खुद कहता है कि, 'Impact on consumers -- No major change as prices not likely to get impacted'. यह बिल खुद स्वीकार करता है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह उनको भी खुश रखना चाहता है, जो इसके कंज्यूमर्स हैं। इसलिए इसके जरिये जो मोरल अथॉरिटी लेने की कोशिश की गई है कि हम तो नशा विरोधी हैं।

1734 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

महोदय, कई मामलों में इस सरकार ने अपनी मोरल अथॉरिटी कमजोर कर दी है। संविधान की रक्षा के मामले में, लोकतंत्र की रक्षा के मामले में मोरल अथॉरिटी कमजोर हुई है। कहीं न कहीं नशे के खिलाफ बोलकर, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल उठाकर वह मोरल अथॉरिटी गैन करना चाहती है। इससे लगता है कि उसके मन में भी आशंका है। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर उसने जो पहलगाम हमले के मामले में, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में लापरवाही की है,

(1735/MLC/GTJ)

कश्मीर का आज तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तीन यूनियन टैरिटरी बना दीं, बौद्ध का अलग, मुसलमान का अलग, लेकिन वह सॉल्व नहीं हो सका है। लद्दाख भी फिर से सुलग गया है। नेशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो प्रादेशिक नागरिक हैं, उनका सहयोग कैसे इकट्ठा किया जाए, इस मामले में यह सरकार फैल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी भरपाई आप इस बिल से करना चाहते हैं। चूंकि हमारा समय कम होता है, अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप इस बहाने या उस बहाने नागरिकों पर टैक्स लगाने का बहाना ढूंढ़ते रहते हैं। अगर बिहार में अडानी के लिए 1050 एकड़ जमीन पर दस लाख पेड़ काट दिए गए, तो इससे हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो सेस उन लोगों पर लगाइए, टैक्स उन लोगों पर लगाइए। सेस बड़े पूंजीपतियों पर लगाइए, कॉर्पोरेट घरानों पर लगाइए।

(इति)

1736 बजे

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अर्थ मंत्री जी का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था। मैं उन्हीं के दो-तीन मुद्दों पर थोड़ी सी बात करूंगा। इन्होंने कहा कि डिमैरिट गुड्स के लिए यह बिल लाया जा रहा है, जो एक्ट बनेगा। लेकिन पूरे बिल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि any other goods which may be notified. यानी ये आज सदन से इजाजत ले रहे हैं कि इस एक्ट के तहत किसी पर भी यह सेस लगा सकते हैं। कल ये टेबल पर लगा दें, मेज पर लगा दें, आपके कपड़ों पर लगा दें, मेरे घर की गाड़ी पर लगा दें,किसी पर भी लगा दें। आज बात पान मसाले की हो रही है, लेकिन यह एक्ट पान मसाले का नहीं है। अन्य कोई गुड्स इन्होंने बता दिए हैं। फिर इन्होंने बताया कि हेल्थ के लिए एक डेटरेंट ला रहे हैं कि ज्यादा लोग तम्बाकू, पान मसाले वगैरह का इस्तेमाल न करें, इसलिए यह किया है। अब अगर बिल के ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं, तो इस बिल के ऑब्जेक्ट में कही नहीं लिखा है कि ये डेटरेंट करके बिल ला रहे हैं। यह टैक्स कलेक्शन के लिए बता रहे हैं। It is unprecedented that the Government should in the statement say that the deterrent tax and, yet in the Statements of Objects and Reasons, no mention has been made. फिर यह सेस की बात करते हैं कि यह सेस लाए हैं और इसे राज्यों से शेयर करेंगे। सर, पूरे बिल में कहीं नहीं लिखा है कि इस बिल से जो आमदनी आएगी, उसे राज्यों से शेयर करेंगे। कल भी इन्होंने बात की और ससिकांत सेंथिल जी के विषय पर अर्थ मंत्री जी आग-बबूला हो गए थे।

माननीय अध्यक्ष : टैक्स वसूल होगा, तो कल्याण के लिए काम आएगा ना।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : जी सर, डेफिनेटली होगा। आपने मेरे मुँह की बात बोल दी। कल उन्होंने बताया कि सेस हम राज्यों को दे रहे हैं, खाली-पीली ये बोल रहे हैं। सर, यह सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी ने कहा है कि सेस के 3 लाख 67 हजार करोड़ रुपये जो राज्यों को देने थे, वे राज्यों को नहीं गए। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह सीएजी बोल रही है कि यह किया गया है। फिर यह कैपिसिटी की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी इस बात का अच्छे से जवाब देतीं।

… (*Interruptions*)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): No, I have got the reports. … (*Interruptions*)

दुबे जी, मैं पेश करता हूँ। I will give in writing. … (*Interruptions*) अगर मैं पेश नहीं कर पाया, तो आप रिकार्ड से निकाल दीजिए। दुबे जी प्लीज थोड़ी सांस रोकिए, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, थोड़ा संभालकर बोलिए।

अब आगे उन्होंने कैपेसिटी की बात की कि कैपेसिटी पर भी टैक्स लगा रहे हैं। अब कैपेसिटी की बात यह है कि this Government has failed. यह इस टैक्स पर कोई भी कंट्रोल लाने के लिए यशस्वी रहे हैं। यह जानते हैं कि यह टैक्स सब लोग डुबा रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए इन्होंने कैपेसिटी पर लगाया है। फिर यह क्रिमिनल प्रॉविजन लाए, पहली बार टैक्स न भरने के लिए क्रिमिनल प्रॉविजन लाया गया है। It is unprecedented. यह कभी नहीं हुआ, यह क्यों लाया गया है? अभी हम अगले सप्ताह जन-विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बात करेंगे। हम ईज ऑफ डूइंग पर क्रिमिनलाइजेशन कम कर रहे हैं। ये नया एक्ट ला रहे हैं, जिसमें यह बोल रहे हैं कि अगर टैक्स देर से दिया, तीस दिन लेट दिया, तो आपको जेल में डाल देंगे। कोई नया बड़ा बिजनेसमैन इस पान-मसाले के धंधे में आने वाला है, इसलिए क्रिमिनल इंटीमिनेशन करके छोटे बिजनेसमैन्स को निकालने का प्लान है, यह मैं पूछना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: एक बात बताइए कि यह टैक्स छोटे बिजनेसमैन पर लगेगा और बड़े बिजनेसमैन पर भी लगेगा। यह आपका कोई तर्क नहीं है।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : नहीं सर छोटों पर क्रिमिनल लाएंगे और सबको डरा देंगे कि तुम निकलो। सर, जीएसटी 2.0 की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं। चलिए आपकी बात पूरी हो गई।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सर, एक मिनट भी नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: हो गया है, इतना ही काफी है। श्री टी. उदय श्रीनिवास।

… (व्यवधान)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : I would like to say that health is not a revenue model. एडिक्शन, ये कोई टैक्स बेस नहीं हो सकता है और नेशनल सिक्योरिटी यह पान-मसाला पर आप लोग नहीं बना सकते है।

धन्यवाद सर।

(ends)

(1740/HDK/GG)

1740 hours

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Hon. Speaker, Sir, I rise today to express my whole-hearted support for the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025. This Bill proposes a cess on the production of pan masala and other notified goods, either based on the machine capacity or manual production. Its purpose is clear – to decrease production of harmful products and safeguard public health.

Sir, tobacco and related products remain among the leading cause of preventable deaths in India, accounting for an estimated 1.35 million deaths every year. By reducing consumption, this Bill is not merely a physical measure, it is a vital public health intervention. The revenue generated will be used for two crucial areas, that is health security and national security. On national security, under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has made remarkable progress from strenghthening borders to ensuring citizen safety at home and abroad.

Sir, I would like to thank the Government for the prompt and compassionate action in ensuring the safe repatriation of fishermen from my constituency, Kakinada, who had inadvertently drifted into Sri Lankan waters. Their safe return along with their boats reflects the Government's commitment to protecting the dignity and safety of every Indian citizen. The Government has consistently demonstrated strategic clarity and effective execution, whether through the large-scale defence operations like Operation Sindoor, or swift rescue of citizens.

Sir, India's defence capabilities have grown tremendously over the past decade. Defence expenditure increased from Rs. 2.53 lakh crore in 2013-14 to Rs. 6.8 lakh crore in 2025-26. Defence production has tripled up from Rs. 1.5 lakh crore in 2024-25. Defence exports have now reached 100 countries, including the US, France and Armenia. But, Sir, a secured nation is also a healthy nation, India's health sector has undergone unprecedented expansion. Ayushman Bharat, PMJAY has provided health protection to 55 crore people, enabling treatments worth Rs. 1.19 lakh crore. The Ayushman Bharat Digital Mission ABDM has linked 55 crore health records to 78 crore ABHAs. Under PM-ABHIM, over 28,000 health and wellness centres have been strengthened

nation wide. The National Health Mission Budget has risen 70 per cent reaching Rs. 37,226 crore in 2025-26.

Sir, these achievements reflect a decade of visionary and compassionate governance. However, I wish to make a humble submission regarding the cess revenue. Health is a State subject and implementation of health initiatives ultimately depends upon the States. I, therefore, urge the Government to explore a mechanism to share a portion of cess revenue with the States. This will ensure the National Health Mission schemes and infrastructure reforms are implemented effectively accross all regions. Stronger States will make more of a stronger India. I am sharing, revenue will deepen the impact of this progressive Bill.

In conclusion, Sir, the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 is timely, responsible, and forward looking. It will reduce consumption of harmful products, safeguard public health, strengthen the national security and mobilise critical resources for the nation’s future. I fully support the Bill and urge the Government to ensure that its benefit reaches every citizen across India.

Thank you, Sir.

(ends)

1743 बजे

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष जी, कितना अच्छा होता कि सरकार पान मसाला के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक लाती और हम सभी उस पर चर्चा कर रहे होते। सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए, लोगों के जीवन से सरकारें कब तक खेलती रहेंगी? आखिर हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं?

“लगा के चोट, मरहम की बात करते हो।
ज़हर देते हो, फिर मरहम की बात करते हो।
विधेयक देख कर ऐसा लगा मुझको कि
आप आपदा में भी अवसर की बात करते हो।”

आज देश के जितने भी पान मसाला उत्पादक हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भदौरिया जी, क्या आप कवि हो?

… (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सर, वे अरबपति-खरबपति बनते जा रहे हैं और पान मसाला को खाने वाला आदमी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो कर समय से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। पान मसाला में कांच पीस कर मिलाया जाता है, जो गाल में घाव कर देता है और वह कैंसर बन जाता है।

सत्ता पक्ष की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन आदरणीय जगदंबिका पाल जी को मैं सुन रहा था तो बर्बत सच्चाई उनके मुंह से निकल गई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के झटके से निपटने में भारत की मदद करेगा।

(1745/YSH/PS)

यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेस लगाकर डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपये को आप बचाना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सेस का कुछ हिस्सा हम राज्यों को स्वास्थ्य जागरुकता के लिए देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह कितना हास्यास्पद है कि पहले बीमार कीजिए, फिर जागरुकता फैलाइए। दरअसल यह उपकर सरकार की आर्थिक विफलताओं को आमजन की जीवन की कीमत पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना है। आप कभी स्वच्छ भारत उपकर, कभी कृषि उपकर और कभी शिक्षा उपकर लगाते हैं, परंतु सीएंडएजी कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर के लाखों-करोड़ों रुपये खर्च ही नहीं किए गए। इसलिए आपका यह कहना कि सेस लगाने से कीमत घटेगी और खरीदार हतोत्साहित होंगे, मैं इससे कतई सहमत नहीं

हूँ। आप कितनी भी कीमत बढ़ा लीजिए, यह पान मसाले की जो तलब है, वह छूटने वाली नहीं है। लोग खूब खाएंगे और शान से कहेंगे कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खा रहा हूँ, इसलिए आपको खूब राजस्व मिलेगा। इसको बनाने वाले और ज्यादा अमीर होंगे और खाने वाले कैंसर से मरते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री कीर्ति चिदम्बरम।

… (व्यवधान)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, in all these years, you have not got my name correct. It is Karti.

माननीय अध्यक्ष : कार्ती चिदम्बरम, अब ठीक है? Right?

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मैं जब तक सही न बोलूं, तब तक आप बताते रहिएगा। ठीक करना हमारा काम है।

1746 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, this Bill is actually a continuum of yesterday's Bill. You have given adequate time, in fact, a very luxurious time, for both the Bills. This also shows that the Government has a very light legislative agenda. Anyway, thank you for the time.

Sir, this Bill is called the 'Health Security Se National Security Cess Bill'. This name is confounded because if you actually look at *'se'* in the English dictionary, it actually denotes the chemical 'selenium'. So, I was completely confused why selenium is here in this name of the Bill. Then, I had to ask some of my colleagues. They told me that *'se'* is actually a Hindi word which says that it is from health security to national security. So, this Government is now levying a cess to strengthen health security and national security. Perhaps, they were prompted by the failures in Pahalgam and Chandni Chowk that they think that they need to have more resources to prevent these kinds of terror strikes. The House has still not been taken into confidence. No accountability has been fixed for those two terror strikes. I hope during this Session we will get some holistic answers from the Government on why Pahalgam happened; where the accountability will lie; and why the terror strikes in Chandni Chowk happened.

Sir, I have some specific objections to the Bill. My colleague Dr. M. K. Vishnu Prasad has very eloquently talked about the anti-federal nature of cess and tax. Every time a Government raises a cess on some pretext, the money is really never spent on the intended purpose. This is not just a critique of this Government. Successive governments in India have raised cess and never spent on it. There are enough reports which speak about the money which is collected as cess and even as the education cess. I think one report said that we collected some four per cent as education cess and about Rs. 90,000-odd crore has never been deployed. I am afraid that this fund also will face the same condition and the money will never be spent for intended purposes.

When it comes to the intended purposes, the Bill does not say what the intended purposes are. It basically says, 'health security to national security'. It is like motherhood and apple pie. Nobody can object to it. But what are you going to specifically spend it on? That has not been specified at all. How much

revenue will you get through this cess? That has also not been specified. This is an overarching Bill which gives power to the Government to add any other product to it and also to increase the rate without ever coming back to Parliament. So, it is actually going to bypass Parliament in the future. It is going to collect money which is not going to go to the States. On those two counts, I object to this Bill.

Thirdly, in this Bill, the tax and the cess are going to be not on the production but on production capacity. This production capacity is going to open a Pandora's box for the bureaucrats to go and harass these manufacturers. The manufacturer will have a certain production capacity. But he will say, "My machine is not working. So, how do you calculate my production capacity?" "I have not got my spare parts." "Last year, there was a flood." "Insurance company is not giving me money to repair my machine to increase my production capacity." So, this is the most arbitrary way of levying a tax.

(1750/SNL/STS)

This is going to create confusion and corruption. This is not ease of doing business; it is only helping the bureaucracy and another tool to go and harass.

So, this Bill is anti-federal because it is a cess. This Bill is anti-business because it is production-linked, and this Bill is anti-health because it does not specify what it is going to do for health. This Bill is anti-national security because it does not say what it is going to do for national security.

Therefore, I urge this House to reject this Bill. Thank you.

(ends)

1751 hours

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर अपनी बात रख रहा हूं। यह विधेयक जितना बड़ा नाम लेकर आया है, उतने ही बड़े सवाल साथ लाया है। इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना बताया गया है। लेकिन इसकी संरचना, प्रावधान और भाषा में भारी अस्थिरता है। अति सख्त और राजस्व वसूली की प्रवृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। 'नाम बड़ा और दिशा धुंधली' सरकार कहती है कि उपकर राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर व्यय को पूरा करेगा, लेकिन कौन-सी राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना? कौन-सा स्वास्थ्य कार्यक्रम? कितना फंड किस योजना को मिलेगा? किस मंत्रालय को कितना आबंटन होगा? विधेयक में एक भी ठोस उल्लेख नहीं है। इससे यह उपकर विषय वस्तु के बिना नाम मात्र का कर बन कर रह जाता है।

अध्यक्ष जी, विधेयक यह स्पष्ट कहता है कि उपकर का पैसा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। इसका अर्थ है, पैसा किसी भी सामान्य सरकारी खर्च में मोड़ा जा सकता है। न संसद में स्पष्ट हिसाब मिलेगा, न जनता को पता चलेगा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कितना पैसा लगा है। यदि पैसा कहीं भी जा सकता है, तो इस उपकर का नाम स्वास्थ्य सुरक्षा क्यों? उत्पादन आधारित उद्योग पर भारी प्रहार, इस बिल में मशीनों की क्षमता और उत्पादन पर उपकर लगाया जाएगा। इतना भारी उपकर छोटे उद्योगों को समाप्त करेगा। मध्यम उद्योगों को अस्थिर करेगा। लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ेगी। उत्पादकों पर अनुचित आर्थिक दवाब पड़ेगा। क्या सरकार यह बिल लाकर उत्पादन और उद्यमियों को दंडित करना चाहती है? क्या अधिकारियों को अत्यधिक सख्ती से भ्रष्टाचार का खतरा दोगुना होगा। विधेयक में तलाशी, जब्ती, छापे, निरक्षण, गिरफ्तारी और सख्त ऑडिट के विशाल अधिकार सिर्फ आयुक्त स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे अधिक शक्तियों से दमनकारी कर वसूली बढ़ेगी, व्यावसायी भय में काम करेंगे। भ्रष्टाचार और रेड स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। इतिहास गवाह है कि कभी भी अत्यधिक दमन से न अनुपालन बढ़ता है, न राजस्व। अवैध छुपा हुआ भूमिगत उत्पादन बढ़ेगा। जब मशीन की क्षमता पर भारी उपकर लगाया जायेगा तो उद्योग उत्पादन छुपायेंगे, अवैध यूनिटें चलायेंगे, अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, काला बाजार मजबूत होगा और डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार जीएसटी सेस बढ़ने के बाद अवैध बाजार 13 हजार करोड़ तक दोगुना हुआ है। क्या सरकार वही गलती दोहराना चाहती है? नशीले उत्पादों की मांग कीमत बढ़ने पर भी नहीं घटती है। पान-मसाला जैसे उत्पाद एडिक्टिव हैं, कीमत बढ़ने से इनकी उपभोगता कम नहीं होती, बल्कि गरीब लोग सस्ते,

मिलावटी, जहरीले, काला बाजार उत्पाद खरीदते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है, सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है। समाज में दीर्घकालिक नुकसान होता है। क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा या स्वास्थ्य संकट, राज्यों को उनका संवैधानिक हिस्सा न मिलना, ऐसे उपकर नॉन डिविजिबल हैं। इसका अर्थ है राज्यों को इसमें से एक रुपए का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। केन्द्रवाद बढ़ेगा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता कमजोर होगी, विकास योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्यों का हक क्यों छीना जा रहा है? विधेयक को संसदीय परीक्षण से बचा कर जल्दी पारित करने की कोशिश गलत है। इतना महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला विधेयक उद्योग, उपभोक्ता, राज्यों, कर-प्रणाली, आर्थिक गतिविधि, सभी को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष यह है कि विधेयक देशहित में नहीं, राजसी हित में है। माननीय अध्यक्ष जी सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह विधेयक अस्पष्ट है, अनियंत्रित है, शक्तियां देता है, उद्योग विरोधी है, अवैध बाजार बढ़ायेगा, गरीबों को नुकसान पहुंचायेगा, राज्यों के अधिकार छीनता है और उपकर प्रणाली को अविश्वसनीय बनाता है। हमारी स्पष्ट मांग है कि विधेयक को तत्काल प्रवर समिति, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। उपकर की दर, उपयोग और पारदर्शिता की ठोस प्रणाली को शामिल किया जाए। कर अधिकारियों की शक्तियों को सीमित और जवाबदेह बनाया जाए। उपकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय हो, इसका कानूनी प्रावधान अनिवार्य किया जाए। इन्हीं शर्तों के साथ मैं इस बिल का विरोध कर संशोधन सहित पुनर्विचार की मांग करता हूं।

अध्यक्ष जी, अंत में इस बिल को पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा में अब अत्याधुनिक हथियारों की नहीं, पान-मसालों की ज्यादा जरूरत है और हर चौराहे पर खड़ा होने वाला व्यक्ति यह कहेगा कि देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान उसका है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।

(इति)

(1755/MM/SMN)

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने गुटखा और पान मसालों के निर्माताओं पर नेशनल सिक्युरिटी और जन-स्वास्थ्य सेस लगाने के लिए यह प्रस्ताव लायी हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-स्वास्थ्य पर होने वाले सेस के द्वारा अतिरिक्त संसाधान जुटाने में सरकार को मदद करेगी। इस प्रस्ताव के तहत उन मशीनों और निर्माण प्रक्रिया पर सेस लगेगा, जिनसे पान मसाला और गुटखा आदि का उत्पादन मैनुअली होगा, या हाईब्रिड प्रोसेस से होगा। उस पर मशीन की क्षमता पर अलग-अलग दर से उपकर लगाने पर सरकार विचार कर रही है। पहला- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार के लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा और दूसरा- राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा सरकार का मानना है। कल ही सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्साइज विधेयक के माध्यम से तम्बाकू और उसके उत्पाद एवं सिगरेट आदि पर सेस खत्म होने के बाद राजस्व की किसी भी कमी को बरकरार रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का बिल पास कराया है। अब यह प्रस्ताव सरकार की अगली प्रक्रिया के आधार को मजबूत करेगां । यह अच्छा कदम है।

अध्यक्ष महोदय, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा पान मसाला आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, फिर भी सेवन करने वालों की बढ़ोत्तरी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। यह हमारे स्वास्थ्य सेवा पर भी बोझ को बढ़ा रहा है। अब जहां इन वस्तुओं का मूल्यवृद्धि अधिक होगा, निर्माताओं पर अधिक सेस का भार पड़ेगा, तो आशा है कि लोग उपयोग में कमी लायेंगे। साथ ही यह प्रक्रिया आम जनता में जागरूकता लाने का काम करेगी। लोगों में जागरूकता लाकर ही किसी सामाजिक स्वास्थ्य का बदलाव आसानी से किया जा सकता है। सरकार का यह विचार काफी सराहनीय है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख लोगों की मौत तम्बाकू से जुड़ी बीमारियों से होती है। सरकार का मानना है कि मौत के कारण सरकार को जितना आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, उससे काफी कम राजस्व तम्बाकू उद्योग और पान मसाला आदि उद्योगों से मिलता है। वर्तमान टैक्स सिस्टम से सरकार को उतना राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण उपकर की व्यवस्था का प्रस्ताव सदन में आया है। यह जायज भी है कि अब गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो शायद उपभोक्ता, खासकर युवा वर्ग एवं कम आमदनी वाले लोगों को इसका इस्तेमाल कम करने या नहीं करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में तम्बाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 70 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त सेस उपकर का प्रावधान है। सिगरेट की लम्बाई के अनुसार 2700 रूपये से लेकर 11000 रूपये प्रति 1000 स्टिक पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

साथ ही मशीनों पर, जो उत्पादन करती हैं, उन पर भी सेस बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो मशीन 2.5 ग्राम तक से लेकर 10 ग्राम से अधिक वजन वाले प्रति मिनट 500 पाउच तक का उत्पादन करती हैं उस पर मासिक उपकर एक करोड़ रूपये से लेकर करीब साढ़े आठ करोड़ रूपये तक होगा, और जो मशीन प्रति मिनट 501 से 1000 पाउच उत्पादन करती है, उस पर प्रति मशीन उपकर करीब दो करोड़ रूपये से 17 करोड़ रूपये प्रति माह लगाने का प्रस्ताव है। फिर 1001 से 1500 पाउच या उससे अधिक पाउच प्रति मिनट बनाने वाली मशीन पर उपकर प्रति माह और अधिक हो सकता है। साथ ही, मैनुअल प्रक्रिया वाली उत्पादन पर भी उपकर लगेगा ही, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चिन्ता का विषय है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी जरूर स्पष्ट करेंगी। इंडस्ट्रीज को आश्वस्त कराने का काम करेंगी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े पान मसाला कम्पनी तो इस उपकर को सहन कर लेंगी लेकिन छोटे निर्माताओं के लिए आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और इससे इस क्षेत्र में कामगारों और कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। छोटे निर्माताओं को अपना उद्योग बंद भी करना पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इस विषय को माननीया वित्त मंत्री जी स्पष्ट करेंगी तो सदन और देश की आम जनता को सरकार के प्रस्ताव पर संशय नहीं होगा। इंडस्ट्रीज में जो संशय है वह दूर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।

(इति)

(1800/MK/RP)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 5 दिसंबर, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1801 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 05 दिसंबर, 2025 / 14 अग्रहायण, 1947 (शक)</u>
<u>के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>